लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 24 जुलाई, 1969/2 श्रावण, 1891 (शक)
No. 4, Thursday, July 24, 1969/ Sravana 2, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
92. बेरोजगारी की समस्या	Unemployment problem	8—10
93. शिक्षित युवकों में बेरोजगारी	Unemployment among educated youth	10—11
94. बेरोजगारी भत्ता	Unemployment allowance	11—12
95. देश में बेरोजगारी	Unemployment in the country	12—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
96. छोटे किसानों की सहायता हेतु विशेष योजना	Special scheme to help Small Farmers	17—19
97. ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Tractors ..	19—20
98. रोजगार की स्थिति	Employment position	20
99. दिल्ली के लिये अतिरिक्त देशी गेहूं का नियतन	Allotment of additional indigenous wheat to Delhi ..	20—21
100. चीनी का निर्यात	Export of Sugar ..	21
101. उत्तर प्रदेश को सघन कृषि कार्यक्रम के लिये फोर्ड फाउण्डेशन से सहायता	Ford Foundation aid to UP for Intensive agricultural programme ..	22—23
102. जमा करने और लाने ले जाने में अनाज की हानि	Loss of foodgrains to storage and handling..	23—24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
103. पश्चिम बंगाल के श्रम विवादों को निपटाने हेतु एक त्रिपक्षीय समिति की स्थापना	Setting up of a tripartite Committee to settle labour disputes in West Bengal	24
104. वनस्पति में रंग मिलाने सम्बन्धी समिति	Committee on colourisation of Vanaspati ..	25
105. गेहूं और चावल के मूल्य	Prices of Wheat and Rice	25—26
106. दूरसंचार के लिये कनाडा से ऋण	Canadian credit for Telecommunications ..	26
107. इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी के प्रतिनिधियों का अखबारी कागज सलाहकार समिति से त्यागपत्र	Resignation of Representatives of IENS from Newsprint Advisory Committee	26—27
108. राष्ट्रीय कृषि आयोग	National Agricultural Commission ..	27
109. कृषि योग्य सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Encroachment upon arabie Government land	27—28
110. बाढ़ तथा तूफान द्वारा क्षति	Damage by Floods and Cyclones	28—29
111. तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Refugees ..	29
112. भाण्डागार क्षमता	Warehousing capacity	29—30
113. इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry ..	31
114. संसद् सदस्यों द्वारा लिखे गये यंत्रों के वितरण में विलम्ब	Delay in delivery of letters written by M.Ps.	31—32
115. सुपर बाजार	Super Bazars ..	32
116. ग्रामीण श्रमिकों के लिये रोजगार के अतिरिक्त अवसर	Additional Employment opportunities for rural labour ..	32—34
117. राजस्थान में सूखे से मृत्यु	Deaths due to drought in Rajasthan ..	34
118. सामुदायिक रेडियो श्रवण योजना	Community listening scheme ..	34—35

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

119. विश्व बैंक की सहायता से मछलीपालन उद्योग का विकास	Development of Fisheries with the help of world bank	35
120. पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के टेलीफोन को बीच में सुन लेना	Tapping of Ministers' Telephone in West Bengal	35

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

601. बिस्कुट बनाने की फैक्टरियां	Biscuit Factories	36
602. कर्मचारी भविष्य निधि का बकाया	Arrears of Employees Provident Fund	36—37
603. भेड़ फार्मों की संख्या	Number of sheep farms	37
604. हिसार में भेड़ प्रजनन फार्म	Sheep breeding farm at Hissar	37—38
605. कारखाना मजदूरों की नकद मजूरी तथा वास्तविक मजूरी	Money wage and real wage of Factory Workers	38
606. विदेशों द्वारा उर्वरक की सप्लाई	Supply of fertilisers by foreign countries ..	38—39
608. नागपुर में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections at Nagpur	39—40
609. काली मिर्च की संकर किस्म का विकास	Development of Hybrid varieties of Pepper..	40
610. लघु सिंचाई क्षमता का सर्वेक्षण	Survey of minor irrigation potential	41
611. मध्य प्रदेश में जल संकट	Water crisis in Madhya Pradesh	41
612. राजस्थान में भूमि के नीचे पानी	Underground Water in Rajasthan	41—42
613. हिसार में भेड़ पालन प्रक्षेत्र	Sheep Breeding Farm at Hissar	42—43
614. जापान को मक्का की सप्लाई	Supply of Maize to Japan	43
615. आकाशवाणी के प्रसारणकर्त्ता कलाकारों के लिए शुल्क	Fees for Broadcasting artistes of AIR	43—44
616. खाद्य उत्पादन का अनुमान	Estimate of Food Production	44—45
617. अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in Foodgrains	45
618. पंचायती राज संस्थाएं	Panchayati Raj Institutions	45—46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
619.	गोदामों में भरने तथा लादने उतारने में अनाज की क्षति	Loss of foodgrains in storage and Handling	46—47
620.	शाहदरा (दिल्ली) में दूध के डिपो खोलना	Opening of Milk depots in Shahdara (Delhi)	48
621.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Representation of Scheduled Castes/Tribes in Ministry of Food and Agriculture ..	48—49
622.	दण्डकारण्य परियोजना को स्थानान्तरित किये गये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कर्मचारी	Employees of central tractor Organisation transferred to Dandakaranya project ..	49—50
623.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सिलो का निर्माण	Construction of silos by Food Corporation of India ..	50
624.	औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन	Amendment of Industrial disputes Act	50—51
625.	प्रतिनिधि कार्मिक संघों को मान्यता	Recognition of Representative Unions	51
626.	तमिलनाडु में काले बाजार में गेहूं की बिक्री	Sale of wheat in black market in Tamil Nadu	51—52
627.	विस्थापित व्यक्ति (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948	Displaced persons (Land Acquisition) Act, 1948	52
628.	प्रेस सूचना विभाग के हिन्दी एकक को सुदृढ़ करना	Strengthening of Hindi Unit of Press Information Bureau	53
629.	दिल्ली टेलीफोन जिले में इंस्पेक्टरों की पदोन्नति	Promotions of inspectors in Delhi Telephone District	53
630.	बिहार काटन मिल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of bonus to workers of Bihar Cotton Mills Limited	53—54
631.	दिल्ली में मजदूरों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for labourers in Delhi	54
632.	गेहूं, चावल और चीनी का उत्पादन	Production of Wheat, Rice and Sugar	55
633.	उर्वरक संवर्द्धन बोर्ड	Fertilizers promotion board	55—56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
634.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात	Export of seeds by National seeds corporation	56
635.	रेडियो लाइसेंस	Radio Licences ..	57
636.	सामुदायिक विकास सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Community Development ..	57
637.	खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार	Buffer stock of foodgrains	57—58
638.	हरियाणा के लिये आकाश-वाणी केन्द्र	Radio Station for Haryana	59
639.	दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय	FCI office in Delhi	59
640.	समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Newspapers	60
641.	चारे की कमी	Shortage of Fodder	60
642.	सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी द्वितीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of second wage board for cotton textile industry	61
643.	खुले में पड़ा हुआ गेहूं	Wheat lying in open	61—62
644.	राजस्थान को मोटे अनाज की सप्लाई	Supply of coarse foodgrains to Rajasthan ..	62—63
645.	खाद्य क्षेत्रों का विस्तार	Enlargement of food zones	63
646.	आकाशवाणी के लिये निगम	Corporation for AIR	63—64
647.	रोजगार दिलाऊ कार्यालय और बेरोजगार व्यक्ति	Employment exchanges and unemployed persons ..	64
648.	उर्वरकों का न बिका भंडार	Unsold stocks of fertilizers	64—65
649.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का समाहार	Procurement of wheat by FCI ..	65—66
650.	बेरोजगारी कम करने के लिये छात्र सहकारी समिति	Student cooperatives for Reducing unemployment	66—67
651.	बच्चों के चल चित्र	Children's Films	67—68
652.	केरल के लिये खाद्य उत्पादन कार्यक्रम	Food production programme in Kerala	68—69

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

653. उत्तरी क्षेत्र के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of labour Ministers of Northern Zone	69—70
654. स्वामी श्रद्धानन्द और गुरु विरजानन्द की स्मृति में डाक टिकट	Postal stamp on Swami Shardhanand and Guru Virjanand ..	70
655. बड़े शहरों में टेलीविजन केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Television Centres in big cities	70—71
656. उत्तरी खाद्य क्षेत्र का विस्तार	Enlargement of Northern food zone	71
657. सरकारी उपक्रमों में नियोजक कर्मचारी सम्बन्ध	Harmonious labour, Employer relationship in public sector undertakings ..	71—72
658. उत्तर प्रदेश में उर्वरक का जमा हो जाना	Accumulation of fertilizers in U.P.	72
659. उत्तर प्रदेश में पायरेला से फसलों की क्षति	Damage of crops in U. P. by Pyrilla	72—73
660. कृषकों में रेडियो का वितरण	Distribution of radio sets among farmers ..	73
661. चुकन्दर से चीनी बनाना	Manufacture of Sugar from beet root ..	74
662. संकर किस्म के बासमती धान का उत्पादन	Production of Hybrid variety of Basmati ..	74
663. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा शीतागारों का निर्माण	Construction of cold storages by National seeds corporation ..	74
664. अंगूरों से शराब का तैयार किया जाना	Preparation of wine from Grapes	75
665. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा गोदामों का अधिग्रहण	Acquisition of godowns by Central Warehousing corporation ..	75—76
666. भोपाल में चौक बाजार के डाकघर का कार्य संचालन	Working of chowk bazar Post Office at Bhopal	76
667. अहीरी (महाराष्ट्र) में डाक घर के लिये इमारत	Building for post office in Ahiri (Maharashtra)	76—77
668. अनाज और दालों का उत्पादन	Production of foodgrains and pulses	77
669. उड़ीसा द्वारा विद्युत चालित ड्रिलों का आयात	Import of power drills by Orissa	77

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

670. देशान्तर्गत और समुद्रीय मछली उद्योग का विकास	Development of inland and Marine Fisheries	78—79
671. अनाज का रक्षित भण्डार	Buffer stock of foodgrains ..	79—80
673. संसद् सदस्यों को टेलीफोन की सुविधाएं	Telephone facilities to deceased Members of Parliament	80—81
674. संसद् सदस्यों के लिये निःशुल्क टेलीफोन काल	Free Telephone calls for Members of Parliament	81
675. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि कालेज	Agricultural college in Eastern UP	82
676. दिल्ली में गोमांस की बिक्री पर रोक	Ban on selling of Beef in Delhi	82—83
677. बासमती चावल का निर्यात	Export of Basmati Rice	83
678. पटसन उद्योग में मजूरी संशोधन	Wage Revision in Jute Industry	83—84
679. रती बती कोयला खान में कर्मचारियों को बेदखल किया जाना	Eviction of workers in Ratibati Colliery ..	84
680. मिट्टी में उर्वरक मिलाने के परीक्षण	Tests of mixing fertilizers with the soil	84—85
681. ट्रैक्टर केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Tractor Stations	85
682. आयातित अनाज की आवश्यकता	Requirement of imported foodgrains	86—87
683. राज्यों में सूखा	Drought in States ..	87—88
684. कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषि वस्तुओं के निर्धारित मूल्य	Agricultural prices as fixed by agricultural prices commission ..	88—89
685. औद्योगिक उपक्रम	Industrial undertakings	89
686. राज्यों में भूमि का अधिग्रहण	Land acquisition in States	89—90
688. गन्ना बीज अनुसंधान उपकेन्द्र मोतीहारी (बिहार)	Sugarcane seeds Research Sub-stations, Motihari (Bihar)	90
689. कुशल और अकुशल श्रमिकों की मजूरी	Wage of Skilled and Unskilled Labour ..	90—91

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

690. राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	Report of the National labour commission..	91
691. आकाशवाणी का संसद् समीक्षा कार्यक्रम	Sansad Samiksha Programme of AIR ..	91—92
693. छंटनी किये बिना उद्योग में स्वचालित मशीनें लगाना	Introduction of Automation in Industries without Retrenchment ..	92
694. आकाशवाणी का पूना केन्द्र	All India Radio, Poona	92
695. दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का कार्यकरण	Working of consumer cooperatives in Delhi	93
696. दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	93—94
697. दिल्ली टेलीफोन जिले में टेलीफोन आपरेटरों की सेवा समाप्ति के नोटिस	Terminal notice to telephone operators in the Delhi Telephone District ..	94—95
698. डाक तथा तार कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of P & T Employees	95
699. प्रेम नगर में दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो	Delhi Milk Scheme Depot in Prem Nagar..	96
700. रबी की फसलों का उत्पादन	Production of Rabi Crops ..	96
702. गुजरात को माइलो की सप्लाई	Supply of Milo to Gujarat	96—97
703. पटसन की खेती	Jute Cultivation	97
704. देश में बिना लाइसेंस के रेडियो सेट	Unlicenced Radio sets in the country ..	98
705. प्रचार का माध्यम	Publicity Media	98—99
706. अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों को लोक प्रिय बनाना	Popularisation of High yielding variety seeds	99
707. उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि	Farmers dues outstanding against Sugar Mills in U. P.	100
708. मजूरी बोर्डों के पंचाटों की क्रियान्विति	Implementation of Wage Board Awards ..	100
709. खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of foodgrains ..	101

710. हड़ताल से प्रभावित कर्मचारी	Employees affected by strike	.. 101—102
711. बिहार में सूखा	Drought in Bihar	102
712. चण्डीगढ़ में श्रमिक बस्तियां	Labour colonies, Chandigarh	103
713. गोरक्षा समिति का प्रतिवेदन	Report of cow protection committee	.. 103—104
714. गो-रक्षा के लिये संसद् सदस्यों द्वारा धरना	Dharna by M.Ps. for Cow Protection	.. 104—105
715. भूमि का पुनर्उर्वरीकरण	Refertilisation of land	105
716. मशीनरी भण्डार व्यवस्था तथा कृषि उत्पादों के लाने ले जाने सम्बन्धी प्रशिक्षण	Training in machinery, storage and transportation of farm products	.. 105—106
717. उत्तर बिहार में टेलीफोन सेवायें	Telephone services in North Bihar	.. 106
718. मई 1969 में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान बीकानेर जिला कांग्रेस द्वारा उन्हें दिया गया ज्ञापन	Memo, submitted by district congress committee, Bikaner to the Prime Minister during her visit in May, 1969	.. 106—107
719. चौथी योजना में शामिल करने के लिये मध्य प्रदेश की उठाऊ सिंचाई योजना	Lift irrigation schemes in Madhya Pradesh for inclusion in Fourth plan	107
720. मध्य प्रदेश में भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Survey of underground water in M. P.	.. 107—108
721. मैसर्स बरहानपुर ताप्ती मिल लिमिटेड (मध्य प्रदेश) की ओर कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया धन राशि	Arrears of employees provident fund due from M/s. Burhanpur Tapti Mill Ltd. (Madhya Pradesh)	.. 108—109
722. आंध्र प्रदेश को उर्वरकों का आवंटन	Allotment of fertilizers to Andhra Pradesh	.. 109
723. राजस्थान के दस्यु ग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन	Public telephones in Dacoit infested Areas in Rajasthan	.. 109
724. सूरतगढ़ फार्म को राजस्थान सरकार को सौंपना	Handing over of Suratgarh Farm to Rajasthan Government	110
725. हरियाणा में सूखा	Drought in Haryana	.. 110—111

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

726. चावल मिलों के लिये स्थान	Location of rice Mills ..	111—112
727. तार इंजीनियरिंग प्रभागों के स्तर पर दूर संचार सलाहकार समितियां	Tele-communication advisory committees at the level of telegraph Engineering Divisions	112
728. औद्योगिक कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के बारे में कार्यकारी दल	Working Group of family pensions to Industrial workers	113
729. अस्पतालों/चिकित्सालयों के निर्माण के लिये गुजरात राज्य को ऋण	Loan to Gujarat State for Construction of Hospitals/Dispensaries ..	113
730. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण डाक व तार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary action against P & T employees for participating in 19th September, 1968 strike ..	113—114
731. हिमाचल प्रदेश में ऊन के उत्पादन में सुधार	Improvement in production of wool in Himachal Pradesh ..	114—115
732. जम्मू व काश्मीर को चावल की सप्लाई	Rice supply to Jammu and Kashmir ..	115—116
633. असरगंज तथा संग्राम पुर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public call offices at Asarganj and Sangrampur	116
734. मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों को रखने के लिये गोदाम	Storage of foodgrains in M. P.	117
735. मेहतरों की काम की शर्तें	Working condition of s cavengers	117
736. तीन स्तरीय पंचायती राज स्थापित किया जाना	Introduction of 3 Tier Panchayati Raj System	118
737. गुप्त मतदान द्वारा श्रमिक संघों का निर्वाचन	Election of labour unions through secret ballot	118
738. मनीपुर प्रशासन द्वारा विवाद को न्याय निर्णय के लिये सौंपना	Reference of disputes for adjudication by Manipur administration ..	119
739. मद्रास पत्तन में हड़ताल	Strike in Madras Harbour ..	119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
740. डाक घरों में बचत बैंक	Savings Banks in Post offices	.. 119—120
741. महिलाओं को नौकरी	Employment of women	120
742. नौकरी के लिये भूतपूर्व सैनिकों का रजिस्ट्रेशन	Registration of ex-servicemen for employment	.. 121
743. काम दिलाऊ दफ्तर के अधिकारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान	Payment of dearness allowance to officers of employment exchanges	.. 121
744. पंजाब में बीज फार्मों का नीलाम	Auction of seed farms in Punjab	.. 121—122
745. गांवों में टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities in villages	122
746. डाक तार कार्यालयों में चोरियां	Thefts in P & T Offices	.. 122—123
747. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, महाराष्ट्र	Employees Provident Fund Organisation, Maharashtra	.. 123
748. पश्चिम बंगाल की चावल की आवश्यकता	Rice Requirement of West Bengal	.. 123—124
749. चौथी योजना में छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation schemes during Fourth Plan	.. 124—125
750. डाक घरों तथा उनके कर्मचारियों की संख्या	Number of post office and employees	.. 126—127
751. मध्यस्थता को बढ़ावा देने सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड	National arbitration promotion Board	.. 127—128
752. नई चीनी मिलों के लिये लाइसेंस	Licences for new Sugar Mills	.. 128
753. केरल क्षेत्र के डाक तार विभाग में मुअत्तिल और सेवा मुक्त कर्मचारी	Employees under suspension and Termination in Kerala Circle of P & T Deptt.	.. 129
754. सनावाद तथा खारगोन के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Direct telephone line between Sanavad and Khargaon	129
755. खाद्यान्नों पर से राशनिंग हटाना	De-rationing of foodgrains	130
756. मछली पकड़ने की बन्दरगाह परियोजना, हल्दिया	Fishing Harbour Project, Haldia	.. 130—131

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
757.	कृषि विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता — World Bank aid for Agriculture development	131
758.	छुट्टियों के बारे में समान राष्ट्रीय नीति — National policy on Holidays	131—132
759.	श्री अत्रे की स्मृति में डाक टिकट — Commemorative stamp on Shri Atre	132
760.	सहरसा में डाक तथा तार सुपरिण्टेण्डेण्ट का कार्यालय खोला जाना — Opening of an office of superintendent of Post Offices at Saharsa	132—133
761.	बिहार में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को कोसी क्षेत्र भत्ता — Kosi field allowance to P & T Employees in Bihar	133
762.	सहकारी समितियों द्वारा ऋण — Loan by cooperatives	133
763.	सोयाबीन की खेती — Soyabean cultivation	134
764.	राज्य सरकारों द्वारा ट्रैक्टरों की बिक्री — Sale of tractors through State Governments	134
765.	कृषि का विकास करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से ऋण — Loans from international Agencies for Development of Agriculture	135
766.	अमरीका द्वारा यूरोपीय देशों को कम मूल्य पर गेहूं का विक्रय — Under selling of wheat by USA to European countries	135
767.	उड़ीसा के लिये गेहूं का कोटा — Wheat quota for Orissa	135—136
768.	दण्डकारण्य में उद्योग स्थापित करना — Setting up of Industries in Danda-Karanya	136
769.	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय — Indian Repatriates from Burma	137
770.	दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में प्रसारण — Broadcast regarding admission to various courses in Delhi University	137
771.	अनाज की वसूली — Procurement of foodgrains	138
772.	संसद् सदस्यों के टेलीफोन पर लम्बी डोरियां — Long cords of Telephones of M.Ps.	138

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

773. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के अधिकारियों का घेराव	Gherao of officers of Indian Iron and Steel Co. Burnpur ..	138—139
774. राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers of co-operation ..	139
775. राजस्थान के किसानों को तकावी ऋण	Taccavi loans to Rajasthan Farmers ..	139
776. शरणार्थी संघर्ष समिति की मांगें	Demands by refugee action committee ..	140
777. भारत तथा अमरीका में दूध की प्रति व्यक्ति खपत	Per capita consumption of milk in India and USA ..	140—141
778. मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों में गन्ने का मूल्य	Sugarcane prices in Mysore and Maharashtra States ..	141—142
779. गांवों में डाकघरों के कार्यभारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती	Reduction in allowance paid to Incharge of village post offices ..	142
780. चीनी के दाम में समानता	Equalisation of Price of Sugar	143
781. नलकूप लगाना	Sinking of Tube-wells ..	143—144
782. टेलीविजन सेट के चलने से चूहों का मरना	Rats killed by working of Television	144
783. मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन	Wheat Production in Madhya Pradesh ..	144—145
784 दरभंगा (बिहार) में आकाशवाणी का नया केन्द्र	New Radio Stations at Darbhanga (Bihar)..	145
785. मैसूर में टेलीफोन सम्बन्धी मांग	Demand for Telephones in Mysore ..	145—146
786. खाद्य पदार्थों का विपणन	Marketing of Food Products	146
787. जर्मनी संघीय गणराज्य द्वारा गेहूं का अनुदान	Wheat Grant by Federal Republic of Germany ..	146—147
788. पूर्वी जर्मनी के व्यापार प्रतिनिधि से समाचार पत्रों को सहायता	Aid to Newspapers from East German Trade Representative	147
789. संसद् सदस्यों के लिये टेलीविजन सेट	Television sets for M.Ps ..	147—148
790. अनाज का समाहार	Procurement of Foodgrains ..	148

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
791. चावल, चीनी तथा बनस्पति तेल के मिलों की स्थापना	Setting up of Rice, Sugar and Vegetable Mills ..	149
792. श्रम उत्पादिता की समस्या	Problem of Labour Productivity	150
793. भारत में धान कूटने की सुविधायें	Rice Milling Facilities in India ..	150—151
794. आसाम में बसे शरणार्थियों के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Refugees Settled in Assam	151
795. हरिजनों के लिये आवास भूमि	Homestead Lands for Harijans	152
797. दुग्ध संयंत्रों के लिये हरियाणा को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Haryana for Milk Plants..	152
798. मत्स्य पालन परियोजनाओं के लिये नार्वे द्वारा ऋण	Norwegian Loan for Fishery Projects ..	152—153
799. दिल्ली टेलीफोन निदेशिका का सावधिक प्रकाशन	Periodical Issue of Delhi Telephone Directory ..	153—154
800. गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा विमानों से कीटनाशी औषधियों का छिड़काव	Aerial Spray of Insecticides by Private Companies	154
अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने का कथित निर्णय	Reported decision by USA to Supply Arms to Pakistan ..	155—157
श्री रा० वे० नायक	Shri R. V. Nayak	155
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	155, 156—157
श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद तथा श्री अ० कु० गोपालन के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य	Statement re. reported statement of Shri E. M. S. Namboodiripad and Shri A. K. Gopalan ..	158—162
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	158, 159, 161—162
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ..	162—164
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ..	165

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ..	165
ब्यासीवां प्रतिवेदन	Eighty-second Report	165
दण्ड तथा निर्वाचन विधियां (संशोधन) विधेयक	Criminal and Election Laws (Amendment) Bill ..	165—186
विचार करने का प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to Consider, as reported by Joint Committee	165
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ..	166—167
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkande Rai ..	167—168
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	168
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	168—169
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	169, 170
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ..	170—171
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	171
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	171—173
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	174
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati ..	174—175
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ..	175—176
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail ..	176—178
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshi Das Jadhav	179
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ..	179—180
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	180
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijay Nath	180
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	181—182, 185—186
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	186
सैंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty-seventh Report	186

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 24 जुलाई, 1969/ 2 श्रावण, 1891 (शक)
Thursday, July 24, 1969/Sravana 2, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 91 ।

श्री क० लकप्पा : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रश्न दक्षिण भारतीय राज्यों के सम्मान पर कलंक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप बैठ जाइये ।

श्री क० लकप्पा : इस बारे में मैं नियम 41 (2) का उल्लेख करना चाहता हूं । प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रश्न है, और यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरि कृष्ण : महोदय । प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है ?

श्री ए० श्रीधरन : दक्षिण भारतीय राज्यों पर यह एक आक्षेप है । प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का पक्ष लिया जाता है । आप देश का इस प्रकार कैसे विभाजन कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । बहुत समय से यह इस सभा की प्रथा रही है कि प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठाये जाते । मैं समझता हूं कि यदि इस समय व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार किया जाय तो उससे पर्याप्त कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं तथा काफी समय नष्ट हो जायगा । एक अन्य वरिष्ठ सदस्य ने भी इस बारे में मुझे लिखा है किन्तु मैं

उनसे भी निवेदन करता हूं कि यदि हम इस प्रथा को इस विशेष विषय के वोट तोड़ते हैं तो.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न, प्रश्न की ग्राह्यता से सम्बन्ध रखता है। प्रश्नोत्तर काल में किसी अन्य मामले पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता किन्तु जब किसी प्रश्न की स्वीकार्यता के बारे में ही कुछ त्रुटि हो तो क्या उस समय भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ? इस सभा में ऐसा पहले भी किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार हुकम सिंह जब अध्यक्ष महोदय थे उस समय स्वयं मैंने यह प्रश्न उठाया था। उनकी अध्यक्षता में ही मैंने यह प्रश्न उठाया था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपको स्मरण रखना चाहिये कि इस सभा में पहले भी ऐसा हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक प्रश्न संख्या 109 प्राप्त नहीं हुआ है। उस प्रश्न के आने पर मैं इस बात पर विचार करूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि यह प्रश्न नहीं भी आता तब भी वह रिकार्ड में तो है ही। यह प्रश्न तारांकित तथा रिकार्ड में है। आप यह नहीं कह सकते कि जब वह आयेगा तब इस बारे में विचार होगा। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के प्रश्न को स्वीकार किया जाना चाहिये था। इस प्रश्न के बारे में बहुत से नाम एकत्रित किये गये हैं।

श्री क० लकप्पा : आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि एक सुनिश्चित प्रथा को तोड़ना नहा चाहता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : प्रश्न यह है कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे स्वीकार कर लिया गया। (**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, Sir, your secretariat have been provided with full authority to change such words from the questions while admitting them as may likely to arouse any objection in the House. And as such, these words should have been changed accordingly by your secretariat.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी ने भी आग्रह किया है तथा मैं भी यही समझता हूं। सदन में उत्तर दिये जाने के लिये प्रश्नों को स्वीकार करते समय बहुत से प्रश्न होते हैं तथा कभी-कभी बहुत से नाम भी मिला दिये जाते हैं (**अन्तरबाधाएं**) शान्ति शान्ति। कुछ माननीय सदस्य यह भी अनुभव करते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं होता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस बारे में प्रश्न यह है कि जब कभी प्रश्नों में सुधार किया जाता है तो प्रश्नकर्ता को यह सूचित किया जाता है कि प्रश्न को इस प्रकार से सुधारा जा रहा है। प्रश्न संख्या 109 की विषयवस्तु श्री जगजीवन राम के वक्तव्य के बारे में हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से पूर्णरूप से सहमत हूं किन्तु मेरा नाम इस प्रकार से जोड़ा गया है कि लगता है जैसे मैं, उनके कथन का विरोध करता हूं। श्री जगजीवन राम ने

कहा था कि यदि हरिजनों तथा आदिवासियों ने काश्त के लिये खेती योग्य भूमि को हथिया लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने इस बात को न्यायसंगत सिद्ध किया है। मैं यह जानना चाहता कि क्या सरकार ने भी इस नीति को स्वीकार किया है। उसी वक्तव्य के आधार पर प्रश्न पूछा गया था। किन्तु मेरा नाम प्रश्नकर्ताओं में इस प्रकार जोड़ा गया है जिससे प्रतीत होता है कि मैं भी उस वक्तव्य का विरोध करता हूं। किन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। अतः भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी इस प्रकार से नामों को एकत्रित किया जाय तो कम से कम प्रश्नकर्ता को यह अवश्य बता देना चाहिये कि इस प्रश्न को इस प्रकार बदल रहे हैं और क्या आप अपना नाम इस प्रश्न में रखना चाहते हैं अथवा नहीं क्योंकि मेरा प्रश्न स्वीकार नहीं किया किन्तु मेरे नाम को अन्य नामों के साथ जोड़ दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है। माननीय सदस्य भी ठीक ही कह रहे हैं। नामों को एकत्रित करते समय जहां किसी प्रकार की आपत्ति की सम्भावना हो वहां सचिवालय को सावधानी से काम लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब इस मामले को और आगे बढ़ाना नहीं चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a well-established point that the question should not cast any aspersion.

Shri Madhu Limaye : I am at a loss to understand that where the sense of aspersion is revealed in a statement which says that the States of Orissa and Bihar in India are most backward areas while it is a fact. (**Interruptions**) I might be corrected by changing certain words.

Shri Kanwar Lal Gupta : I agree to what Shri Shridharan and Shri Lakappa have stated that such a wording may give a fallicious impression and that the office should have tried to avoid such a situation by recognising that fact that the whole country is undivided. It is not justifiable to charge someone that there is discrimination in favour of the South Indian States. All the States should be given equal treatment. Figures are collected from all the States and the whole picture is uncovered by these figures. Therefore, it should not be felt that the States are treated differently. Thus it would be better to change the wordings of this question.

श्री क० लकप्पा : इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिये तथा इसका मसौदा दुबारा बनाना चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी आपत्ति को ध्यान में रख लिया है तथा इसके शब्द विन्यास के बारे में देख लिया है। इस बारे में दो प्रकार की कार्यवाही की जा सकती हैं। हमें अवश्य ही इसे टाल देना चाहिये। इसके आने से मंत्री महोदय उत्तर देते समय निश्चिततः कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : The wording of the question should be changed.

उपाध्यक्ष महोदय : जिन प्रश्नों को स्वीकार किया गया है उन्हें प्रस्तुत करते समय यथा सम्भव सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने इस बात को पहले ही समझ लिया है।

श्री एन० शिवप्पा : महोदय, हमारे जिन माननीय मित्र ने यह प्रश्न उठाया है उनका कहना है कि अध्यक्ष महोदय के कार्यालय को इस मामले को लाने में सावधानी बरतनी चाहिए थी। किन्तु जिन माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को प्रस्तुत किया है उनकी मन्शा भी देखनी चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा उन्होंने दक्षिण और उत्तर में स्पष्ट रूप से भेदभाव रखा है। उन्होंने तामिलनाडु के बारे में उठाये गये प्रश्न का जहां विरोधी दल की सरकार है भी पूरा ध्यान रखना चाहिए था। इसकी आज अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रश्न में सुधार होने के बाद ही आगामी समय में विचार होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रश्न संशोधित रूप में इस मंत्रालय के लिये निर्धारित दिन में ही लिया जा सकता है। (**व्यवधान**) चूंकि प्रश्न के वर्तमान स्वरूप पर आपत्ति उठाई गई है अतः उसे सम्बद्ध मंत्रालय के लिये अगले निश्चित दिन में ही संशोधित करके स्वीकार किया जा सकता है।

श्री चेंगलराया नायडू : जिस रूप में प्रश्न को उठाया गया है वह आपत्तिजनक है। यद्यपि इस विषय में प्रश्न उठाये जा सकते हैं तथापि दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत की इस प्रकार तुलना नहीं की जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दक्षिण भारत को कोई अधिक हानि नहीं है। वास्तव में इस समय दक्षिण भारत अधिक प्रभावित है क्योंकि दक्षिण भारतीय भद्र हैं तथा वे इस प्रकार शोर नहीं मचाते। इस प्रश्न को अस्वीकृत करना चाहिये क्योंकि प्रश्न पूछने का यह उचित ढंग नहीं है अतः मैं इसका भारी विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सम्बद्ध माननीय सदस्य को बुलाऊंगा तथा मैं इस प्रश्न को रोके रहूंगा तथा इसे दुबारा तैयार करने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : केरल तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारें पहले से ही यह कह रही हैं कि राज्य सरकारों के साथ पक्षपात किया जाता है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को सम्बद्ध मंत्रालय के लिये अगले निर्धारित दिन पर ही लिया जायेगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : महोदय ! यदि आप विभाग द्वारा दिये उत्तर पर कृपया ध्यान देंगे तो आपको उठाई गई आपत्तियों के कुछ उत्तर मिलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पढ़ूंगा। उत्तम यही रहेगा कि अगले अवसर पर इसमें संशोधन करके ही इसे प्रस्तुत किया जाय। बस अब समाप्त करिये। अगला प्रश्न संख्या 92. (**व्यवधान**)

Shri Sheo Narain : Sir, since you accepted the question why it should be modified now (**Interruptions**). As it has been accepted the question of modifying it does not arise. (**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये तथा कार्य को आगे बढ़ने दीजिये।

श्री शिव नारायण : यह हमारे लिये असह्य है। सरकार ने तथा आपने प्रश्न को स्वीकार कर लिया है किन्तु आज आप उसमें सुधार करना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को निकाल नहीं रहा हूं। प्रश्न के बारे में भी कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति केवल प्रश्न की भाषा पर है।

श्री शिवनारायण : आप सभा के संरक्षक हैं अतः आप हमारी रक्षा कीजिये। गत 20 वर्षों से हमारी नितांत उपेक्षा की जा रही है। यद्यपि आपने प्रश्न स्वीकार किया है किन्तु अब आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं। आज हम लोग पीटे जा रहे हैं। हमारे पास मकान नहीं हैं। हमारे साथ हर प्रकार की ज्यादती हो रही है। बड़ी अंधेरगर्दी चल रही है, हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। आज हमारी उपेक्षा की जा रही है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। आप इस सभा के संरक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिये। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न को निकाला नहीं है। केवल प्रश्न की भाषा के बारे में आपत्तियां हैं।

श्री शिवनारायण : हम यहां इन लोगों के आधिपत्य में रहने के लिये तैयार नहीं है। (**व्यवधान**)

Shri M. A. Khan : Since the question has been accepted, there is no point of modifying the same now.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। अब मैं अगले प्रश्न पर जा रहा हूं।

Shri Sheo Narain : The Government should make a reply to this question. It is the responsibility of the Government.....(**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न की भाषा से अर्थ में अन्तर पड़ा है अन्यथा उनका यह आशय नहीं था। मैं कह चुका हूं कि मैं इस प्रश्न को निकाल नहीं रहा हूं, इसको फिर रखा जाएगा।

श्री शिवनारायण : आप सरकार द्वारा दिये गये उत्तर को क्यों रोक रहे हैं? आप सभा के संरक्षक हैं अतः आप हमारी रक्षा करिये ... (**व्यवधान**)

Shri M. A. Khan : As compared to the others the Government have neglected us and what objection can be raised against this saying. (**Interruptions**) What would be wrong in my mentioning that as compared to the rest of the areas the States of U. P. and Bihar are the neglected ones and, therefore, some provisions should be made for them ? (**Interruptions**)

Shri Sheo Narain : Our demand is not unfair....(**Interruptions**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्तर और दक्षिण का नहीं है। कुछ शब्द अनुपयुक्त हैं। अगला प्रश्न। (**व्यवधान**) भाषा में संशोधन करने से पूर्व मैं माननीय सदस्य की बात सुनूंगा।

Shri Molahu Prasad : Sir, I want to raise a point of order....(**Interruptions**)

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, you do not allow Hon. Members to put the questions and it would be a wrong convention. You may kindly listen to the Hon. Member who is raising a point of order (**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। मैं प्रश्न को निकाल नहीं रहा हूं। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये प्रस्तुत हैं किन्तु उत्तर देने के बारे में भी आपत्ति है। (**व्यवधान**)

श्री शिव नारायण : प्रत्येक माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है। आपने प्रश्न को स्वीकार किया है अतः सरकार को उसका उत्तर देना ही चाहिए। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हम सभी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उपेक्षित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। हम उपेक्षित हैं। (**व्यवधान**)

Shri M. A. Khan: Will you not allow us to state this fact that the people of 20 districts in the States of U. P. and Bihar have been starving?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रश्न को लाया गया तथा यदि इसे अग्रिमता दी गई तो आपको अवश्य अवसर दिया जाएगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह दुर्भाग्य की बात है कि गत दो दिवसों से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है अतः यह कोई नई बात नहीं है कि इस प्रश्न को नियमों की हत्या करके स्वीकार किया गया है .....

श्री मधु लिमये : क्या नियम हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रश्नों को स्वीकार करने के बारे में नियम हैं।

श्री मधु लिमये : कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है? (**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि आप कहते हैं कि इसे नियम विरुद्ध स्वीकार नहीं किया गया तो अवश्य ही इसका उत्तर दिया जाता। यदि इसे नियमों के विरुद्ध स्वीकृत किया गया है ..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। नियमों के उल्लंघन का कोई प्रश्न यहां नहीं है। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार की है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उन पर आक्षेप किया गया है। फिर भी मैंने इसे निकाला नहीं है।

Shri M. A. Khan: Sir, when the Hon. Minister is prepared to reply to the question then what objection you should have to it?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछने के लिये अवसर दिया जायेगा। केवल भाषा के बारे में ही आपत्ति है।

श्री एम० नारायण रेड्डी : अगले प्रश्न को लेने की घोषणा कर दी गई है।

Shri Molahu Prashad: On a point of order, Sir. The name of the bulletin placed before you is National Applied Economic Research Council, 1955-56. According to the said bulletin 22 districts in Uttar Pradesh, 12 districts in Bihar, 5 districts in each of the Orissa and Madhya Pradesh States, 3 district in each of the States of Mysore and Maharashtra, 2 districts in each of the States of Assam, Andhra and West Bengal and one district in each of the States of Madras and Rajasthan have been found poverty-hit areas. Apart from this 11 districts of

the Uttar Pradesh State are said to be most backward ones..(**Interruptions**). I am quoting it from the speech given by the Governor, Shri V. Gopal Reddy, before the National Development Council held in New Delhi on the 18th May, 1968. He further added that during the last 17 years the Central Government spent Rs. 373 crores on certain Electric Generating Projects being undertaken by the Centre. But none of them have been installed in the State of Uttar Pradesh..(**Interruptions**)

श्री एन० शिवप्पा : माननीय सदस्य गुण-दोष निकाल रहे हैं ।

श्री क० लकप्पा : दक्षिण भारतीय राज्यों के व्यक्तियों के मस्तिष्कों में एक बुरी भावना जागृत की जा रही है ।

श्री एम० नारायण रेड्डी : आप अपना विनिर्णय दे चुके हैं । (**व्यवधान**)

Shri Ram Sewak Yadav : He intended to say that when the Governor themselves stated the same points before the National Development Council as raised in this question then why should the objections be raised regarding this question? The question should have been accepted with certain minor modifications..(**Interruptions**)

Shri Sheo Narain: Mr. Deputy Speaker, Sir, I am protecting your rights. I am helping you... (**Interruptions**)

श्री मनुभाई पटेल : हम श्री श्रीधरन, श्री क० लकप्पा तथा अन्य दक्षिण भारतीय मित्रों की भावनाओं का आदर करते हैं । प्रश्न के आने से दोनों ही ओर के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी । किन्तु चूंकि प्रश्न को स्वीकार कर लिया है अत: उन्हें सरकार के विचारों को सुनने के लिये धैर्य रखना चाहिए । उन्हें देखना चाहिये कि क्या सरकार की भी यही भावना है । सरकार के विचारों को जानने के पश्चात वे किसी भी प्रकार का विरोध दिखाने के लिये स्वतंत्र हैं । अत: हमें अब सरकार से प्रश्न का उत्तर देने के लिये अनुरोध करना चाहिए । (**व्यवधान**)

Shri Kanwar Lal Gupta: What is this going on, Sir? Half an hour has been wasted. Is there no chief whip to control all this?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि विनिर्णयों पर इसी प्रकार से चर्चा चलती रही तो इसका कोई अन्त नहीं होगा । माननीय सदस्य विनिर्णयों के बारे में इसी प्रकार अपने-अपने तर्क देते रहेंगे । अत: अब आप कृपया अगले प्रश्न को लें ।

डा० सुशीला नैयर : मैंने नियमों तथा व्यवहार पद्धति का अध्ययन किया है तथा उसके अनुसार जब कोई प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है तथा उस प्रश्न को उत्तर के लिये पुकार लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे वापस लेने या उसे स्थगित करने की कोई व्यवस्था नहीं है । अत: इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है । मैं इस प्रश्न को अगले अवसर पर उत्तर देने की अनुमति दूंगा तथा तब प्रश्न कर्त्ताओं को अग्रिमता दी जायेगी । केवल प्रश्न की भाषा में संशोधन करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त मैंने अन्य किसी बात की अनुमति नहीं दी है । अब हमें आगे चलना है ।

Shri Prem Chand Verma : Sir, kindly listen to me for a second only..

उपाध्यक्ष महोदय : इसका कुछ तो अन्त होना ही चाहिये । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं । अगला प्रश्न । **(व्यवधान)** माननीय मंत्री महोदय के अगले प्रश्न के उत्तर के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात को रिकार्ड में नहीं सम्मिलित किया जायेगा ।

बेरोजगारी की समस्या

+

*92. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

श्री एस० आर० दामानी :

श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1968 तक प्रतिवर्ष बेरोजगारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ;

(ग) इस समय बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है तथा चौथी योजना के अन्त तक सम्भावित संख्या क्या होगी ; और

(घ) इस समस्या का सामना करने के लिये सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं तथा बेरोजगारी दूर करने के लिये चौथी योजना में क्या व्यवस्था की गई है ;

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी आगणन पर बनाई विशेषज्ञों की समिति आजकल इन पहलुओं पर विचार कर रही है ।

(घ) जैसा कि चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के मसौदे के पैरा 21.16 में उल्लिखित है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा नौकरी चाहने वालों के लिये अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is highly regretted to note such a reply as given by the Government. The Fourth Five Year Plan is in the hands of Government yet they are not aware of the extent of the new employment opportunities to be created during this plan period. The Government are not in position of assessing the total number of unemployed persons not covered during this period. We enquired of the total unemployment before the commencement of the First Five Year Plan but the Government are unaware of that. We also wanted to know the extent of increase in the unemployment taken place during the year 1968 but you are not even aware of that much. What do you know, then ? It may be presumed that you are incapable of making any assessment regarding the unemployment during the plan-period yet to come. But the Hon. Minister must know the figures regarding the unemployment during the period covered by the last Five Year Plans.

What startles us more is that in our country as much as 50 thousand Engineers are unemployed. Universities and colleges have been producing 40 thousand Engineers and Technicians every year and thus the total number of unemployed engineers and technicians has increased to 90,000 in this year. In this manner the number of jobless persons is going on increasing.

In this context may I know whether the Hon. Minister is aware of the news item describing the statement given by Shri Jagjiwan Ram who have reportedly suggested that a work centre should be set up for these unemployed persons and the Government should provide them employment in these work centres till they are not blessed with regular jobs? These persons should be given training and they should also be given salaries commensurate with their work. May I know whether the attention of the Government has been drawn to this suggestion made by Shri Jagjiwan Ram, and if so, whether the Government are willing to accept it, and if not, the reasons thereof?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : माननीय सदस्य ने श्री जगजीवन राम द्वारा दिये गये सुझावों, कि बेरोजगारों के लिये कुछ कार्य केन्द्र खोले जायं जिनमें उन्हें काम मिल सके, तथा उन्हें उसके बदले में कुछ वेतन भी मिल सके, के बारे में चर्चा की है। योजना आयोग इस सुझाव पर विचार कर रहा है। योजना आयोग को ही यह सुझाव दिया गया है तथा आयोग ही इस बारे में विचार कर रहा है।

Shri Om Prakash Tyagi: May I know whether the Government's attention has been drawn to the editorial item wherein it has been speculated that at the end of the Fourth Five Year Plan the number of unemployed persons will be more than 2 crores. In the circumstances it is incumbent upon the Government to provide employment and the means of livelihood to all the persons who are willing to lead their lives honestly and who want to earn their livlihood by fair means. If the Government fail to provide them work they should be given maintenance allowances by the Government. The unemployment—problem will not be solved unless such steps are taken by the Government. In this context may I know whether the Government will agree to give an unemployment allowance to the jobless persons as long as they are not provided with any type of work, and if not, the reasons thereof?

श्री हाथी : जहां तक तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या का सम्बन्ध है सरकार के पास कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है और इसी कारण हम संख्या नहीं बता रहे हैं। किन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी देश में बेरोजगारी है। यह सच है कि बेरोजगारी है किन्तु यह संख्या सही नहीं है। अतः हम कोई संख्या नहीं बता रहे हैं। यदि आप रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या पर ध्यान दें तो आपको विदित होगा कि 13 लाख व्यक्तियों में से लगभग 11 लाख ऐसे हैं जो मैट्रिक पास हैं या हायर सेकेण्डरी पास है। स्नातकों या स्नातकोत्तरों की संख्या लगभग 1,75,000 है। फिर भी इन आंकड़ों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता।

श्री सु० कु० तापड़िया : जब माननीय मंत्री को जिस सूचना पर स्वयं विश्वास नहीं है तो वह उसे सदन में क्यों देते हैं ?

श्री हाथी : इन आंकड़ों से केवल उन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का पता लगता है जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे अन्य व्यक्ति भी बेरोजगार हो सकते हैं जिन्होंने अपने नाम इन कार्यालयों में दर्ज नहीं कराये हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The question is whether the unemployment has been gradually increasing.

श्री हाथी : मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि बेरोजगारी विद्यमान है। किन्तु संख्या पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या संख्या बढ़ रही है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्हें बताना चाहिये कि बेरोजगारी बढ़ रही है अथवा नहीं।

Shri Om Prakash Tyagi : My Question has not been replied. I said that it was the duty of the Government to provide employment to the people and if the Government was unable to provide them proper work they should have given them maintenance allowances. May I know, therefore, whether the Government will consider this aspect, and if they are not willing to give any allowance to these people, the reasons thereof?

श्री हाथी : जहां तक काम देने का सम्बन्ध है इसके लिये कार्य-केन्द्र खोलने, जहां पर उनको काम दिया जा सके, की योजना पर विचार किया जा रहा है। किन्तु सभी बेरोजगारों को भत्ता आदि नहीं दिया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 93-95 तथा उसके बाद प्रश्न संख्या 118 और 116 परस्पर सम्बन्धित प्रश्न हैं। हम पहले प्रश्न संख्या 93-95 पर साथ-साथ विचार करेंगे।

Shri Prem Chand Verma : The names of about 20 Hon. Members are clubbed in these questions and, therefore, only those Hon. Members can raise their supplementaries. We can not put questions.

शिक्षित युवकों में बेरोजगारी

*93. **डा० रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन :
श्री जागेश्वर यादव :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय युवक महासंघ तथा अखिल भारतीय छात्र महासंघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार को एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या उन्होंने एक दिन की भूख हड़ताल भी की थी ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

(क) एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को पेश किया गया था ।

(ख) ऐसी सूचना है कि वे एक दिन की भूख हड़ताल पर रहे ।

(ग) (1) पहिले से काम पर लगे हुए कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करना ।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक नियोजन अवसर जुटाना ।

(3) सभी स्तरों पर शिक्षा को श्रम से जोड़कर शिक्षा में व्यवसायिक रूझान की व्यवस्था ।

(4) बैंकों का राष्ट्रीयकरण ।

(5) उन सभी बेरोजगार व्यक्तियों को जिन्होंने नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज करवा रखे हैं निर्वाह भत्ता देना ।

(घ) और (ङ). ज्ञापन में उठाये गये मामले सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीति के भाग हैं और वे निरन्तर सरकार के विचाराधीन हैं । योजना आयोग ने भी चौथी पंचवर्षीय योजना में श्रम केन्द्रित कार्यक्रमों को अपनाकर नियोजन अवसरों में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखा है । इसके अतिरिक्त, आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिये हाल ही में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । सम्बन्धित मंत्रालयों को सुझावों पर समुचित कार्यवाही करने को कहा गया है ।

बेरोजगारी भत्ता

*94. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री शारदानन्द :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैकि उन बेरोजगार व्यक्तियों के लिये जिनके नाम रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज हैं, कोई बेरोजगारी भत्ता स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या कोई ऐसी योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल ही पैदा नहीं होता।

देश में बेरोजगारी

*95. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जि० मो० बिस्वास : **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या उपाय करने का विचार है ;

(ख) देश में (एक) पूर्णरूपेण बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों ; (दो) पूर्णरूपेण बेरोजगार अशिक्षित व्यक्तियों ; (तीन) आंशिक रूप से बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों ; और (चार) आंशिक रूप से बेरोजगार अशिक्षित व्यक्तियों की राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1971 में होने वाली आगामी जनगणना में बेरोजगार व्यक्तियों की ठीक संख्या का पता लगाने का है ; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के उद्योगपतियों से बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद देने के लिये अनुरोध किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद):(क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये अधिक पूंजी लगाने के फलस्वरूप अकृषीय नियोजन अवसरों के तीव्र गति से बढ़ने की सम्भावना है। सुनियोजित खनन और उत्पादन की त्वरित प्रगति, सहायक और लघु उद्योगों के प्रोत्साहन, ग्रामीण तथा घरेलू उद्योगों को लगातार दी जाने वाली सहायता, ग्रामीण

क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की अधिकाधिक व्यवस्था, मरम्मत तथा रखरखाव सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार, निर्माण कार्य के स्तर में वृद्धि, संचार यातायात और बिजली व्यवसायों के इनफ्रास्ट्रेक्चर के निर्माण की बड़े पैमाने पर व्यवस्था एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार द्वारा सीधे नियोजन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध होंगे जिनमें स्वयं-नियोजन भी सम्मिलित है ।

(ख) और (ग). विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । योजना आयोग ने बेरोजगारी आगणन पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है जो देश में बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी तथा अपने सुझाव देगी । इसके साथ-साथ समिति बेरोजगारी, अपूर्ण योजगार तथा रोजना अवधि के दौरान उपलब्ध नियोजन अवसरों के विश्वसनीय आंकड़ों के अनुमान का सुझाव देगी । समिति का कार्य प्रगति में है ।

(घ) 1971 की जनगणना द्वारा बेरोजगारी पर कुछ आंकड़े उपलब्ध होंगे ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध करते समय सरकार ने उद्योगपतियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया था ।

डा० रानेन सेन : विवरण में यह कहा गया है कि अखिल भारतीय युवक संघ तथा अखिल भारतीय छात्र संघ द्वारा कुछ मांगें रखी गयी थीं । बेरोजगारी के बढ़ने का एक कारण कारखानों का बन्द होना, छंटनी तथा जबरी छुट्टी है । इसका दूसरा कारण स्वचालित मशीनों तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरणों का लगाया जाना है । तीसरे सरकार ने नियोजकों को यह निदेश दिया है कि भर्ती केवल रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से की जाये । सरकार की सद्भावना तथा उसके निदेशों के होते हुये भी कारखानों को बन्द किया जा रहा है, छंटनी की जा रही है तथा जबरी छुट्टियां की जा रही हैं और धीरे-धीरे देश भर में स्वचालित मशीनों को लगाया जा रहा है तथा इस प्रकार बहुत से व्यक्तियों को नौकरी से निकाला जा रहा है । दूसरे रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से पहले तो भर्ती की ही नहीं जा रही है और यदि की भी जा रही है, तो बहुत कम व्यक्तियों को भर्ती किया जा रहा है । जब इन दो निकायों द्वारा अपने ज्ञापन में ये बातें उठाई गई थीं तो क्या उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था और यदि हां, तो सरकार द्वारा छंटनी, कारखानों के बन्द करने, जबरी छुट्टी तथा स्वचालित मशीनों के लगाये जाने इत्यादि को रोकने के लिये वास्तव में क्या प्रभावी कार्यवाही गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : इस सब प्रश्नों पर विचार किया गया था । लोगों को रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से रोजगार देने के प्रश्न पर केवल एक सप्ताह पहले ही विचार किया गया था । नई दिल्ली में रोजगार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की बैठक हुई थी और उसमें श्रमिकों, नियोजकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । नियोजकों पर यह

प्रभाव डाला गया था कि जब भी स्थान रिक्त हों, उन्हें अवश्य रोजगार दिलाऊ दफ्तरों को सूचित करना चाहिये तथा रोजगार दिलाऊ दफ्तरों द्वारा भेजे गये नामों पर विचार किया जाना चाहिये। यह एक नई व्यवस्था है। उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर अन्य कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु यदि रोजगार दिलाऊ दफ्तर पांच व्यक्तियों के नाम भेजता है और आप किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लेते हैं तथा रोजगार दिलाऊ दफ्तर द्वारा भेजे गये व्यक्तियों की अर्हतायें आप द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से अधिक हैं, तो अधिकारी यह कह सकेगा कि आपने उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है। यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है।

स्वचालन के सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट है। छंटनी करके स्वचालन लागू नहीं किया जायेगा। इस नीति को क्रियान्वित करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल में कारखानों के बन्द होने तथा छंटनी किये जाने का प्रश्न है मेरे माननीय मित्र स्वयं उस समझौते में शामिल थे जो श्रमिकों और नियोजकों के बीच हुआ था। श्रमिक संगठनों, नियोजन संगठनों तथा सरकार ने मिलकर यह सूत्र बनाया है कि छंटनी किये जाने पर उस मामले को उस निकाय को सौंपा जायेगा जिसके बारे में जनवरी 1969 में सहमति हो गई थी तथा उस निकाय का फैसला अंतिम होगा। यदि नियोजकों को छंटनी करने का कोई अधिकार नहीं है अथवा वे औचित्य से अधिक व्यक्तियों की छंटनी कर देते हैं तो मामला समिति को भेजा जा सकता है और समिति का निर्णय अन्तिम होगा। यह निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा श्रमिकों तथा नियोजकों की सलाह से किया गया था। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह तन्त्र कहां तक ठीक काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि समझौता होने के बाद उस सूत्र को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

डा० रानेन सेन : बेरोजगार युवकों ने देश भर में प्रदर्शन किये थे तथा यह मामला केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है। पश्चिम बंगाल में स्थिति और भी अधिक दयनीय है। इस बात को देखते हुये कि देश भर में प्रदर्शन हुये हैं क्या सरकार चौथी योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के श्रमिकों को प्रोत्साहन देने वाली किन्हीं श्रम प्रधान योजनाओं को क्रियान्वित करेगी ताकि अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सके ?

श्री हाथी : जहां तक श्रमिकों को प्रोत्साहन देने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध है मैंने योजना आयोग के समक्ष यही सुझाव रखा है कि श्रम प्रधान योजनाओं को अपनाया जाना चाहिये। दूसरे हमें छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिये। शायद माननीय सदस्य को पता है कि नये उद्यमियों को स्टेट बैंक से एक लाख रुपये तक ऋण तथा अन्य सहायतायें दी जाती हैं। हमें यह भी देखना है कि मैट्रिक तथा हायर सेकेण्डरी पास उन लड़कों को भी जिनकी कोई तकनीकी अर्हता नहीं है, कुछ तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये तथा हम स्वयं नियोजन पर जोर दे रहे हैं ताकि वे स्वयं छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित कर सकें। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण के अन्तिम 8 अथवा 9 महीनों के दौरान प्रशिक्षणार्थी से यह पूछा जाये कि क्या वह अपना वर्कशाप आरम्भ

करेगा और यदि हां, तो किस उद्योग में । प्रशिक्षणार्थी की रुचि वातानुकूलनों की मरम्मत, मोटर गाड़ियों की मरम्मत तथा अन्य किसी मेकैनिकल एवं इलैक्ट्रिकल व्यवसाय में हो सकती है और उस स्थिति में उसे उसी व्यवसाय का व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा और बाद में अपना व्यवसाय चलाने में भी उसे सहायता दी जायेगी । प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपनी वर्कशाप स्थापित करने के लिये हम उसे कुछ वित्तीय सहायता भी देंगे । हम उन्हें ऋण देंगे ताकि वे अपनी वर्कशाप स्थापित कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि कृषि को यंत्रीकृत किया जा रहा है तथा अब अधिक ट्रैक्टरों, बूलडोजरों, फसल काटने की मशीनों, फसल बोने की मशीनों, डीजल इंजनों, पम्पों इत्यादि का इस्तेमाल किया जाने लगा है । किसानों को ट्रैक्टरों की मरम्मत कराने में कठिनाई होती है । उन्हें कस्बों में स्थित वर्कशापों में जाना पड़ता है । हम गांवों के आस-पास वर्कशाप स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसके लिये विशेष रूप से ग्रामीण युवकों को कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा उनके रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके । मैंने सभा की जानकारी के लिये कुछ योजनाओं का उल्लेख किया है ।

Shri Yajna Datt Sharma: Will the Hon. Minister be pleased to state whether Government proposes to launch any huge plan by giving agriculture, monetary and technical help to industries in addition to the small schemes mentioned by the Hon. Minister the purpose of this is only the temporary adjustment of unemployed labour. I want to know whether Government will lay before the Parliament any huge scheme for solving the unemployment problem.

श्री हाथी : वास्तव में मैंने यही कहा है । हम न केवल उन नये उद्यमियों तथा इंजीनियरों को जो छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऋण देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

श्री जयसिंह : मेरी जानकारी यह है कि हमारे देश के 138 इंजीनियरी कालेजों तथा 288 पोलिटैकनिकों से प्रतिवर्ष लगभग, 40,000 अर्हता प्राप्त इंजीनियर निकलते हैं । इस समय देश में 80,000 से अधिक ऐसे अर्हता प्राप्त इंजीनियर हैं, जो लाभकारी रोजगार की तलाश कर रहे हैं । गत वर्ष गृह-कार्य मंत्रालय ने जो 14 सूत्री कार्यक्रम बनाया था, वह इस समस्या को हल करने में बिल्कुल निष्प्रभावी सिद्ध हुआ है । स्कूल तथा कालेजों से बहुत बड़ी संस्था में अर्हता प्राप्त व्यक्ति निकल रहे हैं । इतने अधिक लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है । यह एक अविलम्बनीय समस्या है । इन सब बातों को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में जो आज व्यापक बेरोजगारी है, उसका संतोषजनक हल ढूंढने तथा उसके लिये मार्गोपाय बताने के लिये क्या एक पृथक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हाथी : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

Shri Hardayal Devgun : The problem of unemployment among the educated people is very serious and the seriousness of this problem can be well imagined from the fact that a qualified engineer in Gwalior has opened a Pakora shop, for he could not get any job. Another person has opened a sweet meats shop. Two demands have been made in this regard. The first demand is that education should be profession oriented so that the eduated people could start their profession. In this connection it was said by the Ex-Education Minister, Shri Triguna Sen that he had prepared a scheme for giving employment to engineers and after some time no engineer and for that matter no technically qualified person would remain unemployed. I want to know whether any such plan was acually prepared and if so to what extent that had been implemented and if not implemented the reasons therefor ?

In this connection this suggestion was given that it should be made compulsory for each of the contractors to whom Government contracts of more than Rs. 50,000 are awarded, to have at least one engineer and in this way employment could be given to engineers. The same provision should also be applicable to the factories which supply goods to Government. So I want to know whether Government are preparing any scheme on the basis of these suggestions.

Shri Hathi : Government gives training to engineers and attempts will be made to give the apprenticeship etc. also.

Shri Ramavtar Shastri : The statement that has been laid on the table shows that All India students' Federation and Youth Federation had put forward five demands. One demand of nationalisation has been met. No reply on remaining ones has been given. This has been stated that an expert committee of the Planning Commission is studying to determine the number of unemployed persons. I want to know whether a date line has been fixed by Government for the submission of report by this Committee ?

Bihar is a backward State. There are 20,000 trained teachers and 2,000 engineers without employment there. There are thousands of I. T. I. trained persons there. I want to know how many persons belonging to Bihar have been employed in public sector undertakings like Barauni Refinery and in Ranchi ? Will the Hon. Minister present a list of those persons ?

श्री हाथी : हमने दान्तवाला समिति से अपनी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र देने को कहा है । बिहार में बेरोजगार अथवा रोजगार वाले व्यक्तियों के बारे में आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Beni Shanker Sharma : The Hon. Minister will agree with me that in West Bengal there is the largest number of educated unemployed. There are big factories of Jute and automobiles in that state. There is danger of strike in Jute factories. I want to know what steps are being taken by Government in this direction ?

The number of unemployed in our country runs in crores. In Japan, the factories are run by one man or two men. The Hon. Minister has stated Government will encourage small units by giving loans of Rs. one lakh or two lakhs. I want to know whether Government will give smaller loans and encourage small industries ?

Shri Hathi : So far as Jute industry in West Bengal is concerned we are in touch with the State Government. We had a telephonic talk today also. The West Bengal Minister will be meeting the employees today. A scheme will be announced regarding small industries. The State Bank and other banks will give loans for that.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है कि रोजगार दफ्तर में रजिस्टर शुदा बेरोजगारों को कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा। यह सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता न करते परन्तु संसद् सदस्यों के भत्ते को 31 रु० से बढ़ाकर 51 रु० करने का एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है.....

श्री सु० कु० तापड़िया : यदि आप चाहें तो आप बढ़ा हुआ भत्ता न लें।

श्री शिवनारायण : क्या वह आश्वासन देंगे वह बढ़ा हुआ भत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री स० मो० बनर्जी : यदि माननीय मंत्री और सरकार रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर-शुदा बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता देने को तैयार नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें युवकों के असंतोष की जानकारी है.....

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसी बात है तो मैं प्रश्न नहीं करना चाहता। यदि आप ऐसा कहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी सभा भवन से उठ कर चले गये।

Shri S. M. Banerjee left the House at this stage.

उपाध्यक्ष महोदय : इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटे किसानों की सहायता हेतु विशेष योजना

*96. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री लताफत अली खां :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई महीने में नई दिल्ली में हुये राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि छोटे किसानों की, जो निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण प्राप्त नहीं कर सकते परन्तु जो अन्यथा आर्थिक दृष्टि से ऋण चुकाने की स्थिति में है, सहायता हेतु एक विशेष योजना बनाई जाये ;

(ख) क्या इस बीच ऐसी योजना तैयार की जा चुकी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह योजना देश के विभिन्न भागों में कुछ जिलों में क्रियान्वित की जायेगी और यदि हां, तो कितने जिलों का चयन किया जायेगा और किस आधार पर और यदि जिलों का चयन कर लिया गया है तो उनके नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा ऐसी योजना पहले ही तैयार की गई है और राज्यों को इसकी जानकारी कराने और उनके द्वारा इसे अपनाने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्तों के समक्ष रखा गया था ।

(ख) योजना तैयार की गई है परन्तु इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है ।

(ग) जी हां, देश के विभिन्न भागों में चुने हुए (20/21) जिलों में इस योजना को लागू किया जायेगा । जिलों के चयन के आधार इस प्रकार होंगे :

(1) पर्याप्त संख्या में ऐसे किसानों का होना जो इस समय ऋण देने के लिये विश्वास-पात्र नहीं परन्तु कुछ धन दिये जाने पर विश्वासपात्र बन सकते हैं, सघन खेती तथा सेवाओं और आवश्यक वस्तुएं ।

(2) सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होना, नीचे का पानी जिससे लाभ उठाया जा सके ।

(3) ऋण के वितरण के लिये व्यवस्था होना । राज्य सरकारों की सलाह से जिलों का चयन किया जायेगा ।

अनुबन्ध

छोटे किसानों के लिये योजना

यह देखा गया है कि देश में कृषि विकास कार्यक्रमों से छोटे किसानों को अनुपात से लाभ नहीं हुआ है । इस वर्ग के किसानों को विशेष सहायता देने के लिये विभाग ने एक छोटे किसानों के लिये योजना तैयार की है ।

छोटे किसानों में एक ऐसा वर्ग है जो प्रगति कर सकता है । यह ऐसे लोग हैं जो इस समय आर्थिक रूप में अच्छी स्थिति में नहीं हैं, परन्तु यदि उनकी भूमि में कुछ सुधार कर दिये जायें तो उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वे ऋण ले सकें । और वे सुधरे हुए बीजों और उर्वरक आदि की सहायता से अधिक उपज वाली उत्तम खेती कर सकते हैं । इस योजना की सहायता से इन छोटे किसानों की सहायता करने का प्रस्ताव है ।

इस योजना का देश के लगभग 25 जिलों में अग्रिम परियोजना के रूप में परीक्षण किया जायेगा और 5 वर्षों तक प्रत्येक के अन्तर्गत लगभग 50,000 लोक आयेंगे । प्रत्येक जिले में ऐसे

किसानों के लिये एक अलग एजेन्सी होगी। वह उनकी आर्थिक तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर ध्यान देगी और सिंचाई, भूमिसुधार, पशुपालन की समस्याओं और मशीनी सहायता के बारे में अध्ययन करेगी। यह एजेन्सी के लिये ऋण, आवश्यक वस्तुओं जैसे उवर्रक, अच्छे बीज, कुओं, सिंचाई के लिये पम्पों और अन्य सहायता सुनिश्चित करेगी। यह विशेष पशुपालन और मुर्गी-पालन कार्यक्रमों को हाथ में लेकर छोटे किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करेगी।

वर्तमान ऋण संस्थाएं इन किसानों को ऋण देने से हिचकचाती हैं। एजेन्सी उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण को अग्रिम राशियों को अनुदानों के रूप में दिलायेगी। इससे उनके ऋण सुरक्षित होंगे। एजेन्सी के पास कुछ मशीनें, जैसे ट्रैक्टर, छिड़काव और ड्रिलिंग रिगें आदि भी होंगी। यह राज्यों के वर्तमान विस्तार तथा कृषि विभागों के कर्मचारियों से लाभ उठायेगी, परन्तु साथ ही इसके कुछ अपने कर्मचारी भी होंगे। जिलों का चुनाव राज्य सरकारों की सलाह से किया जायगा। यह निर्णय पानी उपलब्ध होने और भूमिगत जल की संभावनाओं के आधार पर किया जायेगा। एजेन्सी के निदेशक बोर्ड पर राज्य सरकार के कृषि से सम्बद्ध विभिन्न विभागों जैसे कृषि तथा सहकार एजेन्सियों का प्रतिनिधित्व रहेगा। कार्य संचालन में मुख्य स्थान राज्य सरकार का होगा परन्तु योजना केन्द्रीय योजना के अर्न्तगत होगी। अस्थायी रूप से इसके लिये 30 करोड़ रुपये रखे गये हैं। प्रति जिला 1.6 करोड़ रुपये 5 वर्षों के लिये व्यय करने का प्रस्ताव है। इनमें से लगभग 90 लाख रुपये ऋण संस्थाओं को अनुदानों के लिये दिये जायेंगे। 25 लाख रुपये एजेन्सी के कर्मचारियों पर व्यय होंगे। 25 लाख रुपये उपकरण, मशीनों आदि की खरीद और रखरखाव पर और 25 लाख रुपये पशुपालन आदि कार्यों पर व्यय होंगे।

एजेन्सी द्वारा जिले में कार्य करने के लिये कोई कठोर बातें निर्धारित नहीं की गई हैं। यह जिले की विशेष आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। जहां एक परियोजना पर अधिक व्यय होगा, वहां दूसरी परियोजनाओं पर कम व्यय होगा। ऐसे फेरबदल करने की गुंजाइश होगी।

Demand for Tractors

*97. **Shri Ram Charan:**
Shri P. M. Sayeed:
Shri Raghuvir Singh Shashtri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government is not able to meet the present demand of the farmers for tractors and, therefore, the price of tractors in black-market is increasing; and

(b) if so, the number of tractors at present required in the country and the time by which Government would be able to meet this demand and the steps taken to check black-marketing?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha.

Statement

All possible efforts are being made to meet the rising demand of tractors to the maximum extent possible. As against the demand of 60,000 tractors for 1968-69, imports for 15,000 tractors had been arranged. Besides, 15,466 tractors were manufactured indigenously. Owing to constraint on foreign exchange it was not possible to arrange for larger imports. Taking into account the backlog of previous years the demand of tractors for the current financial year 1969-70 has been assessed at about 83,000 tractors. Against this the indigenous production is estimated to be of the order of 20,000 tractors. A substantially larger programme for import of tractors for the year 1969-70 is under consideration of the Government.

While there is no statutory control over the distribution of indigenously manufactured tractors, the distribution of imported tractors is being made by the Agro Industries Corporations which are Government companies set up by various States. This coupled with the increased availability of tractors during the course of the current year will, it is hoped, go a long way towards eliminating black-marketing in tractors, if any.

रोजगार की स्थिति

*98. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशक द्वारा रोजगार के बारे में की गयी एक समीक्षा के अनुसार कम से कम संगठित क्षेत्र में वर्ष 1967-68 के दौरान देश में रोजगार प्राप्ति के अवसरों में और अधिक कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने देश में फैली बेरोजगारी की इस भयावह समस्या के करणों की विशेष रूप से जांच की है ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके और उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जैसाकि प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित समीक्षा में पहिले से ही उल्लिखित है रोजगार प्राप्ति के अवसरों की धीमी प्रगति के महत्वपूर्ण कारणों में से कुछेक निम्नलिखित थे :

(1) पिछले कुछ वर्षों के दौरान धन के निवेश में कमी,

(2) आर्थिक क्षेत्र में मंदी के रुझान जो 1966 से दृष्टिगत हुए ।

दिल्ली के लिये अतिरिक्त देशी गेहूं का नियतन

*99. **श्री रा० की० अमीन** :
श्री मीठालाल मीना :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में 10,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त देशी गेहूं के

नियतन के लिये अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने जुलाई, 1969 में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिये लाल मेक्सिकन गेहूं के अलावा 10,000 मीटरी टन देशी गेहूं के लिये कहा था ।

(ख) उपलब्धि के अनुसार, सप्लाई के लिये 10,000 मीटरी टन लाल अथवा अम्बर रंग का देशी मेक्सिकन गेहूं आवंटित किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Export of Sugar

*100. **Shri J. Sunder Lal :** **Shri R. K. Birla :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Gadilingana Gowd :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri D. N. Tiwary :**
5hri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which Sugar was exported during 1968-69, the quantity exported and the rate at which it was exported ;

(b) whether there was a loss on this account and if so, the steps taken to avoid it ;

(c) whether in view of the increasing demand of sugar in the country, it is proposed to cut the export quota ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Sales of sugar for export are made on calendar year basis. The country-wise quantity of sugar exported in 1968 and the estimated f.o.b.s. realisations therefrom are as under :

Country	Quantity exported (Tonnes)	Estimated F. O. B. S. realisation Rs./Tonne
1. U. K.	25,400	861
2. U. S. A.	73,328	1,063

(b) Government did not meet any loss on exports in 1968. This was met by the industry.

(c) and (d). Exports of sugar had been reduced from 4.41 lakh tonnes in 1966 to 2.17 lakh tonnes in 1967 and 0.99 lakh tonnes in 1968. As regards 1969, commitments made so far envisage an export of about 95,000 tonnes only.

Due to increased sugar production and larger releases, sugar position has considerably eased now.

उत्तर प्रदेश को सघन कृषि कार्यक्रम के लिए फोर्ड फाउंडेशन से सहायता

*101. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउन्डेशन ने उत्तर प्रदेश को सघन कृषि कार्यक्रम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी सहायता दी थी;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कौन से जिले चुने गए थे और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या चतुर्थ योजना में भी उत्तर प्रदेश को इसी प्रकार से सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

(क) फोर्ड फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सघन खेती जिला कार्यक्रम में भाग लिया था । तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम की लागत में इसका भाग 54.93 लाख रुपये था ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ जिले को सघन खेती जिला कार्यक्रम के लिये चुना था । यह कार्यक्रम 1961-62 की खरीफ फसल के समय चालू किया गया था । कार्यक्रम के आरंभ किये जाने के बाद उर्वरकों, सुधरे बीजों, कीटनाशक पदार्थों आदि की खपत बहुत बढ़ गई है । नाइट्रोजन वाले उर्वरक की खपत 1961-62 की 1,588 टन से बढ़कर 1967-68 में 25,779 टन हो गई । और फासफेट उवर्रक की खपत उसी अवधि में 343 टन से बढ़कर 6,010 टन हो गई । इसी भांति सुधरे बीजों के वितरण की मात्रा 1961-62 में 48 टन थी और यह 1967-68 में बढ़ कर 1,371 टनहो गई । और उनके अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 16,359 हेक्टर से बढ़कर 82,262 हेक्टर हो गया । कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग भी अधिक होने लगा । यह 1961-62 में 21 टन प्रयोग में लाये गये परन्तु 1967-68 में यह 152 टन की मात्रा में प्रयोग में लाये गये ।

कार्यक्रम के लागू करने के फलस्वरूप महत्वपूर्ण फसलों जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, चने की प्रति हेक्टर उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है । गेहूं की उपज में विशेष वृद्धि हुई है । गेहूं जिले की मुख्य फसल है । इसका 1958—68 में कार्यक्रम के आरम्भ करने से पहले का उत्पादन 10.3 क्विंटल प्रति हेक्टर था । यह 1967-68 में बढ़कर 16.0 क्विंटल प्रति हेक्टर हो गया और 1966-67 में अधिकतम उत्पादन 18.6 क्विंटल प्रति हेक्टर हुआ ।

अलीगढ़ जिले के उत्पादन दर राज्य के तथा निकटवर्ती जिलों के उत्पादन की तुलना में निरन्तर अधिक रहे हैं । गेहूं का औसत प्रति हेक्टर उत्पादन 1954-55 में 9.9 क्विंटल था ।

अब वह बढ़कर 14.2 क्विंटल हो गया है। यह 43.1 प्रतिशत वृद्धि है जोकि इस कार्यक्रम की अवधि में हुई है। उत्तर प्रदेश में निकटवर्ती जिलों में गेहूं की औसत उपज 8.3 से 9.3 क्विंटल प्रति हेक्टर से बढ़कर 8.3 से 11.0 क्विंटल प्रति हेक्टर हुई है। यह वृद्धि निकटवर्ती 23.6 प्रतिशत बैठती है और राज्य में यह 12.4 प्रतिशत बैठती है। मक्का और बाजरा में भी ऐसी ही प्रगति हुई है।

(ग) जी नहीं। चौथी योजना योजनावार सहायता की प्रणाली को बदलकर पूरे कृषि क्षेत्र के लिये ब्लाक अनुदान का तरीका अपनाया गया है। सघन खेती जिला कार्यक्रम के लिये अलग से कोई सहायता नियत नहीं की गई है।

जमा करने और लाने ले जाने में अनाज की हानि

*102. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० परपिया द्वारा दिये गये इन आंकड़ों का पता है कि भारत में अनाज जमा करने तथा उसे लाने ले जाने के दौरान लगभग 23 प्रतिशत अनाज की हानि हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा 1966 में नियुक्त विशेषज्ञ समिति के अनुमान के अनुसार खाद्यानों के फसल के बाद स्टोर करने और लाने ले जाने से 9.3 प्रतिशत औसत हानि होती है। सरकार द्वारा देश में तथा विदेशों में लिये जाने वाले खाद्यान्नों को गत चार वर्षों में मार्ग आदि में इस प्रकार हानि हुई।

वर्ष	मार्ग में हानि	स्टोर में हानि
	प्रतिशत	प्रतिशत
1964-65	0.31	0.26
1965-66	0.29	0.20
1966-67	0.49	0.14
1967-68	0.26	0.10

(ग) स्टोर करने में हानि को कम करने के लिये यह कार्यवाही की गई है :

(1) प्रयत्न किये जा रहे हैं कि स्टोरों में खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिये सभी

कीटनाशक पदार्थ और अपेक्षित उपकरण देश में ही बनाये जायें और प्रयोग कर्ताओं को सुगमता से मिल सकें ।

(2) सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है कि अनाज स्टोर किये जाने वाले मालगोदामों में चूहे तथा नमी न होने पाये ।

(3) समूचे देश में महत्वपूर्ण अनाज मंडियों और कुछ ग्रामीण केन्द्रों पर वैज्ञानिक तरीकों को दर्शाने वाला 'अनाज बनाओ अभियान' चालू किया गया है ।

(4) अनाज के स्टोर करने के बारे में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र विशेष विकास निधि की सहायता से इन सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा ।

(5) रोलर आटा मिलों, चावल मिलों और अनाज स्टाक करने वालों के लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि अपने यहां कीट नियन्त्रण उपाय करें ।

पश्चिम बंगाल के श्रम-विवादों को निपटाने हेतु एक त्रिपक्षीय समिति की स्थापना

*103. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसी त्रिपक्षीय समिति बनाने का सुझाव दिया है, जिसको सभी प्रकार के श्रम-विवाद जिनमें घेराव भी शामिल हैं, समाधान के लिये सौंपे जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार के सुझाव दिये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) श्रम विवादों का शीघ्रता से निपटारा करने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री से हुए विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया कि स्वतंत्र व्यक्ति की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाय । यदि इस समिति के निर्णय सर्व सम्मत हों तो उनका पालन करना श्रमिकों और नियोजकों के लिये अनिवार्य होगा और यदि सर्व-सम्मति से कोई निर्णय न हो सके तो अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा ।

(ख) यह सूचित किया गया है कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) इस मामले में अन्य राज्य सरकारों से भी आवश्यक रूप से विचार-विमर्श किया जायेगा ।

वनस्पति में रंग मिलाने सम्बन्धी समिति

*104. **श्री हेम राज :** **श्री नम्बियार :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री के० रमानी : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 20 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति में रंग मिलाने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तीन वर्ष से अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार समिति के निष्कर्षों से इस शर्त पर सहमत है कि वनस्पति के लिये उपयुक्त रंग खोजने के लिये सतत प्रयत्न किये जाते रहें । सरकार ने समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गेहूं और चावल के मूल्य

*105. **श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि की नई नीति के लिये उर्वरक, कीटनाशी पदार्थ, पम्प सैट, पैट्रोल आदि की वर्तमान सप्लाई सुनिश्चित के हेतु गेहूं और चावल का न्यूनतम मूल्य क्या है ;

(ख) यदि मूल्य इस स्तर से गिर जाये तो क्या सरकार उर्वरकों, कीटनाशी पदार्थों, पम्प सैटों और पैट्रोल के लिये राज्य सहायता देने के लिये तैयार है क्योंकि ये इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अधिक मूल्यों पर बिक रहे हैं ; और

(ग) प्रस्तावित रक्षित भंडार के लिये खाद्यान्नों का माल भरने की क्षमता के अनुसार समाहार हो जाने के बाद सरकार समाहार करके समर्थन मूल्य किस प्रकार बनाये रखेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) क्योंकि सरकार अधिप्राप्ति/साहाय्य मूल्यों पर अनाज की उपलब्ध सारी मात्रा खरीदने के लिये वचनबद्ध है, मूल्य इस या इससे अपर स्तर पर बने रहेंगे ; इसलिए आदानों (इनपुट) पर राजसहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) परिकल्पित बफरस्टाक तैयार हो जाने के बाद भी, बफर स्टाक से मन्द मौसम तथा मन्द वर्षों में खाद्यान्नों की निर्मुक्ति की जायगी। लगातार अच्छी फसलें होने पर भी देश के कुछ क्षेत्रों में पैदावार में कमी की सम्भावना हो सकती है। अत: बफर स्टाक की भरपाई करने के लिये साहाय्य मूल्यों पर खरीदारी जारी रखना सम्भव होगा।

(क) वर्ष 1968-69 के खरीफ और 1969-70 के रबी के विपणन वर्ष के लिये सरकार ने धान और गेहूं के न्यूनतम मूल्य घोषित नहीं किये, क्योंकि उसने आश्वासन दे रखा मा कि इसे वसूली मूल्यों पर अच्छी औसत किस्म सभी खाद्यान्न खरीदने हैं। वर्ष 1969-70 के मौसम के लिये गेहूं के खरीद मूल्य 76.00 रुपये हैं। चावल के 1968-69 में ये मूल्य 72.69 रुपये से 93.75 रुपये के बीच प्रति क्विंटल हैं।

1969-70 में खरीफ के लिये सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये हैं। स्टेन्डर्ड किस्म के धान के लिये यह 45.00 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया गया है। इन न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उत्पादन लागत, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की लागत और किसानों को प्रोत्साहन भी शामिल है, भी आते हैं।

दूरसंचार के लिये कनाडा से ऋण

*106. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये कनाडा से ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कनाडा सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक नहीं किये गये।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Resignation of Representatives of I. E. N. S. from Newsprint Advisory Committee

*107. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the members of the Indian and Eastern Newspapers Society

have resigned from the Newsprint Advisory Committee ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) The nominees of the Indian and Eastern Newspaper Society on the Newsprint Advisory Committee have submitted their resignations on the alleged ground that the Committee had not been consulted by Government before finalising their Newsprint Allocation Policy for 1969-70. The main features of the Policy were, however, discussed at the meeting of the Committee held on January 8, 1969.

(c) The matter is under consideration.

राष्ट्रीय कृषि आयोग

*108. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 20 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 513 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) आयोग के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और आशा है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा ।

कृषि योग्य सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*109. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री प्र० के० देव :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मई, 1969 के 'पेट्रियाट' में प्रकाशित यह समाचार सही है कि उन्होंने

मध्य प्रदेश में कुखई में हुये हरिजनों तथा आदिवासियों के सम्मेलन में यह कहा था कि खेती करने के लिये खेती योग्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने में कोई खराबी नहीं ;

(ख) क्या इस प्रकार सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहन देने से एक अभियान प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना नहीं है ; जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी भूमि के बीच भेद भूल जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे वक्तव्य का विरोध किया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य और कृषि मंत्री ने कुखई जिला विदिशा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के एक सम्मेलन में कहा था कि सरकारी परती भूमि में खेती करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने सरकारी भूमि को बलपूर्वक कब्जे में लेने का समर्थन नहीं किया था उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी बतलाया था कि सरकारी परती भूमि में खेती करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि भूमि वास्तव में सरकार की है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की।

(ग) इस सम्बन्ध में मन्त्रालय को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) अतः प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ तथा तूफान द्वारा क्षति

*110. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून 1969 के महीनों में किन-किन राज्यों पर बाढ़ और तूफान का प्रभाव पड़ा था और उनके कारण फसलों तथा जान और माल की कितनी हानि हुई थी ;

(ख) प्रभावित लोगों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी और राहत कार्यों पर कुल कितनी धन-राशि खर्च हुई ; और

(ग) कितने क्षेत्र में फसलों की हानि हुई और उत्पादन में कितनी कमी होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से मंगाई गई है और संकलित होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

*111. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत के 1800 शरणार्थियों को भूटान में फिर से बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास पर सरकार ने कुल कितनी धन राशि खर्च की है ;

(ग) जिन शरणार्थियों को अब तक नहीं बसाया गया है उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने नवयुवक तिब्बतियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिये धन की व्यवस्था की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग). लगभग 3,000 तिब्बती शरणार्थियों को 1963 में चालू किये गये क्रम वद्ध कार्य-क्रम के अन्तर्गत, भूटान में बसाया जा रहा है । प्रथम अवस्था में, 1966 के अन्त तक 800 शरणार्थी बसाये गये थे और भारत सरकार ने 13.27 लाख रुपये खर्च किए थे । द्वितीय अवस्था में जो कि सितम्बर, 1969 के अन्त तक पूर्ण होगी 19.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1000 शरणार्थी बसाये जा रहे हैं । शेष शरणार्थियों को 1972 के अन्त तक पुनर्वास दिया जाना प्रस्तावित किया गया है, इस पर 20.78 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अब तक भूटान में इस प्रयोजन के लिये 27,380 रुपये खर्च किये गये हैं । पुनर्वास योजना की तृतीय अवस्था के लिये 26,500 रुपये प्रदान किये जा रहे हैं ।

भाण्डागार क्षमता

*112. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिये इस समय देश में कितनी भाण्डागार क्षमता उपलब्ध है ;

(ख) 1968-69 के स्तर का उत्पादन पर खाद्यान्नों को भाण्डागारों में रखने के लिये कुल कितनी भाण्डागार क्षमता चाहिये ;

(ग) क्या सरकार के पास इसके आंकड़े हैं कि भाण्डागार सुविधा और परिवहन की कमी के कारण अप्रैल, 1968 से जून, 1969 तक की अवधि में कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ था ; और

(घ) क्या विशाल केन्द्रीय गोदाम बनाने की नीति के साथ-साथ सहकारी तथा किराये के आधार पर प्रत्येक गांव में गोदाम बनाने को प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध भण्डारण क्षमता बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। प्राइवेट क्षेत्र में इसकी क्या क्षमता है, इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को अपने स्टाक के लिये लगभग 55 लाख मीटरी टन भण्डारण स्थान की आवश्यकता है।

(ग) भण्डारण सुविधा अथवा ढुलाई की व्यवस्था में कमी के कारण खाद्य विभाग अथवा भारतीय खाद्य निगम का कोई भी खाद्यान्न स्टाक नष्ट नहीं हुआ था।

(घ) गांव स्तर पर गोदामों का निर्माण सहकारी समितियां कर रही हैं जिन्हें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कृषि रिफाइनान्स निगम, कृषि वित्त निगम और कमर्शियल बैंकिंग संस्थान इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

सरकारी क्षेत्र की भण्डार करने की क्षमता

(स्वामित्व वाली तथा किराये पर ली हुई)

लाख टनों में

भारतीय खाद्य निगम	54.62	फालतू तथा चालू स्टाक के लिये
राज्य सरकारें	28.34	मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा वसूल करने तथा वितरण के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली इसका एक भाग भा० खा० निगम ने किराये पर ले लिया है और उसके नाम के समक्ष दिखाया गया है।
केन्द्रीय भाण्डागार निगम	11.08	मुख्य रूप से कृषकों और व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाती है परन्तु 11.04 टन की क्षमता भा० खा० निगम ने किराये पर ले रखी है और उसके समक्ष दिखायी गई है।
राज्य भाण्डागार निगम	9.98	

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भंडार करने की क्षमता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

*113. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग के लिये नियुक्त मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं; और

(ग) उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) एक ओर अध्यक्ष तथा स्वतंत्र सदस्यों ने और दूसरी ओर नियोजकों व श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की हैं। इस मामले पर 1-3-69 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया गया। राज्य सरकारें राज्य स्तर पर नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से आरंभिक विचार-विमर्श करना चाहती थीं। श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों ने इस बात को मान लिया। इस प्रकार के विचार-विमर्श के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

संसद् सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्रों के वितरण में विलम्ब

*114. **श्री प० गोपालन** :

श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद् सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्रों के वितरण में असाधारण विलम्ब, के बारे में संसद सदस्यों से शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच की गई है और जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या विलम्ब न होने देने के लिये तथा इस संबंध में जनता और संसद् सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां। गत एक वर्ष के दौरान संसद् सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्रों के वितरण में विलम्ब होने के संबंध में कुल 20 शिकायतें मिली थीं।

(ख) उनकी पूरी तरह से छानबीन की गई थी और जांच के बाद प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवाई की गई।

(ग) इस बारे में पहले से इस आशय के अनुदेश मौजूद हैं कि संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों को काफी उच्च स्तर पर निपटाया जाए। इन मामलों की जांच डाक-तार सर्कल अध्यक्षों को स्वयं करनी होती है और इनका उत्तर भी आम तौर पर उनके हस्ताक्षरों से ही जाता है। जहां तक जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों का संबंध है, हाल में सभी स्तरों पर शिकायत अनुभागों का पुनर्गठन करके उनमें कर्मचारी बढ़ाए गए हैं। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिश करता है कि जनता की शिकायतों की ओर आवश्यक ध्यान दिया जाए।

सुपर बाजार

*115. **श्री बेधर बेहेरा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समितियों सम्बन्धी सलाहकार समिति के उद्घाटन के समय उन्होंने वक्तव्य दिया था कि देश में अधिकतर सुपर बाजारों की निष्क्रियता का एक मात्र कारण विदेशों में सुपर बाजारों के स्वरूप का अन्धानुकरण है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार के विरुद्ध, जिसने 10 लाख रुपये से अधिक का घाटा दिखाया है, कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री ने भारत में बहु-विभागी भंडारों को विदेशों से लिए गए विचार लागू करने के विरुद्ध सावधान किया है, क्योंकि इन देशों की परिस्थितियां भारत की परिस्थितियों के समान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन बिचारों तथा पद्धतियों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता। दिल्ली के सुपर बाजार में होने वाली हानियां प्रवर्तन, प्रशासनिक तथा परिचालन सम्बन्धी अधिक व्ययों, जिनमें कनाट सर्कस की इमारत का अधिक किराया भी शामिल है, के कारण हैं और सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने प्रशासनिक तथा कार्यचालन प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने तथा घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

ग्रामीण श्रमिकों के लिये रोजगार के अतिरिक्त अवसर

*116. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण युवकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देने और कृषि

तथा उनसे संबद्ध बिजली उपकरणों के रख-रखाव तथा छोटी-मोटी मरम्मत की सुविधायें देने के लिये एक प्रशिक्षण योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) किन स्थानों पर ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

1—उद्देश्य

प्रगतिशील किसानों द्वारा कृषि के आधुनिक तौर-तरीके अपना लेने से यह परमावश्यक हो जाता है कि उन्हें कृषि तथा उससे संबद्ध मशीनों के रख-रखाव तथा बड़े पैमाने पर मरम्मत की सुविधायें पहुंचाई जायें । अन्यथा उन मशीनों का बिना उपयोग किये पड़े रहने की सम्भावना है जिसके फलस्वरूप किसानों को हानि होगी या मरम्मत के लिये उन्हें शहरों में ले जाने पर मरम्मत में देरी होगी और उस पर भारी खर्च भी आएगा । अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना में ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ताकि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आवश्यकता हो वे कृषि सम्बन्धी उपकरणों के रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य कर सकें । इस प्रकार ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे ।

2—व्यवसाय जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा

निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है :

(क) सामान्य मिस्त्री का कार्य जिसमें मशीन जोड़ना (फिटिंग), शीटमेटल, लोहारी और कमदाव की बेल्डिंग सम्मिलित हैं ।

(ख) इंजिन, डीजल इंजिन (मुख्य-इंजिन) और बिजली मिस्त्री, तथा बिजली के उपकरणों तथा औजारों का प्रशिक्षण ।

(ग) खराद मिस्त्री जिसमें फिटिंग, टर्निंग बढ़ई और आकार बनाने का प्रशिक्षण भी शामिल हैं ।

(घ) ट्रेक्टर मिस्त्री जिसमें ह्वील्ड ट्रेक्टर, डीजल इंजिन और बिजली से चलने वाले अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों का प्रशिक्षण भी शामिल है ।

3—कार्यान्विति

सर्वप्रथम उन राज्यों में जहां कृषि के लिये मशीनों और बिजली उपकरणों के उपयोग में

पर्याप्त प्रगति हुई है, पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में इस कार्यक्रम को चालू करने का प्रस्ताव है ।

4—**वजीफा**

इस कार्यक्रम के आधीन प्रशिक्षण के लिए जिन ग्रामीण युवकों को प्रवेश मिलेगा उन्हें 45 रुपये प्रति माह की दर से वजीफा दिया जाएगा ।

5—**व्यय**

इस पर होने वाला पूरा व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा ।

Deaths Due to Drought in Rajasthan

*117. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of human beings and animals reported to have died as a result of drought in Rajasthan this year ;

(b) the amount spent so far for the protection of human beings and animals in the drought-hit areas ; and

(c) whether efforts are being made to find out a permanent solution of the problems of this drought-hit area of Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The State Government have reported that there has been no death of human beings due to drought and starvation.

The extent of mortality among the cattle due to drought is not yet known.

(b) The expenditure incurred by the State Government on drought relief operations during 1968-69 and the first quarter of 1969-70 is stated to be about Rs. 33.00 crores.

(c) Yes, Sir. Subject to the availability of resources, schemes for permanent development of the drought affected areas are included in the Plan programmes of the State. In considering the requirements of Central assistance for the Plan, due weightage is given to the backwardness, aridness, etc. of the State. To the extent possible, schemes of lasting benefit are also undertaken under the relief works programmes.

सामुदायिक रेडियो श्रवण योजना

*118. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सूची में से सामुदायिक रेडियो श्रवण योजना को निकाल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति ने, जिसने चौथी-पंचवर्षीय योजना (1969-74 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को शामिल करने के बारे में जांच की थी, यह निर्णय किया कि सामुदायिक श्रवण योजना को राज्य को सौंप दिया जाए ।

विश्व बैंक की सहायता से मछलीपालन उद्योग का विकास

*119. **श्री पी० विश्वम्भरन : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से मछलीपालन उद्योग का विकास करने के लिए अन्तिम निर्णय कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार है, उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मछलीपालन की परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के औचित्य के विषय में बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के विषय में निर्णय नहीं किया गया है । उनके बारे में बैंक के परामर्श से निर्णय किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के टेलीफोन को बीच में सुन लेना

*120. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जुगल मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की इस कथित शिकायत की कि उनके टेलीफोन को बीच में सुना जाता है जांच केंद्रीय जांच विभाग द्वारा करवाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की कब तक घोषणा कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Biscuit Factories

601. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that big biscuit factories have been set up in the rice areas of the country;

(b) if so, whether Government propose to set up a wheat buiscuit factory in Madhya Pradesh also which is known for the production of 'Jalaliya wheat' ;

(c) the names of the places where the factories of Modern Bakery, a Government Undertaking are situated ; and

(d) whether Government propose to set up such a factory in Madhya Pradesh also ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A few buiscuit factories have been set up in the private sector in some rice producing states such as Andhra Pradesh, Mysore and Tamil Nadu.

(b) Government have no proposal to set up a biscuit factory in Madhya Pradesh.

(c) Five bakery units of the Modern Bakeries (India) Ltd. have been set up at Ahmedabad, Bombay, Cochin, Madras and New Delhi. Besides, four more bakery units are going to be established at Bangalore, Calcutta, Kanpur and Hyderabad in the near future.

(d) There is no such proposal at present.

कर्मचारी भविष्य निधि का बकाया

602. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री बल्लारपुर, गुनगूस और शास्ती कोयला खानों के मालिकों की ओर कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशि के बारे में 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की इस समय क्या स्थिति है ; और

(ख) अब तक कितने मामलों में मालिकों पर मुकदमें चलाये गये हैं तथा उनके परिणाम क्या रहे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोयला खानों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के प्रशासन का दायित्व न्यासियों के बोर्ड का है, जो कि कोयला खान अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और इसका आद्यत: भारत सरकार से ताल्लुक नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त ने, जो कि न्यासियों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, स्थिति इस प्रकार बताई है :

(क) चौदह विचाराधीन प्रमाण-पत्र मामलों में से, 7 निपटा दिए गए हैं और लगभग 11,07,289 रु० की राशि वसूल की गई है।

(ख) अभियोजन के चार मामले चलाये गये हैं । ये अभी तक न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

भेड़ फार्मों की संख्या

603. **श्री बाबू राव पटेल:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में राज्य-वार कितने सरकारी भेड़ फार्म हैं, उन पर कितनी लागत आई है तथा प्रत्येक फार्म में किस किस्म की तथा कितनी भेड़ों का प्रजनन होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हिसार में भेड़ प्रजनन फार्म

604. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार (हरियाणा) में भारत-आस्ट्रेलिया भेड़ प्रजनन फार्म को, जिसे जल्दी खोलने का विचार है, किस तारीख से खोला जाएगा तथा उस पर कुल कितनी लागत आयेगी, आस्ट्रेलिया सरकार उसमें कितने रुपये देगी तथा क्या अंशदान करेगी ;

(ख) योजना का अध्ययन करने हेतु आस्ट्रेलिया भेजे गये अधिकारियों के नाम तथा उनकी अर्हतायें क्या हैं तथा उनके वहां भेजने पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) इस फार्म में अधिकारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायगा ; और

(घ) भारत में इस समय ऊन का कितना उत्पादन होता है तथा आस्ट्रेलियाई केरियाडाला नस्ल की भेड़ और भारतीय भेड़ों के संकट प्रजनन से ऊन के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हिसार (हरियाणा) का प्रस्तावित भारत-आस्ट्रेलिया भेड़ प्रजनन फार्म चालू वित्तीय वर्ष 1969-70 में कार्य आरम्भ कर देगा । भूमि की कीमत के अलावा 7 वर्ष की अवधि में इस फार्म पर कुल 133.04 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । आस्ट्रेलिया की सहायता का प्रतिमान 9,60,000 डालर (या लगभग 81.60 लाख रुपये) होगा । यह सहायता परियोजना के लिये विशेषज्ञों की सेवाओं, भेड़ों, उपकरणों, चारे तथा घास के बीजों, पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों तथा दवाइयों के रूप में होगी ।

(ख) इस परियोजना की क्रियान्विति के विषय में कोई अधिकारी आस्ट्रेलिया नहीं भेजा गया है ।

(ग) प्रशिक्षण मुख्यत: भेड़ों की सन्तति सुधार, प्रबन्ध पद्धतियों तथा भेड़ प्रजनन फार्म के संचालन, चारा-उत्पादन, संरक्षण तथा उपयोग के विषय में होगा ।

(घ) अनुमान है भारत में ऊन का वार्षिक उत्पादन 35.50 लाख किलोग्राम है । प्राय: स्थानीय भेड़ का मेरिनो और रामबुआलेट आदि विदेशी मेढ़े से संकरण से पता चलता है कि पहले संकरण से पैदा हुई भेड़ से लगभग 1.60 किलोग्राम ऊन उपलब्ध हुई है जबकि इसकी तुलना में स्थानीय भेड़ से 0.90 किलोग्राम ऊन उपलब्ध हुई है ।

कारखाना मजदूरों की नकद मजूरी तथा वास्तविक मजूरी

605. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार कारखाना मजदूरों की नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उपलब्ध सूचना पर आधारित एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1330/69]**

विदेशों द्वारा उर्वरकों की सप्लाई

606. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने उर्वरकों की सप्लाई करने के प्रस्ताव किये हैं ; और

(ख) इन प्रस्तावों के ब्योरे क्या हैं, तथा उन देशों के क्या नाम हैं जो भारतीय मुद्रा में भुगतान चाहते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969 की अवधि में निम्नलिखित देशों से उर्वरक मंगवाने का प्रस्ताव है :—

आस्ट्रिया, बेलजियम, बलगेरिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी, हालैंड, हंगरी,

इटली, जापान, कुवायत, नार्वे, पोलैंड, रुमानियां, स्पेन, स्वीडन, इंगलैंड, अमरीका, रूस तथा पश्चिम जर्मनी ।

(ख)

	उर्वरक का नाम	मीटरी टन	प्रति मीटरी टन दर (सी एंड एफ एफ ओ)
			(रुपये)
1. रूस	अमोनियम सल्फेट	190,000	330.00
	यूरिया	60,000	592.50
	पोटाश का म्यूरियेट	30,000	280.13
2. पोलैंड	यूरिया	105,000 (फर्म 90,000-15,000 मीटरी टन, बिक्रेता की इच्छा पर)	592.50
3. बुल्गारिया	यूरिया	117,000	592.50
4. हंगरी	यूरिया	18,000	593.00
		21,000	590.50
5. रूमानिया	यूरिया	25,000	592.00
6. जी०डी०आर	पोटाश का म्यूरिया	60,000	337.88 (सी एण्ड एफ लिमिटेड)

नागपुर में टेलीफोन कनेक्शन

608. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से नागपुर के टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) इस अवधि में कितने टेलीफोन लगा दिये गये हैं ;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह)

(क) 31 मार्च, 1966 को — 1,483
31 मार्च, 1967 को — 1,555
31 मार्च, 1968 को — 2,054
31 मार्च, 1969 को — 2,336

(ख) 1966-67—879
1967-68—214
1968-69—224

(ग) अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता की कमी के कारण ।

(घ) कुछ संस्थापना कार्य चल रहा है और आशा है कि 300 कनेक्शन जल्दी ही जारी कर दिये जायेंगे । इतवारी में 3,000 लाइनों का नया एक्सचेंज खोले जाने के बाद शेष मांग के पूरा हो जाने की सम्भावना है । आशा है कि यह काम आगामी छः महीने में पूरा हो जाएगा ।

काली मिर्च की संकर किस्म का विकास

609. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलीपुरम्बा स्थित काली मिर्च अनुसन्धान केन्द्र ने काली मिर्च की एक संकर किस्म का विकास किया है जिससे काली मिर्च की पैदावार दुगनी हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो काली मिर्च का अधिक मात्रा में निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये क्या केरल सरकार ने काली मिर्च की संकर किस्म की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है, यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है तथा उस पर कितना खर्च होगा; और

(ग) क्या उस योजना को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है यदि हां, तो किन संशोधनों के साथ स्वीकार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). संकर काली मिर्चों और अदरक की विदेशी किस्मों के वर्धन और वितरण के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय संचालित तथा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से एक योजना को स्वीकार की है जिस पर सन् 1968-69 से कार्य हो रहा है । यह योजना केरल सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

1969-70 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 2 हैक्टर क्षेत्र में काली मिर्च और एक हैक्टर क्षेत्र में अदरक बोने का प्रस्ताव है । चालू वर्ष के बजट में इस योजना के लिये 0.93 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

लघु सिंचाई क्षमता का सर्वेक्षण

610. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालाबों तथा नदियों के तल में मिट्टी आदि जमा हो जाने से नष्ट हुई लघु सिंचाई क्षमता का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बेरोजगार इंजीनियरों को इस कार्य पर तथा बाढ़ में अन्य कार्य पर नहीं लगाया जा सकता ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Water Crisis in Madhya Pradesh

611. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report that a serious water crisis has arisen this year at Chanderi (Madhya Pradesh) as a consequence of drying up of all the wells, Baolis and tanks and hundreds of cattle heads are dying due to the non-availability of water;

(b) if so, the measures adopted by the Central Government to remove the serious water crisis and famine in the said area and at other places in Madhya Pradesh; and

(c) the names of the areas of Madhya Pradesh in which serious water famine has been experienced this year and the loss of life as well as of cattle heads suffered so far as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The State Government has intimated that the news report of water scarcity in Chanderi and death of a few cattle was received by them. A Water Supply Scheme for Chanderi town has already been under execution since November, 1968. The Local Municipal Committee has made arrangements for supply of water by truck and also from a tube-well.

Reports of Water Scarcity have also been received from Rewa and Satna Districts. The State Government has placed funds at the disposal of collectors under 'Famine Relief' for relieving water scarcity. No loss of human or cattle life has been reported from these two districts.

Underground Water in Rajasthan

612. **Shri N. K. P. Salve :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have constituted any Experts' Committee to explore the under-

ground water in those areas of Rajasthan where it is found in abundance or have advised the Government of Rajasthan in this regard;

(b) whether Government's attention has been drawn to the fact that plenty of underground water is available in some Districts of Rajasthan; and

(c) the reaction of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir. However the State Government has constituted a Committee at the State level to coordinate the work being done in respect of groundwater exploration by the Rajasthan Groundwater Board, Geological Survey of India (Western Region) and the Exploratory Tube-wells Organisation.

(b) The State Government and the Government of India are aware of the underground water potential in some of the districts of Rajasthan.

(c) Groundwater Surveys and Investigations are being carried out by the Rajasthan Groundwater Board and the Geological Survey of India (Western Region). A special project for assessing the groundwater potential of specified areas of Jalore and Jaisalmer districts is under implementation by the E.T.O. with the technical and financial assistance from the United Nations Development Programme (Special Fund). The E.T.O. has also carried out exploration in the Western districts of Rajasthan in the past to assess the groundwater availability and potential. Over 300 State tube-wells have been constructed to utilise extensively the total groundwater resources for irrigation and drinking water purposes. Special schemes for intensive development of groundwater have been and are being taken up by the State Governments with the assistance from the institutional sector, especially from the Agricultural Refinance Corporation.

हिसार में भेड़पालन प्रक्षेत्र

613. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार ने हरयाणा राज्य में हिसार के निकट एक बड़ा भेड़पालन प्रक्षेत्र स्थापित करने के लिये सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और आस्ट्रेलिया सरकार ने क्या और किस प्रकार की सहायता दी है; और

(ग) इस प्रक्षेत्र में ऊन के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। आस्ट्रेलिया सरकार ने हरियाणा में हिसार के निकट एक बड़ा भेड़पालन

प्रक्षेत्र स्थापित करने के लिये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) हिसार में एक केन्द्रीय भेड़पालन फार्म की स्थापना की जा रही है जिसके लिये हरियाणा सरकार ने 7,000 एकड़ भूमि का क्षेत्र उपलब्ध किया है। आस्ट्रेलिया की सरकार 9,60,000 आस्ट्रेलियन डालर (या लगभग 81.60 लाख रुपये) की आर्थिक सहायता देगी जिससे भेड़पालन प्रक्षेत्र के पशुधन के सम्भरण, विशेषज्ञों की सेवाओं, उपकरणों, चारे की फसलों तथा घास के बीजों, पशु-चिकित्सा सम्बन्धी यन्त्रों तथा औषधियों की कीमत पूरी हो जायेगी।

(ग) प्रक्षेत्र का पूर्ण विकास होने पर फार्म में भेड़ों की संख्या लगभग 10,000 होगी। ऊन का अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 27,000 से 29,000 किलोग्राम होगा।

जापान को मक्का की सप्लाई

614. **श्री को० सूर्य नारायण :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जापान द्वारा पूछताछ की गई थी कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार जापान को मक्का सप्लाई कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो जापानी फर्मों या सरकार द्वारा की गई पूछताछ का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जापान को मक्का निर्यात करने की सम्भावना के सम्बन्ध में जांच-रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है।

आकाशवाणी के प्रसारणकर्त्ता कलाकारों के लिये शुल्क

615. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के प्रसारणकर्त्ता कलाकारों को दिये जाने वाले शुल्कों में गत 29 वर्ष से कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्यमान समय की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित संशोधन करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं । यह सच नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

खाद्य उत्पादन का अनुमान

616. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अदिचन :
श्री निहाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री लताफत अली खां :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में देश में राज्यवार लक्ष्यों की तुलना में खाद्य उत्पादन के नवीनतम अनुमान क्या हैं;

(ख) यदि कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1969-70 के लिये विभिन्न खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1969-70 के लिये खाद्य उत्पादन योजना का प्रस्तावित परिव्यय क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के खाद्यान्नों के उत्पादन के अखिल भारतीय पक्के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) 1969-70 के लिये समस्त खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 1050.0 लाख मीटरी टन है । विभिन्न खाद्यान्नों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(घ) विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत 1969-70 के वर्ष के

लिये खाद्य उत्पादन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विकास शीर्षकों के अधीन योजना आयोग द्वारा जो उद्व्यय अनुमोदित किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं :

	(करोड़ रुपयों में)
1. कृषि उत्पादन	51.57
2. लघु सिंचाई	79.92
3. क्षेत्र विकास	3.04
4. भूमि संरक्षण	18.45
5. भांडागार तथा विपणन	0.91

अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता

617. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने के कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों, जैसे बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने तथा सघन खेती योजनाओं की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप, इसी अवधि में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, देश किस वर्ष तक अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1971 के पश्चात् पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात बन्द करने का विचार है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं ।

पंचायती राज संस्थाएं

618. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश में अधिकतर पंचायती राज संस्थायें प्रभावहीन हैं और परिणामतः कोई लाभकारी कार्य पूरा हुए बिना ही देश के संसाधन खर्च किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय तथा सुदृढ़ बनाने के लिये क्या निश्चित उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की इस वर्ष मई में नई दिल्ली में कोई बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस बैठक में क्या विशिष्ट सुझाव तथा विचार व्यक्त किये गये थे और

उस बैठक में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय तथा सुदृढ़ करने के लिये यदि कोई योजना तैयार की गई थी, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं। देश में पंचायती राज संस्थाओं के काम की जांच करने और उनको सुदृढ़ करने के लिये सुझाव देने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) अखिल भारतीय पंचायत परिषद की बैठक में दिये सुझावों तथा व्यक्त किये गये विचारों और पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिये अपेक्षित उपायों को संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

गोदामों में भरने तथा लादने-उतारने में अनाज की क्षति

619. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय खाद्य तथा प्राद्योगिकी अनुसन्धान संस्था के निदेशक के समाचारपत्रों में छपे इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि अनाज को गोदामों में भरने तथा लादने-उतारने में होने वाली 25 प्रतिशत क्षति न होने दी जाये तो प्रति व्यक्ति आय 15 प्रतिशत बढ़ जायेगी ;

(ख) इस प्रकार होने वाली अनाज की क्षति को कम करने के बारे में चौथी पंच-वर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इससे देश में प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि हो जायेगी ; और

(ग) इस दिशा में क्या विशेष उपाय करने का प्रस्ताव है और इन उपायों के परिणाम-स्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनाज के मामले में हमारा देश कितना आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार "कुपोषण की समस्या का मुकाबला करने के लिये खाद्य औद्योगिकी का योगदान" विषय पर लेडी इर्विन महाविद्यालय के छात्रों के सम्मुख भाषण देते हुए निदेशक महोदय ने यह कहा था कि खाद्य विधायन, संरक्षण तथा भण्डारण के आधुनिक तरीकों से खाद्यान्न

की हानि को 25 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य की खपत में प्रति व्यक्ति वृद्धि होगी।

(ख) चौथी योजना के दौरान गोदामों में हानि को कम करने के लिये कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि मूषक तथा सीलन से सुरक्षित गोदामों के निर्माण तथा भण्डारण के वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के लिये प्रोत्साहन देने तथा खाद्यान्न के परिरक्षण के माध्यमों से ऐसी हानियों को कम करने के लिये प्रयत्न किये जाएंगे। प्रारूप-योजना में सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा नये गोदाम बनाने हेतु 45 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है तथा केन्द्रीय तथा राज्य भण्डागार निगमों द्वारा नये गोदाम बनाने के लिये क्रमश: 12 करोड़ और 6 करोड़ रुपये का प्रावधान है। भण्डारण के वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के लिये प्रोत्साहन देने तथा खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिये भी 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ग) गोदामों में क्षति को बहुत ही कम करने के लिये निम्नलिखित विशेष उपाय किये गये हैं :—

(1) गोदामों में खाद्यान्नों के बचाव के लिये जिन कीटनाशक औषधियों तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है वे देश में ही तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और जिससे ये प्रयुक्ताओं की सुगमता से मिलते रहें।

(2) इस बात का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है कि नये बनाए जाने वाले गोदाम मूषक तथा सीलन से सुरक्षित हों। जहां तक फार्म गोदामों का सम्बन्ध है, श्रेष्ठ मूषक से सुरक्षित छोटे भण्डारों तथा खाद्यान्नों को प्रधुपन के कार्य को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(3) देश भर में "अनाज बचाव अभियान" शुरू किया गया है जिसमें श्रेष्ठ भण्डारण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रमुख खाद्यान्न बाजारों तथा कुछेक ग्रामीण केन्द्रों में प्रदर्शन किया जाता है।

(4) खाद्यान्न के भण्डारण से सम्बन्धित प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र विशेष विकास निधि की सहायता से इन सुविधाओं में विस्तार करने का विचार है।

(5) रोलर आटा मिलों, चावल मिलों तथा खाद्यान्न स्टाकिस्टों के लिए यह अनिवार्य बनाने के लिए पग उठाए गए हैं कि वे अपने-अपने गोदामों में कीट नियन्त्रण उपाय लागू करें।

शाहदरा (दिल्ली) में दूध के डिपो खोलना

620. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हर दयाल देवगुण : **श्री निहाल सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा के निवासियों को दिल्ली दुग्ध योजना का दूध सप्लाई करने वाले दूध के डिपुओं की संख्या अपर्याप्त होने के बारे में सरकार को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, उन व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने दूध के नये टोकन के लिये आवेदन किया है और उनको भी जो पहले से दूध ले रहे हैं, दूध देने के लिये दूध के अधिक डिपो खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां ।

(ख) शाहदरा क्षेत्र के लिये दूध के दो डिपों स्वीकृत किये गये हैं । दूध का एक डिपो नये शाहदरे में 18-5-1969 से कार्य कर रहा है । स्थान का उपयुक्त प्रबन्ध होते ही दूध का दूसरा डिपो पुराने शाहदरे क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा । प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को दूध के टोकन उनकी बारी आने पर जारी किये जायेंगे और दूध के अतिरिक्त डिपो खोलने पर आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा ।

(ग) और (घ). आशा है पुराने शाहदरे में दूध का दूसरा डिपो लगभग एक माह में कार्य प्रारम्भ कर देगा । दिल्ली दुग्ध योजना/दुग्ध निकासी की सुविधाओं का विस्तार होते ही दूध के और डिपो खोल दिये जायेंगे ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

621. **श्री राम चरण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 जुलाई, 1968 को सभा-पटल पर रखे गए उस विवरण के सम्बन्ध में जो 18 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5905 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिये रखा गया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी किसी भी श्रेणी की सेवा में यथा योग्य प्रतिशतता के अनुसार रखे गये ; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को समुचित पद देने के कार्य को पूरा करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दण्डकारण्य परियोजना को स्थानान्तरित किये गये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कर्मचारी

622. **श्री राम चरण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की समाप्ति के बाद उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को दण्डकारण्य परियोजना में स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या ये पद पेंशन वाले हैं या गैर-पेंशन वाले और यदि ये गैर-पेंशनी पद हैं, तो सेवा-निवृत्ति के बाद इन कर्मचारियों को क्या सेवा लाभ उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना की स्थापना के बाद तकनीकी कर्मचारियों, जैसे ड्राइवरों, कनिष्ठ मिस्त्रियों, वरिष्ठ मिस्त्रियों और फोरमैनों की अनेक पदोन्नतियां सभी एककों में और विशेषकर एकक संख्या 4 और 5 में जो महाराष्ट्र में की गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से कितने कर्मचारियों की पदोन्निति की गई है और उनमें से ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके मामले में उनसे नीचे के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पांच पूर्ण यंत्रीकृत एकक, आवश्यक कर्मचारी वर्ग सहित, प्रथम नवम्बर, 1958 को दण्डकारण्य परियोजना के भूमि उद्धार संगठन को स्थानान्तरित किये गये थे ।

(ख) उनकी सेवाएं केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों की व्यवस्था के अधीन शासित की जाती हैं ।

(ग) ये पद गैर-पेंशन वाले हैं । सेवा निवृत्ति के उपरान्त, यह कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965, में की गई व्यवस्था के अनुसार सेवा उपदान पाने के पात्र होंगे ।

(घ) पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन के, जिसमें एकक 4 और 5 शामिल हैं, तकनीक कर्मचारियों की पदोन्नतियां नियमों के अनुसार की गई हैं।

(ङ) अब तक पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन के 22 अनुसूचित जातीय और 3 अनुसूचित आदिम जातीय कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। केवल एक अनुसूचित जातीय कर्मचारी के सम्बन्ध में सितम्बर, 1962 में अधिक्रमण किया गया था क्योंकि उक्त कर्मचारी पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया।

Construction of Silos by Food Corporation of India

623. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India have drawn up a scheme to construct silos/godowns for storing foodgrains in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether it is also a fact that it is proposed to construct such silos/godowns in Khurja (District Bulandshahr) as well ; and

(c) if so, the amount of money likely to be spent thereon and the time by which their construction work is likely to be completed and the quantity of foodgrains that could be stored in these silos/godowns?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Godowns and not silos.

(c) The F.C.I. proposd to undertake construction of godowns of 5,000 tonnes storage capacity at Khurja during the current year. The construction of the godowns is estimated to cost about Rs. 9.25 lakhs and the construction is likely to be completed in about six to eight months from the commencement of work.

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

624. **श्री रवि राय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 के महीने में अपनी कलकत्ता यात्रा में उन्होंने पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री को यह आश्वासन दिया था कि यदि आवश्यक समझा गया तो केन्द्र औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है और इसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) श्रमिकों को जांच होने तक मुअत्तली के दौरान निर्वाह भत्ते की अदायगी की व्यवस्था करने के

लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमावली 1946 में निर्दिष्ट निर्वाह भत्ते के उपबन्धों का हवाला दिया गया। यह उल्लेख किया गया कि यदि इन उपबन्धों का क्षेत्र अपर्याप्त पाया गया तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, इस प्रयोजन के लिए वैधानिक संशोधन के प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों के साथ विचार किया जायेगा।

प्रतिनिधि कार्मिक संघों को मान्यता

625. **श्री रवि राय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 26 मई, 1969 को कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री को कहा था कि चूंकि प्रतिनिधि कार्मिक संघों को मान्यता देने का मामला राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष अनिर्णीत पड़ा है जिसका प्रतिवेदन जुलाई, 1969 तक अपेक्षित था, राज्य सरकार को कब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया और राज्य श्रम मंत्री को यह बता दिया गया कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, अतएव राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना उचित होगा।

तमिलनाडु में काले बाजार में गेहूं की बिक्री

626. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री वि० नरसिम्हाराव :
श्री एस० जेवियर :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने गुप्तचर विभाग से भारत सरकार को तमिलनाडु में गरीब लोगों में बांटने के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका द्वारा दान दिये गये गेहूं के 13000 बोरे काले बाजार में बेचे जाने के बारे में सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करेगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कोइलपट्टी और कादम्बर कस्बे में मुफ्त वितरण के लिये "इण्डो-यू० एस० करार" के अधीन प्राप्त लगभग 9,641 बोरे, जिनका आवंटन स्वीकृत स्वयंसेवी एजेंसी "चर्च वर्ल्ड सरविस" द्वारा श्री पी० सुन्दरम के नाम किया गया था, के चोर-बाजार में बेचे जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक शिकायत मिली थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मद्रास उसकी जांच कर रहा है ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि मामला पेचीदा होने से जांच पूरी करने के लिए कुछ और समय लगेगा ।

विस्थापित व्यक्ति (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948

627. **श्री० रा० की० अमीन :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में विस्थापित व्यक्ति (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 की कई धाराओं को अवैध घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पहले किये गये भूमि अर्जन पर इसके परिणामस्वरूप कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). जी नहीं ; उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय नहीं है । तथापि, 20-5-1969 को दिल्ली के उच्च न्यायालय ने एक आदेश द्वारा विस्थापित व्यक्ति, पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के दो परंतुकों को, भारत सरकार के अधिनियम, 1935 की धारा 299 (2) की दृष्टि में, अवैध घोषित कर दिया है । उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की आज्ञा के लिये प्रार्थना करने का भारत सरकार ने निश्चय किया है ।

Strengthening of Hindi Unit of Press Information Bureau

628. **Shri J. Sunder Lal :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1181 on the 26th February, 1969 and state :

(a) whether Government would consider the question of strengthening the Hindi Unit of the Press Information Bureau on the lines of its English Unit ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). There has been no increase in the Hindi staff engaged on extracting clippings from newspapers, but the volume of Hindi clippings has since been stepped up.

Promotions of Inspectors in Delhi Telephone District

629. **Shri J. Sunder Lal :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that junior persons were promoted to the posts of Sub-Inspector and Line Inspector in the Delhi Telephone District ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the employees, who took part in the September, 1968 strike, have not been promoted ; and

(d) if so, the date by which such employees would be promoted ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) to (d). The matter is sub-judice through a writ petition filed by a Lineman and Sub-Inspector in the Delhi High Court.

Payment of Bonus to Workers of Bihar Cotton Mills Limited

630. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have filed a suit against the owners of the Bihar Cotton Mills Private Limited, Phulwari Sharif, Patna, Bihar for their having not paid bonus to the workers for the last many years ;

(b) if so, the names of the persons against whom suit has been filed and the action taken

so far in this connection ;

(c) whether it is a fact that the owners have made some payment on account of bonus to the workers after the filing of the suit ;

(d) if so, the years for which they have paid the bonus to the workers; and

(e) the time by which the remaining amount of bonus is proposed to be paid?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Prosecution was launched by the State Government in February, 1969 against the following persons on the management of the establishment for non-payment of bonus since 1964 :

(i) Shri S. M. Goenka, Managing Director.

(ii) Shri M. L. Goenka, Director.

(iii) Shri R. G. Iyet, Manager.

The outcome of the case is not yet known.

(c) to (e). Information is not available.

Construction of Houses for Labourers in Delhi

631. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of houses built for labourers in Delhi by Government and the Mill-owners, separately during the last two years ;

(b) the number of houses proposed to be built for labourers during the next three years ;

(c) the names of the factories, the owners of which were given land or granted loan by Government for building houses for the labourers during the last two years ; and

(d) whether Government would insist on the Mill-owners to build more and more houses for labourers during the next three years?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 2036 quarters are being constructed by the Delhi Administration for factory workers. These are likely to be allotted by the end of financial year 1969-70. No quarters have, however, been constructed or are under construction by the Mill-owners.

(b) In addition to completion of 2036 quarters, it is proposed by the Delhi Administration to construct 1588 additional quarters.

(c) Nil.

(d) There is no law, at present, requiring Mill-owners to build houses for their workers. However, pursuasion will be used by the Delhi Administration, to the utmost extent, to induce them to take up construction of such houses.

Production of Wheat, Rice and Sugar

632. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Sharda Nand : **Shri Onkar Singh :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the target of production of wheat, rice and sugar for next year ; and

(b) the total demand of the country in this regard and the measures adopted by Government to meet the shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No separate targets of production of wheat and rice have been fixed for next year. However, the target of production of foodgrains as a whole for the year 1969-70 is 105 million tonnes. For sugar no target of production has been fixed for the next year. The production of sugar will depend on the production of sugar cane in the factory areas and the quantum of sugarcane which becomes available to factories for sugar production.

(b) The demand for foodgrains like that for other commodities is elastic. One type of foodgrain can also be substituted by another to a certain extent. It is, therefore, difficult to assess the demand in the country for wheat and rice separately or even for all foodgrains taken together at any particular point of time. The shortage can be overcome only by increasing production. Steps have been taken to increase the production of foodgrains in the country through various developmental schemes. Till then it may be necessary to import some minimum quantities from abroad.

2. The distribution of sugar will, as at present, be regulated on the basis of availability of supplies during the year.

उर्वरक संवर्द्धन बोर्ड

633. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री रणजीत सिंह :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री जे० के० चौधरी : **श्री वृज भूषण लाल :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री सूरज भान :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक संवर्द्धन बोर्ड स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यह बोर्ड कब तक कार्य करने लग जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि विभाग के अधीन एक उर्वरक संवर्द्धन निदेशालय की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) स्थापित होने पर यह निदेशालय प्रदर्शन, मृदा परीक्षण, उर्वरकों के वैज्ञानिक तथा संतुलन रूप से प्रयोग के प्रशिक्षण और प्रचार (जैसे उर्वरक संवर्द्धन कार्यों को समन्वित करना तथा तीव्र करना) का काम करेगा ।

(ग) प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उर्वरक संवर्द्धन निदेशालय कार्य करना शुरू कर देगा ।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात

634. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने बीजों का निर्यात करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां बीजों का निर्यात किया गया था ;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई ; और

(घ) विदेशी मंडियों में बीजों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) श्रीलंका, मलेशिया, डेनमार्क, घाना और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ ।

(ग) 33,928.80 रुपये ।

(घ) निगम ने बहुत से देशों की अनेक अनुसंधान संस्थाओं और प्रशिक्षण संगठनों को भी बीजों के नमूने भेजे हैं । विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावासों को और विभिन्न निर्यातकों, विदेशों में स्थित राजकीय व्यापार निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी, किस्मों के बारे में तकनीकी जानकारी देने वाली एक विवरणिका भेजी गई है । बीजों के निर्यात के विषय में पद्धति को प्रवाहयुक्त करने तथा सम्बन्धित मंत्रालयों की सहमति से निर्यात मण्डियों का क्रमबद्ध सर्वेक्षण करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

रेडियो लाइसेंस

635. **श्री हेमराज :**

श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1969 तक कितने रेडियो लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ख) जून, 1969 तक कितने रेडियो बिना लाइसेंस चलाये जा रहे थे ; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है और सरकार को इससे कितनी हानि हो रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) 83,93,315 ।

(ख) बिना लाइसेंस चलाये जा रहे रेडियो सेटों का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है ।

(ग) बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों का पता लगाने के लिये इसकी रोक-थाम के लिये रखे गये कर्मचारी नियमित रूप से समय-समय पर पूरी तरह से इसके लिये जोरदार अभियान करते हैं, सरकार को इसके कारण होने वाले घाटे का ठीक अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है ।

सामुदायिक विकास सम्बन्धी अध्ययन दल

636. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 6 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदयिक विकास विभाग सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निष्कर्ष क्या निकले हैं ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल की सिफारिशों को राज्य सरकारों को विचारार्थ तथा आवश्यक कार्य करने के लिये भेज दिया गया है ।

खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार

637. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 50 लाख टन अनाज के रक्षित भण्डार पर, ब्याज, गोदाम भरने में होने वाली

हानि, कर्मचारियों और गोदाम में अनाज रखने पर होने वाले खर्च को मिलाकर कुल वार्षिक खर्च क्या होगा ;

(ख) यदि यह खर्च उस मूल्य से पूरा करना है, जिस पर अनाज सरकारी वितरण व्यवस्था द्वारा बेचा जायेगा तो उससे मूल्यों में जो वृद्धि होगी, क्या उसका अनुमान लगाया गया है और वर्तमान सप्लाई बराबर काल्पनिक सप्लाई पर यह मूल्य वृद्धि क्या होगी ;

(ग) यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुरूप खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता है तो क्या फिर भी सरकारी वितरण व्यवस्था आवश्यक होगी ;

(घ) भोजन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार अनाज की प्रति व्यक्ति खपत क्या है और इस हिसाब से कुल कितना अनाज पैदा करने की आवश्यकता है ; और

(ङ) गेहूं की तुलना में चावल के मूल्यों में तेजी से गिरावट आने के क्या कारण हैं, जब कि गेहूं का उत्पादन अधिक बढ़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बफर स्टाक रखने सम्बन्धी वार्षिक खर्च विभिन्न कार्यों की चालू लागतों पर निर्भर करते हुये प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होगा। वर्तमान अनुमानों के आधार पर यह खर्च 8 रुपये और 9 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हो सकता है।

(ख) चालू वर्ष में इस खाते में भारत सरकार के निर्गम मूल्यों में कोई बढ़ोत्तरी करने का पूर्वानुमान नहीं है। भावी वर्षों के लिये यह निर्णय खाद्यान्नों के खुले बाजार में मूल्यों, केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे गये स्टाक की लागत, कीमत और भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निश्चय की जाने वाली मूल्य नीति पर निर्भर करेगा।

(ग) जब देश खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो भी जाता है तब भी जरूरतमन्द वर्गों के संकट को रोकने के लिये उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का कुछ सरकारी वितरण करना आवश्यक हो सकता है।

(घ) भोजन सम्बन्धी सर्वेक्षण सीमित क्षेत्रों में किया गया है और इसके अन्तर्गत केवल कुछ कम आय के वर्ग आते हैं। उनके परिणाम अखिल भारतीय खपत प्रतिमान के मुश्किल से प्रतिनिधि हो सकते हैं। और इसलिये उनको देश की खाद्यान्नों की कुल आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

(ङ) 1967-68 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल और गेहूं की पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। गेहूं के मूल्यों में अब भी गिरावट आयी है और चावल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है।

1968-69 के लिये गेहूं और चावल की पैदावार के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं चालू वर्ष के लिये इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

हरियाणा के लिए आकाशवाणी केन्द्र

638. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीचन्द्र गोयल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में एक नया अकाशवाणी केन्द्र खोलने से सम्बन्धित प्रस्ताव के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन-सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) इस पर कितना धन खर्च आयेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। हरियाणा राज्य में रोहतक में रेडियो केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(ख) इसके बारे में विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) लगभग 55 लाख रुपये।

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय

639. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को दिल्ली में अपना कार्यालय एक और वर्ष तक रखने की अनुमति दी गई है ;

(ख) इस कार्यालय के वहां स्थानान्तरित होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस कार्यालय को दिल्ली में रखने की अवधि एक और वर्ष बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम का प्रधान कार्यालय पहली जुलाई, 1967 को मद्रास से नई दिल्ली लाया गया था और उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Financial Assistance to Newspapers

640. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri D. N. Patodia :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Prem Chand Verma :
Shri K. Lakappa :
Shri P. C. Adichan :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Mani Bhai J. Patel :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri R. K. Birla :
Shri Himatsingka :
Shri Jugal Mondal :
Shri D. C. Sharma :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 226 on the 19th February, 1969 and state :

(a) whether the policy in regard to providing financial assistance to newspapers has since been formulated ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The recommendations of the Press Council with regard to the formation of a Newspaper Finance Corporation to give financial assistance to newspapers were received in the beginning of April, 1969 and are under consideration in consultation with the concerned Ministries/Departments. It will take quite some time before the scheme is finalized.

Shortage of Fodder

641. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 389 on the 20th February, 1969 regarding Shortage of Fodder and state :

(a) whether the information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes Sir.

(b) and (c). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1332/69]**

Report of Second Wage Board for Cotton Textile Industry

642. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Himatsingka :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Indrajit Gupta :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Ishaq Sambhali :
Shri P. C. Adichan :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri R. Barua :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. R. Laskar :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri G. C. Naik :
Shri S. Xavier :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri R. K. Amin :
Shri J. Mohamed Imam :
Shri K. M. Abraham :
Shri Umanath :
Shri D. R. Parmar :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 62 on the 20th February, 1969 and state the decisions taken on the Report of the Second Wage Board on Cotton Textile Industry and the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : Government Resolution No. WB-8 (15)/68, dated the 17th May, 1969 containing Government's decisions on the recommendations of the Second Cotton Textile Wage Board was laid on the table of the House on the 21st July, 1969. The State Governments have been requested to secure implementation of the recommendations and their reports are awaited.

खुले में पड़ा हुआ गेहूं

643. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हेम बरुआ :
श्री एस० आर० दामानी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि भारत के महत्वपूर्ण गेहूं-उत्पादन केन्द्रों में गोदामों की कमी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं खुले में पड़ा है जिस पर मौसम का कुप्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष से ऐसे स्थानों में गोदामों की क्षमता बढ़ाने के लिये कदम उठाये थे ; और

(ग) यदि हां, तो वास्तव में गोदामों की क्षमता में कितनी वृद्धि की जा सकती है और इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि गोदामों की कमी के कारण और लाने ले जाने में होने वाली क्षति कम से कम हो, न कि पिछले वर्ष की तरह ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) समस्त भारत में गोदाम निर्माण हेतु बनाई गई योजना में 9.6 लाख मीटरी टन के अरिरिक्त भण्डारण स्थान में से 2.42 लाख मीटरी टन की क्षमता के गोदाम तैयार हो चुके हैं । ये गोदाम विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गेहूं पैदा करने वाले राज्यों में स्थिति हैं । इस भण्डारण क्षमता में 40,000 मीटरी टन क्षमता के पारगमन शेड स्थान हाल ही में निर्माण कर और भी वृद्धि की गई है और उसे केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने भारतीय खाद्य निगम को दिया है ।

राजस्थान को मोटे अनाज की सप्लाई

644. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री प० ला० बारूपाल :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण राजस्थान के सूखाग्रस्त लोगों के लिये गेहूं खरीदना बहुत कठिन हो गया है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से मोटा अनाज भेजने के लिये अनुरोध किया है ताकि वह सूखा और अकाल से पीड़ित लोगों में बांटा जा सके ; और

(ग) राजस्थान में गम्भीर अकाल से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राजस्थान को भेजे जाने वाले गेहूं के मूल्यों में कुछ राहत देना वांछनीय समझती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार के स्टाक से राज्य सरकारों को दिये गये गेहूं के सभी किस्मों के लिये निर्धारित एक जैसे मूल्य के परिणामस्वरूप राजस्थान द्वारा ली जा रही किस्म के निर्गम मूल्य में वृद्धि हो गई है । इससे और साथ ही खुली मण्डियों में समान मूल्य पर नये गेहूं की उपलब्धि से इस गेहूं की निकासी पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) और (ग). राजस्थान सरकार समय-समय पर अपनी मोटे खाद्यान्न की आवश्यकताओं को बताती रही है और यथासम्भव अधिक से अधिक इनकी पूर्ति की गई है । जनवरी से जुलाई, 1969 तक मोटे अनाज की निम्नलिखित मात्रा उक्त राज्य को आवंटित की गई है :

(मीटरी टन में)

माइलो	**मक्का**	**ज्वार**	**बाजरा**
30,000	32,000	20,000	186

गेहूं का संशोधित एक जैसा मूल्य गेहूं के एकीकृत इक्नामिक लागत पर आधारित है और वह सभी राज्यों के लिये व्यवहार्य है। केवल राजस्थान को सप्लाई किये गये गेहूं के मूल्य को कम करना वांछनीय न होगा।

खाद्य क्षेत्रों का विस्तार

645. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री प० मु० सईद :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनाज के उत्पादन की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अनाज क्षेत्रों का विस्तार करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य क्षेत्रों के ढांचे पर अप्रैल, 1969 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में पुनर्विचार किया गया था। खाद्य स्थिति में हुए सुधार को ध्यान में रखकर उत्तरी गेहूं क्षेत्र को 16 अप्रैल, 1969 से बड़ा करने का निर्णय किया गया था। इस परिवर्तन और आगामी फसल का मंडियों की प्रवृति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर अन्दाजा लगा लेने और कुछ समय तक स्थिति को देख करके ही कोई और परिवर्तन करने की बात पर विचार किया जायगा।

आकाशवाणी के लिये निगम

646. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री प० मु० सईद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री न० रा० देवधरे :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चंदा समिति के प्रतिवेदन में की गई इस सिफारिश पर इस बीच निर्णय कर लिया है जिसमें कहा गया है कि आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम का रूप दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं। इस विषय पर चन्दा समिति द्वारा दी गई सिफारिश अभी विचाराधीन है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Employment Exchanges and Unemployed Persons

647. **Shri Prem Chand Verma:**

Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of Employment Exchanges in the country as also the number of unemployed people registered with them as on the 1st July, 1969;

(b) the number of persons whom these Exchanges helped in securing employment during the last two years;

(c) whether complaints have been received by Government to the effect that persons find it difficult to get their names registered and whether Government propose to set some machinery in some Employment Exchanges for issuing interview letters to the registered persons only; and

(d) whether Government propose to streamline the Public Relations machinery in the Employment Exchanges?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The number of Employment Exchanges—409. The number of job-seekers on the Employment Exchanges register—31,48,918.

(b) (i) 4,30,588 in 1967

(ii) 4,24,227 in 1968

(c) (i) Since the administrative control of Employment Exchanges is with the State Governments, such complaints are usually received and dealt with by the respective State Governments;

(ii) When vacancies are notified by employers, Employment Exchanges sponsor the names of suitable candidates to them. The employers then send interview letters to those whom they wish to interview. There is, therefore, no need for setting up any machinery for this purpose at the Employment Exchanges.

(d) Public Relation work at the Exchanges is the responsibility of the Employment Officers. This aspect is borne in mind by State Governments.

उर्वरकों का न बिका भंडार

648. **श्री एस० आर० दामानी :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 जून, 1969 को उर्वरकों के न बिके भण्डार की मात्रा कितनी थी ;

(ख) समूचे चालू वर्ष में अनुमानित मांग कितनी है और देश में इसका उत्पादन कितना है ; और

(ग) आयात के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी तथा किन-किन देशों से सप्लाई प्राप्त की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 30 जून, 1969 को देश में उर्वरकों के बिके भण्डारों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1969-70 के लिये उर्वरकों की अनुमानित मांग और देश में उत्पादन के अनुमान इस प्रकार हैं :

(दस लाख में आंकड़े)

	नाइट्रोजन	**पी$_2$ ओ$_5$**	**के$_2$ ओ**
अनुमानित मांग	1.7	0.6	0.3
देश का अनुमानित उत्पादन	0.9	0.34	—

(ग) देश के उत्पादन और वर्तमान स्टाकों को ध्यान में रखते हुये यह व्यवस्था की गई है कि निम्नलिखित मात्रा में 136.08 मिलियन डालर के उर्वरक आयात किये जायेंगे ।

टनों में

नाइट्रोजन	**पी$_2$ ओ$_5$**	**के$_2$ ओ**
5,73,021	85,310	1,08,210

आगे केवल अपेक्षित मात्रा में आयात किया जायेगा । निम्नलिखित देशों से सप्लाई मिलने की आशा है :

आस्ट्रिया, बैल्जियम, बलगारिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जी० डी० आर०, हालैण्ड, हंगरी, इटली, जापान, कुवैत, नार्वे, पोलैण्ड, रूमानिया, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमरीका, रूस, पश्चिमी जर्मनी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का समाहार

649. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री वी० नरसिम्हा राव :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रवि राय :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने चालू मौसम में राज्यवार कितने गेहूं का समाहार किया है और कितनी कीमत दी है ;

(ख) क्या समाहार आशा के अनुकूल रहा है अथवा लक्ष्य से कम रहा है और यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) पंजाब और हरियाणा में कितना गेहूं प्राप्त किया गया ;

(घ) क्या मंडियों में कई दिनों तक बड़ी भारी मात्रा में गेहूं आता रहा और भारतीय खाद्य निगम उसे समय पर उठाने में असमर्थ रहा ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चालू रबी मौसम में अब तक राज्यवार अधिप्राप्ति की गयी गेहूं की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1333/69] गेहूं की अधिप्राप्ति घोषित अधिप्राप्ति मूल्य पर की गयी थी जोकि लाल देशी गेहूं को छोड़कर गेहूं की सभी किस्मों का 76 रुपए प्रति क्विंटल उचित औसत किस्म (एफ० ए० क्यू०) है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम में यह मूल्य 74 रुपए प्रति क्विंटल औसतन किस्म है, बिहार में 71 रुपये प्रति क्विंटल और दिल्ली में 72 रुपए प्रति क्विंटल है।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36 लाख मीटरी टन सुझाया था। इस वर्ष के लिये गेहूं की अधिप्राप्ति का कार्य बन्द नहीं हुआ है और बरसात के बाद और अधिप्राप्ति किये जाने की आशा की जा सकती है। अब तक कुल 23 लाख मीटरी टन गेहूं अधिप्राप्त किया गया है जिसमें से खाद्य निगम ने लगभग 20 लाख मीटरी टन गेहूं अधिप्राप्त किया है। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति आशा के अनुकूल नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के सन्दर्भ में विवरण में बताया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगारी कम करने के लिए छात्र सहकारी समिति

650. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित लोगों में बेरोजगारी को समाप्त करने के उद्देश्य से इंजीनियरी और कृषि उपक्रमों में छात्र सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) सरकार को छात्रों से ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ऐसे कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे काश्त न की जा रही सरकारी भूमि को कृषि के लिये छात्र समितियों को दे दें ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

बच्चों के चल-चित्र

651. **श्री अदिचन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें बच्चों के चल-चित्रों के प्रति उदासीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के प्रति उदासीन पाये गये राज्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में बच्चों के विकास के लिये अलग-अलग विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी-कितनी राशि की सहायता दी गई तथा कितने व्यय की स्वीकृति दी गई और 1969-70 में कितनी राशि स्वीकार की गई है ;

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिये प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया और ऐसे योजनाओं के लिये दिया गया कितना धन अप्रयुक्त रहा, कितना धन लौटा दिया गया तथा अन्य योजनाओं में लगाया गया ; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस उदासीनता के प्रति सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बाल चित्र समिति के कौन-कौन से राज्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्र सदस्य हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1334]

(ग) केन्द्र सरकार बाल फिल्म विकास के लिये राज्य सरकारों या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देती, परन्तु इस कार्य के लिये बाल फिल्म समिति को, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं, अनुदान दिया जाता है । सोसाइटी को अनुदान की राशि इस प्रकार दी गई :

1967-68	5,43,803.12 रुपये
1968-69	5,46,212.95 रुपये
1969-70 (बजट अनुमान)	5,50,000.00 रुपये

प्रत्येक राज्य सरकार बाल चित्र समिति को 10,000 रुपये वार्षिक सदस्यता फीस देने पर सम्बद्ध सदस्य बन सकती है । केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के लिये यह फीस 5,000 रुपये है तथा इस प्रकार बाल फिल्म विकास में सहायता कर सकती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इस बारे में प्रयत्न किये जा रहे हैं कि राज्य सरकारें तथा सम्बन्धित केन्द्र प्रशासित क्षेत्र समिति के सदस्य बनें या अपनी सदस्यता को फिर से रिन्यू करायें।

केरल के लिये खाद्य उत्पादन कार्यक्रम

652. **श्री अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये प्रस्तुत खाद्य उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्योरा क्या है तथा इस पर कितना धन खर्च होगा और इसको क्रियान्वित करने के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा वस्तुतः कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और इसमें कितनी कमी की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सन् 1969-70 के लिये केरल राज्य की राज्य योजना में सम्मिलित किये गये महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादन कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :

कार्यक्रम		**लक्ष्य**
अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती	..	2.83 लाख हैक्टेयर
बहुद्देश्यीय खेती (अतिरिक्त क्षेत्र)	..	20.23 हजार हैक्टेयर
लघु सिंचाई का विकास (कुल अतिरिक्त क्षेत्र)	..	21.25 हजार हैक्टेयर
उर्वरकों की खपत का स्तर		
(क) नाइट्रोजन		40 हजार मीटरी टन
(ख) $पी_2 ओ_5$		30 ,, ,, ,,
(ग) $के_2 ओ$		30 ,, ,, ,,
(पौध संरक्षण के अन्तर्गत लिया जाने वाला कुल क्षेत्र)		8.90 लाख हैक्टेयर

इस विभाग से सम्बन्धित राज्य द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक विकास शीर्षक के अन्तर्गत होने वाला वित्तीय परिव्यय जो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित है और राज्य द्वारा वास्तविक रूप से

बजट में दिखाया गया है, निम्न प्रकार है :

विकास शीर्षक	राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय	राज्य सरकार द्वारा बजट में दिखाया गया परिव्यय (रु० करोड़ों में)
1. कृषि उत्पादन	4.40	3.00	2.28
2. लघु सिंचाई	1.95	1.38	1.25
3. भूमि संरक्षण	0.56	0.35	0.35
4. पशु-पालन	0.90	0.40	0.50
5. डेरी उद्योग और दुग्ध सप्लाई	0.35	0.15	0.15
6. वन सम्पदा	1.00	0.50	0.50
7. मात्स्यकी	2.54	1.60	1.60
8. भण्डारण और विपणन	0.06	0.02	0.02
कुल ...	11.76	7.40	6.65

राज्य सरकारों को उनकी प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने की क्रियाविधि में 1969-70 से परिवर्तन कर दिया गया है। संशोधित क्रियाविधि के अनुसार केन्द्रीय सहायता किसी विशिष्ट कार्यक्रम या क्षेत्र पर सापेक्षित नहीं होगी अपितु, ब्लाक ऋण और अनुदान के रूप में वर्ष भर की पूरी योजना के लिये दी जायेगी। वर्ष 1969-70 के लिये, राज्य के सभी क्षेत्रों के लिये 31.1 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का नियतन कर दिया गया है और वह राज्य द्वारा सूचित किये गये खर्च के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्त में निर्मुक्त की जायेगी। केन्द्रीय सहायता में कटौती की स्थिति तब पैदा होगी जब अनुमोदित परिव्यय की अपेक्षा खर्च कम रह जाये।

उत्तरी क्षेत्र के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

653. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री प० मु० सईद :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1969 में उत्तरी क्षेत्र के श्रम मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को स्वीकार और क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह एक अनौपचारिक सम्मेलन था, जो कि इस अंचल में आने वाले राज्यों से सम्बन्धित कई एक मामलों के बारे में विचार-विनिमय के आशय से आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन ने कोई सिफारिश नहीं की, परन्तु विचार-विमर्श से निकले कुछ निष्कर्षों को लेख-बद्ध करके यथोचित कार्यवाही के लिये परिचालित कर दिया गया है ।

Postal Stamp on Swami Shardhanand and Guru Virjanand

654. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether a request has been made to him to issue postal stamps in the memory of Swami Shardhanand and Guru Virjanand;

(b) if so, the decisions taken by Government in this regard; and

(c) the time by which the said postal stamps would be issued ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcating and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) and (c). A special postage stamp in honour of Swami Shradhanand will be issued in 1970.

The proposal for the issue of a special postage stamp in honour of Guru Virjanand, will be placed before the Philatelic Advisory Committee when it meets next, for consideration of the issue in 1970.

Opening of Television Centres in Big Cities

655. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Sradhakar Supakar :**
Shri Indrajit Gupta : **Shri Meetha Lal Meena :**
Shri Ramavtar Shastri : **Shri Chintamani Panigrahi :**
Shri J. M. Biswas : **Shri N. R. Deoghare :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri Beni Shankar Sharma :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to set up Television Centres in the big cities of India ;

(b) if so, the names of those cities and when these Stations would start functioning; and

(c) the estimated expenditure involved on each project?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). Proposals to set up television stations at Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur and Srinagar have been included in the Fourth Plan. Srinagar station is expected to be ready by the middle of 1971. Proposals regarding other stations are being worked out.

(c) The estimated expenditure on these projects is as follows:

Station	Rs. in lakhs
(i) Srinagar	Rs. 167
(ii) Bombay	Rs. 102
(iii) Calcutta	Rs. 99
(iv) Madras	Rs. 101
(v) Kanpur/Lucknow	Rs. 99

उत्तरी खाद्य क्षेत्र का विस्तार

656. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से उत्तरी खाद्य क्षेत्र का विस्तार करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने और इसमें संशोधन करने तथा गेहूं के वसूली मूल्य कम करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में नियोजक कर्मचारी सम्बन्ध

657. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक सेक्टर इंटरनेशनल के महामन्त्री श्री डब्ल्यू० एफ० बाराजटी ने जयपुर में इस बात पर बल दिया था कि सरकार और श्रमिकों के बीच पूर्ण सहिष्णुता बनाये रखने के लिये सरकारी उपक्रमों में समझौता कराने वाली एक प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिये ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि नीति-निर्धारण करने वाले निर्णय करने में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिक संघों से परामर्श अवश्य किया जाना चाहिये ;

(ग) क्या उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि एक विकासशील लोकतंत्रीय देश में श्रमिकों के हितों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये और संसद् तथा सरकार में ऐसे लोग होने चाहिये जिनके मन में श्रमिकों का हितसाधन मुख्य हो ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) . श्री बाराजटी के भारत में आने के बारे में सरकार के पास सरकारी तौर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । श्री बाराजटी द्वारा दिये गये वक्तव्य जिसका कि उल्लेख प्रश्न में किया गया है, के संदर्भ के बारे में सरकार को कुछ पता नहीं है और न ही सरकार के पास समाचार-पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ उसके अतिरिक्त उस वक्तव्य का पूरा पाठ ही है । इसलिये इस सम्बन्ध में सरकार को कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजकों और कर्मचारियों के सम्बन्धों पर सरकार दृष्टि रखे हुये है । श्रम समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर इस समय राष्ट्रीय श्रम आयोग विचार कर रहा है । आयोग की रिपोर्ट मिलने पर सरकार इस मामले पर आगे विचार करेगी ।

Accumulation of Fertilizers in U. P.

658. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that stocks of fertilizer of the value of about Rs. 40 crores have accumulated in U. P. and the State Government have refused to accept the quota of fertilizer for the 6 months ending in October ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Damage of Crops In U.P. by Pyrilla

659. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri B. K. Das Chowdhury :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many crops are damaged in U.P. due to

pyrilla every year and its effects are more severe in Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Bulandshahr and Dehra Dun districts.

(b) whether it is a fact that this year the disease has already spread in about 10 lakhs acres of land in the last three months ; and

(c) the action taken by Central Government to eradicate the disease and the assistance provided by them in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Sugarcane Pyrilla is usually met with on sugarcane crop, though it attacks other graminaceous crops like wheat, maize, **jowar** to a certain extent. In most years, the attack of Pyrilla on sugarcane and other crops has not been severe. However, it appeared in epidemic form in 1968 on sugarcane and in 1969 on wheat and sugarcane in different districts of Western Uttar Pradesh.

(b) Yes Sir. The Joint Central and State Team assessed the Pyrilla affected area of sugarcane crop in Western districts of Uttar Pradesh at about 10 lakh acres in April-May, 1969.

(c) The Central Government has agreed to assist the State Government in meeting half the cost of pesticides required to control the Pyrilla pest in the affected areas under the Calamities Relief Fund. An area of 1.44 lakh acres has been treated with pesticides by the middle of July, 1969. Treatment with pesticides primarily aims at eradication of Pyrilla pest.

Distribution of Radio Sets among Farmers

660 **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to distribute free of cost about 6,000 Radio Sets among farmers ; and

(b) if so, the number of radio sets to be distributed in each State ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). There is no Government scheme for the distribution of radio sets free of cost among farmers. But donations were received from the Food for India Foundation, Netherlands and the Government of Sweden during the drought period for being utilised for Farmers Education and Information through radio sets. The donations from the Food for India Foundation were received by the Indian National Committee of the Freedom From Hunger Campaign (FFHC).

It has been decided that transistorised low cost medium wave sets obtained out of these donations should be sold at concessional rates to Discussion Groups of Farmers in those areas where Farmers' Training Programmes are being organised. The sale proceeds of these sets will be utilized by the State Governments (and non-Government organisations that are asked to take up Farmers Training) for the purchase and distribution of additional sets in succeeding years.

So far, a distribution list for 30,000 sets has been drawn up. They are being distributed as and when received from the manufacturers. A statement is enclosed. **[Placed in Library See. No. LT-1335/69]**

Manufacture of Sugar From Beet-Root

661. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the outlines of the scheme formulated by Government for the manufacture of sugar from beet-root in the States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan during the Fourth Plan ; and

(b) the quantity of sugar likely to be manufactured from beet-root during the Fourth Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No scheme has yet been formulated by the Government of India for the manufacture of sugar from beet-root in the States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan during the Fourt Five Year Plan. However, under its co-ordinated research scheme, the National Sugar Institute, Kanpur, is conducting pilot plant trials in different region of the country for working out the economics of the process.

(b) Does not arise.

Production of Hybrid Variety of Basmati

662. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the target fixed for expansion and production of hybrid or dwarf variety of Basmati paddy in the Fourth Five Year Plan and the progress so far made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : No hybrid or dwarf variety of Basmati paddy has yet been released by the Central Varieties Release Committee. The question of fixation of targets for its expansion or production does not arise.

Construction of Cold Storages by National Seeds Corporation

663. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the target fixed in the Fourth Five Year Plan for the construction of cold storages by the National Seeds Corporation and the progress so far made in this regard ; and

(b) the nature of arrangements made to preserve potato seeds etc. till the cold storages are constructed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The targets for construction of cold storages by the National Seeds Corporation are being formulated and their requirements are still under consideration.

(b) At present, the Corporation is utilising private cold storages for potato seeds which are available in the production areas.

Preparation of Wine from Grapes

664. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether in view of increasing cultivation of grapes, Government are thinking of preparing resins and wine ;

(b) whether Government of Punjab have put up a proposal for manufacturing wine from grapes ;

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ;

(d) whethrer Government have included the scheme of extracting fresh juice of grapes in the canning scheme ; and

(e) if so, the progress achieved so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There is no such scheme under Government's consideration.

(b) Yes.

(c) The application of the Punjab State Industrial Development Corporation for issuing a licence for champagne plant is under consideration of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

(d) No.

(e) Does not arise.

सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा गोदाम का अधिग्रहण

665. **श्री मधुलिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ने बम्बई में भण्डागार बनाने के लिये गोदामों का अधिग्रहण करने के कार्य में विलम्ब किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस समय नगर के दो गोदामों को किराये पर लिया हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो जिनसे ये गोदाम किराये पर लिये गये हैं उन मालिकों/किरायेदारों (यदि शिकमी दिये गये हैं) के क्या नाम हैं, ये गोदाम कहां पर हैं, उनका किराया कितना है और कारपोरेशन/सरकार ने कितनी धनराशि जमा करवायी है या अग्रिम धनराशि दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) . जी नहीं । केन्द्रीय भाण्डागार निगम अभी तक बम्बई में भरपूर प्रयासों के बावजूद मालगोदामों को खरीदने, बनाने अथवा किराये पर लेने में असफल ही रहा है । यह निगम एक लिमिटेड फर्म नहीं है इसे भाण्डागार निगम, अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत बनाया गया है ।

(ग) निगम महाराष्ट्र में तीन भाण्डागार चला रहा है जो कि महाराष्ट्र सरकार के अधीन है। उनके लिये निगम कोई किराया अदा नहीं कर रहा है। राज्य सरकार ने इनको भारतीय खाद्य निगम से और बम्बई पतन न्यास से राशन के स्टाक रखने के लिये किराये पर लिया है।

भोपाल में चौक बाजार के डाकघर का कार्य संचालन

666. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के चौक बाजार स्थित डाकघर में केवल पोस्टमास्टर तथा तीन क्लर्क काम करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि डाकघर में जाने वाले लोगों के बैठने के लिये वहां पर कोई बैंच नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पर लोगों को अपने काम के लिये काफी समय तक पंक्ति में खड़े रहना पड़ता है और जब कोई क्लर्क छुट्टी पर जाता है तो स्थिति और भी खराब हो जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो जनता की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। एक बेंच दे दिया गया है।

(ग) जी नहीं। चौक बाजार डाकघर भोपाल के बाजार क्षेत्र में स्थित है और कभी-कभी डाकघर के काउंटरों के सामने कतार लग जाती है। पिछले दो अवसरों पर आंकड़ों की जांच करने से यह पता चलता है कि डाकघर में काम चार कर्मचारियों के लिये एकदम पूरा है। कभी-कभी जब कोई एक क्लर्क छुट्टी पर होता है और जल्दी ही उसके बदले दूसरे कर्मचारी की व्यवस्था करना संभव नहीं होता, तो बाकी के तीन कर्मचारी काम संभालते हैं।

अहीरी (महाराष्ट्र) में डाकघर के लिये इमारत

667. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री अहीरी (महाराष्ट्र) में डाकघर के बारे में 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3950 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक उसकी मरम्मत का काम आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) मरम्मत का काम 8 फरवरी, 1969 को पूरा कर दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनाज और दालों का उत्पादन

668. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में जौ, मक्का और बाजरे सहित देश में कुल कितना अनाज पैदा हुआ था ; और

(ख) उपर्युक्त् वर्षों में देश में दालों का कुल कितना उत्पादन हुआ था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के वर्षों में जौ, मक्का, बाजरा और दालों सहित विभिन्न अनाजों की पैदावार को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

उड़ीसा द्वारा विद्युत चालित ड्रिलों का आयात

669. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को उस राज्य की मांगें पूरी करने के लिये विद्युत-चालित ड्रिलों का आयात करने और उनकी खरीद के लिये विदेशी मुद्रा देने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में इन ड्रिलों की खरीद के लिये उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) 1966-67 से स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पावर ड्रिलों की खरीद के लिये उड़ीसा सरकार को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है। इस समय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव अनिर्णित नहीं पड़ा है।

(ख) नवीनतम पद्धति के अनुसार लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये जो कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र (जिनमें सामुदायिक विकास तथा पंचायत शामिल नहीं हैं) के भाग के रूप में हैं राज्य सरकारों को 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता दी। लघु सिंचाई हेतु राज्यों को किसी अलग मद या योजना के लिये केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

देशान्तर्गत और समुद्रीय मछली उद्योग का विकास

670. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशान्तर्गत तथा समुद्री मछली उद्योग को बढ़ाने सम्बन्धित सरकार के कार्यक्रम और नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में मछली उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने मछली पकड़ने के एक बन्दरगाह के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देशान्तर्गत मात्स्यकी की दिशा में बीज-उत्पादन को काफी हद तक बढ़ावा देना, मिश्रित मछली पालन तकनीक को अपनाना और जलाशय तथा खारे-पानी के मत्स्य-उद्योग को विकसित करने का विचार है । समुद्री मछली की दिशा में, पहले से ही मौजूद लगभग 8,000 नावों में 5,500 यन्त्रीकृत नावों को और शामिल करने, साथ ही व्यापारिक दृष्टि से मछली पकड़ने के कार्य को तटदूर और गहरे समुद्री क्षेत्रों तक विकसित करने का प्रस्ताव है । आशा है कि लगभग 300 मध्यम और वृहत मछुवा-जहाजों को मुख्यत: गैर-सरकारी क्षेत्र में चालू किया जायेगा । इस कार्यक्रम को बल देने के लिये समुचित बन्दरगाह सुविधाएं प्रदान की जायेंगी, समन्वेषी और परीक्षणात्मक मछली पकड़ने के कार्यक्रमों को पूरा किया जायेगा और स्किपरों, इंजन कर्मीदल, मास्टर-मछियारों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी । भारत का औद्योगिक विकास बैंक भारत में निर्मित मछली पकड़ने वाले जलपोतों के लिये आस्थगित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा ।

(ख) और (ग). मात्स्यकी के लिये राज्य प्लान योजनाओं में अलग सहायता का कोई प्रतिमान नहीं है । केन्द्रीय सहायता, राज्य-योजना के लिये समग्र रूप से ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जायेगी । प्रत्येक राज्य को कुल सहायता का 30 प्रतिशत अनुदान और शेष 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होगा ।

राज्य प्लान योजनाओं के लिये ऐसी सहायता देने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार मछली पकड़ने की बन्दरगाहों की व्यवस्था समन्वेषी और परीक्षणात्मक मात्स्यकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को हाथ में लेगी ।

(घ) उड़ीसा सरकार ने राज्य में मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है । चान्दीपुर में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम "छोटी बन्दरगाहों पर अवतरण और घाट लगाने की सुविधाओं का उपबन्ध" के अन्तर्गत मछली पकड़ने की एक

बन्दरगाह मंजूर की जा रही है जिसके अन्तर्गत 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

राज्य द्वारा प्रस्तावित अन्य स्थानों की छान-बीन करने के लिये व्यवस्था की गई है। उसी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त समझे गये ऐसे ही अन्य स्थानों पर मछली पकड़ने वाली बन्दरगाहों की स्थापना की जायेगी।

अनाज का रक्षित भण्डार

671. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री स० म्रो० बनर्जी :**
श्री जि० मो० बिस्वास : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित 30 लाख टन अनाज का रक्षित भण्डार बनाये जाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) देश को आत्म-निर्भर बनने के लिये कुल कितने रक्षित भण्डार की आवश्यकता है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां भण्डार रखे जायेंगे ;

(घ) रक्षित भण्डार के अनाज की विभिन्न किस्मों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ङ) रक्षित भण्डार के लिये कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और उस पर कितना वार्षिक खर्च होगा ; और

(च) कितना अनाज खराब होने का अनुमान है जिसको ध्यान में रखना पडेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्र और राज्य सरकारों के पास 30 लाख मीटरी टन से भी अधिक खाद्यान्न का बफर स्टाक तैयार कर लिया गया है।

(ख) बफर स्टाक के आकार से नहीं बल्कि उत्पादन का परिणाम देश को आत्म-निर्भर बनाएगा। जब एक बार आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जाती है, तब यह अनुमान है कि वर्ष प्रति वर्ष उत्पादन में होने वाली सामान्य घट-बढ़ को बराबर करने के लिए 50 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक पर्याप्त होगा। विभिन्न विकासकारी योजनाओं के माध्यम से देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है।

(ग) यह स्टाक देश भर में बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रों पर रखा जाना है और रखा जाता रहेगा।

(घ) जून, 1969 के अन्त में केन्द्र और राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों के प्रत्यक्ष स्टाक का ब्योरा (दोनों बफर तथा चालन स्टाक) नीचे दिया जाता है :

		(लाख मीटरी टन में)
चावल	..	19
गेहूं	..	30
मोटे अनाज	..	4
	जोड़ ..	53

(ङ) बफर स्टाक को रखने का खर्च विभिन्न परिचालन लागत पर निर्भर करते हुए प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होगा। इसका सही हिसाब तो केवल बफर स्टाक रखने का कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही लगाया जा सकता है। तथापि, बफर स्टाफ रखने की लागत लगभग 8 रुपये से 9 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हो सकती है।

(ख) बफर स्टाक रखने में खाद्यान्नों की वार्षिक क्षति अनुमानत: 0.2 प्रतिशत है। यह ऊपर उल्लिखित औसत लागत में शामिल है।

संसद् सदस्यों को टेलीफोन की सुविधाएं

673. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि दिल्ली अथवा किसी अन्य स्थान पर किसी संसद् सदस्य का देहावसान हो जाने पर संसद् सदस्य के रूप में उन्हें मिली टेलीफोन सुविधाएं समाप्त कर दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मकान तथा अन्य सुविधाओं की तरह जो संसद् सदस्य की मृत्यु के दो महीने के बाद तक जारी रहती है इस सुविधा को भी जारी रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसको कब तक क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). संसद् सदस्यों के टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था डाक-तार विभाग द्वारा लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय की सलाह पर आवास तथा टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य) नियमावली

1956 के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। किसी व्यक्ति की संसद् की सदस्यता समाप्त होने पर उसे दी गई ये सुविधाएं वापिस ले ली जाती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संसद् सदस्यों के लिये निःशुल्क टेलीफोन काल

674. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि संसद् सदस्यों का वेतन तथा भता अधिनियम 1954 के अनुसार एक संसद् सदस्य 3500 टेलीफोन काल निःशुल्क कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि टेलीफोन विभाग स्थानीय टेलीफोन कालों की गणना वार्षिक आधार पर न करके त्रैमासिक आधार पर करता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) टेलीफोन कालों की त्रैमासिक आधार पर गणना करने के स्थान पर वार्षिक आधार पर गणना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि त्रैमासिक आधार पर गणना से संसद् सदस्यों को असुविधा होती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाक-तार शुल्क पद्धति में सभी टेलीफोन प्रयोक्ताओं के लिए 'प्रमापी दर प्रणाली' के अन्तर्गत प्रति तिमाही 150 निःशुल्क स्थानीय काल करने की व्यवस्था है। संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जो प्रति तिमाही 150 काल से ऊपर निःशुल्क कोटा निर्धारित किया गया है, उसके लिए लोक-सभा/राज्य-सभा सचिवालय डाक-तार विभाग को अदायगी करता है। हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार अब संसद् सदस्यों को 5400 काल प्रति वर्ष की सीमा से अधिक काल करने पर ही शुल्क अदा करना होगा।

(ख) जी हां।

(ग) डाक-तार की कार्यविधि के अनुसार किराये और स्थानीय कालों के बिल तिमाही आधार पर जारी किये जाते हैं।

(घ) ऊपर (क) से (ग) तक में स्पष्ट की गई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक डाक-तार विभाग का सम्बन्ध है, कोई भी परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि कालेज

675. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में एक कृषि कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर खोला जायेगा ;

(ग) क्या यह कालेज भी उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का नैनीताल कृषि कालेज है;

(घ) क्या यह कालेज विदेशों के सहयोग से स्थापित किया जायेगा ; और

(ङ) उस पर अनुमानित खर्च क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं होते ।

दिल्ली में गोमांस की बिक्री पर रोक

676. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गोबध पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली से बाहर से लाया गया गोमांस दिल्ली में बेचा जा सकता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में गोमांस की बिक्री पर भी हाल ही में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता ; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । (उस गोमांस को छोड़कर जो सील बन्द डिब्बों में बाहर से दिल्ली लाया जाता है ।)

(ग) वायुयान तथा रेल द्वारा यात्रा करने वाले वास्तविक यात्रियों के लिये खपत को

छोड़कर 14-12-1966 से दिल्ली संघ क्षेत्र में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबन्ध है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

बासमती चावल का निर्यात

677. **श्री गु० च० नायक :** **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री दे० अमात : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बासमती चावल का विदेशों को निर्यात कर रहा है और यदि हां, तो किन-किन देशों को ;

(ख) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में विभिन्न देशों को देशवार कितना-कितना चावल निर्यात किया गया ;

(ग) अगले वित्तीय वर्ष में अनुमानत: कितने चावल का निर्यात किया जायेगा ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां । भारत विदेशों में बढ़िया बासमती चावल भेजता रहा है । 1967-68 और 1968-69 के दौरान जिन-जिन देशों को जितनी-जितनी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात किया गया था, को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1337/69]**

(ग) अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(घ) 1967-68 और 1968-69 में अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 60.63 लाख और 159.50 लाख रुपये थी ।

पटसन उद्योग में मजूरी संशोधन

678. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी में संशोधन करने के लिये पटसन उद्योग के कर्मचारियों की मांग के बारे में राज्य स्तर पर हो रही त्रिपक्षीय वार्ता असफल रही है ;

(ख) क्या ऐसी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये आम हड़ताल करें ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस उद्योग के श्रमिकों की यूनियनों ने आम हड़ताल करने का एक प्रस्ताव पास किया है ।

(ग) सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार से सम्पर्क बनाये हुये है ताकि कोई समझौता हो सके ।

रतीबती कोयला खान में कर्मचारियों का बेदखल किया जाना

679. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1967 में समझौता होने के बाद रतीबती कोयला खान के संख्या 1, 2 और 3 धौराह के कर्मचारियों को बेदखल कर दिया गया था ; और

(ख) क्या इसके बारे में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), आसनसोल को पहले सूचित कर दिया गया था और उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की थी ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) यूनियन ने इस सम्बन्ध में प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) आसनसोल के पास शिकायत अवश्य की थी, लेकिन उनकी जांच से यह पता चला कि शिकायत सही नहीं थी ।

Tests of Mixing Fertilisers with the Soil

680. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent to which tests have been carried out in regard to mixing fertiliser with the soil ;

(b) whether in the absence of any tests the contents of soil are spoiled by mixing the fertiliser which adversely affect fertility of the soil ;

(c) the names of areas where the soil became acidic and alkaline as a result of mixing fertilisers ; and

(d) whether Government have formulated any scheme to remove these defects ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Tests have been carried out on application of fertilizers to soil since the beginning of the century. Such studies have been intensified in recent years all over the country to aid efficient use of fertilizers.

(b) Fertilizers are applied to improve the fertility status of the soil. Balanced fertilizer use has not brought to notice so far any case where soil fertility has been affected. Fertilizer application on the basis of soil tests, however aims at efficient and economic use of fertilizer in crop production.

(c) No such incidence has been reported. Prolonged use of some acidic fertilizers, however, brings in slight change in soil reaction but in no case such acidity has reached a level to adversely affect the crop yield. Generally, amendments like basic slag, lime etc. are applied in correcting acid conditions. There is hardly any danger of the soil becoming alkaline as fertilizers like Sodium nitrate which bring in such effects are practically not used in the Country.

(d) A centrally sponsored scheme on the use of conditioners for correcting soil reaction was in operation from 1966-67 to 1968-69 under which soil conditioners were supplied to farmers on subsidised basis. This was primarily meant for correcting acidity or alkalinity caused due to high rainfall, water logging and salt accumulation etc. It is no more implemented as a centrally sponsored scheme and instead, State Governments have been advised to subsidise sale of soil conditioners to farmers for correcting soil reaction under their State Plan schemes.

Opening of Tractor Stations

681. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of Blocks where Government have opened Tractor Stations for providing them on hire basis;

(b) the rate of per-acre tilling; and

(c) whether Government propose to provide incentive to the Cooperative Societies and individuals for opening such tractor stations?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) A scheme for establishment of Agricultural Machinery Hire Centres in the different States during the IV Plan has already been finalised and under the scheme, Agro-Industries Corporations set up in the different States would be establishing these Centres. The Corporations in the States of Punjab, Haryana, Kerala, Bihar, West Bengal and Assam have already set up pilot Centres.

(b) The rates for tilling vary from State to State depending upon the type of operation and the season.

(c) Yes. Under the scheme for the establishment of service repairs centres for tractors and other agricultural machinery, and for providing custom service in Agricultural Machinery by selected Cooperatives financial assistance to seven selected Cooperatives, five in Mysore and one each in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh has so far been provided by National Cooperative Development Corporation. Also, Agro-Industries Corporations and Commercial Banks have been requested to assist individuals, etc., in the setting up of Hire Centres by supplying machinery on hire purchase terms/grant of loans.

आयातित अनाज की आवश्यकता

682. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री शिव चरण लाल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री देवेन सेन :
श्री जुगल मंडल :
श्री रा० बरुआ :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आयातित अनाज की कुल कितनी आवश्यकता का अनुमान है और इस अनाज का मूल्य अनुमानत: कितना होगा ;

(ख) क्या अपेक्षित मात्रा में अनाज के आयात के लिये विदेशों के साथ करार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मौजूदा अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष में लगभग 52 लाख मीटरी टन आयातित खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। खाद्यान्न की लागत तथा भाड़ा मूल्य अनुमानत: 309.5 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). 31 दिसम्बर के बाद निम्नलिखित प्रबन्धों के अन्तर्गत आयात किया जाता रहा :

(1) कनाडा से गेहूं सहायता
(2) यू० के० से गेहूं सहायता
(3) 23 लाख मीटरी टन गेहूं के लिये 23-12-68 को पी० एल० 480 करार जिसके लिये अंशत: रुपये में और अंशत: परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण शर्तों के अन्तर्गत भुगतान किया जायगा।

1969 के दौरान खाद्यान्नों के आयात के लिये 1969 में अब तक जिन करारों पर

हस्ताक्षर किये गये थे, उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967 के अन्तर्गत डेन्मार्क से 20300 मीटरी टन खाद्य सहायता ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967 के अन्तर्गत पश्चिमी जर्मनी से 64000 मीटरी टन खाद्य सहायता ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार के अन्तर्गत यूरोपियन इकनामिक कम्यूनिटी से 80,000 मीटरी टन खाद्य सहायता ।

(4) 3 लाख मीटरी टन माइलो तथा एक लाख टन चावल के लिए 25-4-69 को पी० एल० 480 करार ।

(5) लगभग 203 हजार मीटरी टन चावल के लिए बर्मा से करार दिनांक 5-2-1969 जिसके लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जायगा ।

(6) 60 हजार मीटरी टन चावल के लिए संयुक्त अरब गणराज्य के साथ करार, दिनांक 18 फरवरी, 1969 जिसके लिए रुपयों में भुगतान किया जायगा जिसे भारत से आयात के लिये प्रयोग किया जायगा ।

(7) 75 हजार मीटरी टन चावल के लिये थाईलैण्ड से करार, दिनांक 2-5-69 जिसका विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जायगा ।

1969 में जो आयात किए जाने हैं, ऐसे किसी प्रबन्ध को अभी कोई अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

राज्यों में सूखा

683. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बार-बार अकाल और सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिये एक स्थाई केन्द्रीय संगठन बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बार-बार अकाल और सूखे से ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त स्थाई कार्यक्रमों को लागू करने के प्रश्न पर भारत सरकार सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रही है। यह महसूस किया गया है कि बार-बार सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों के लिये काफी समय तथा भारी मात्रा में संसाधनों की जरूरत होगी। चूंकि ये क्षेत्र विभिन्न राज्यों में हैं इसलिये सीमित साधनों वाले एक केन्द्रीय संगठन के लिये इन्हें हल करना संभव नहीं है। 1 अप्रैल, 1969 से बार-बार सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के विकास की योजना को राज्य क्षेत्र को सौंप दिया गया है। फिर भी बार-बार सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों की समस्याओं सहित विशेष समस्याओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

Agricultural Prices as fixed by Agricultural Prices Commission

684. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the factors which were taken into consideration at the time of fixing agricultural prices by the Agricultural Prices Commission and whether the interests of agricultural labourers were also taken into cosnideration ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the names, designation of the members of the Commission and its terms of reference ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Minimum Support Prices for important agricultural commodities and Procurement Prices for foodgrains are fixed after considering the recommendations of the Agricultural Prices Commission. The factors taken into account by the Commission in suggesting the levels of these prices are enumerated in the terms of reference, given in the answer below to part (c). In making its recommendations the Commission is enjoined to give due regard to the interests of different sections of community which include agricultural labourers.

(b) Does not arise.

(c) Dr. Ashok Mitra — Chairman
Dr. Dharm Narain — Member
Shri S. C. Chaudhri .. Member-Secretary

The terms of reference of the Commission are as follows :

1. To advise on the price policy of agricultural commodities, particularly paddy, rice, wheat, jowar, bajra, maize, gram and/other pulses, sugarcane, oilseeds, cotton and jute with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer.

1.1. While recommending the price policy and the relative price structure, the Commission may keep in view the following:

(i) The need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for maximising production;

(ii) the need to ensure rational utilisation of land and other production resources;

(iii) the likely effect of the price policy on the rest of the economy, particularly on the cost of living, level of wages, industrial cost structure, etc.

1.2. The Commission may also suggest such non-price measures as would facilitate the achievement of the objectives set out in 1 above.

2. To recommend from time to time, in respect of different commodities, measures necessary to make the price policy effective.

3. To examine, where necessary, the prevailing methods and cost of marketing of agricultural commodities in different regions, suggest measure to reduce costs of marketing and recommend fair price margins for different stages of marketing.

4. To keep under review the developing price situation and to make appropriate recommendations, as and when necessary, within the framework of the overall price policy.

5. To keep under review studies relating to the price policy and arrangements for collection of information regarding agricultural prices and other related data and suggest improvements in the same.

6. To advice on any problems relating to agricultural prices and production that may be referred to it by Government from time to time.

Industrial Undertakings

685. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6648 on the 17th April, 1969 and state:

(a) whether the information in regard to industrial undertakings working under the control of his Ministry has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A copy of the reply given in fulfilment of the assurance to the Lok Sabha Unstarred Question No. 6648 is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1338/69]**

Land Acquisition in States

686. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Food and Ariculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5890 on the 10th April, 1969 and state:

(a) whether the information regarding land acquisition in states has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). No State Government has reported initiation of cancellation proceedings in respect of leases of surplus lands acquired under the laws relating to ceiling on land holdings. However, in Uttar Pradesh action to cancel leases is being taken in respect of lands vested in Gaon Sabhas under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, which were let out by Gaon Sabhas in contravention of provisions of the Act and Rules made thereunder. As a result of scrutiny of such leases during the three years 1964—67, 1,01,948 cases under section 198 (2) of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 for cancellation of irregular leases were instituted. The cases are being processed in the Courts.

Sugarcane Seed Research Sub-Station, Motihari (Bihar)

688. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Sugarcane Seed Research Sub-Station on the lines of that at Coimbatore has been set up at Motihari in Champaran District (Bihar);

(b) if so, whether it is also a fact that sufficient land has not been provided to them for the purpose of carrying out research there;

(c) whether it is also a fact that the variety of seeds developed at the Coimbatore sub-station has given more yield in Champaran; and

(d) if so, the date by which Government propose to set up a good Research Station in the Champaran District in the interest of sugarcane growers after providing the land?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Sugarcane Research Sub-Station has been functioning at Motihari since 1964. The main function of this sub-station is to evaluate the different genetic material supplied by the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, for their suitability in the sub-tropical regions.

(b) No Sir. The Station has adequate land for its existing programme of research.

(c) Some preliminary trials have indicated the superiority of some of the Co. canes over the local varieties. More trials, however, need to be taken up to confirm the findings.

(d) The station is expected to be developed adequately during the Fourth Plan period.

कुशल और अकुशल श्रमिकों की मजूरी

689. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि कई क्षेत्रों में सरकारी निर्माण-कार्यों में कुशल और अकुशल श्रमिकों को 9.25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजूरी मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार और उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा अजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Report of the National Labour Commission

690. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Gadilingana Gowd :**
Shri K. P. Singh Deo : **Shri Sradhakar Supakar :**
Shri Indrajit Gupta : **Shri M. S. Oberai :**
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Labour Commission has completed its work ;

(b) if so, the details of the recommendations made in the report ; and

(c) the amount spent so far on the Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The total amount spent on the Commission till the end of May 1969 was Rs. 31,85,154.

'Sansad Samiksha' Programme of A.I.R.

691. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received complaints of discrimination and neglect in the broadcast of 'Sansad Samiksha' (Today in Parliament) ;

(b) if so, whether Government would make arrangements to get the work relating to review of Parliamentary proceedings done by its own officials and it will not be assigned to outside Press representatives with a view to maintain impartiality ;

(c) if so, when such arrangements are likely to be made ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There have been a few complaints from some members of Parliament.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The present arrangement for getting scripts of "Sansad Samiksha" written by outside journalists was decided upon in accordance with the wishes of The Informal Consultative Committee of Parliament attached to the Ministry, and has been found to be satisfactory.

Introduction of Automation in Industries without Retrenchment

693. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have constituted a Committee to find out the Industries in which automation can be introduced without retrenchment ;

(b) if so, whether the Committee would go into the matter from pro-capitalists or pro-labour point of view ;

(c) the progress made by the Committee in its work ; and

(d) in case no progress has been made, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1339/69]**

आकाशवाणी का पूना केन्द्र

694. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री मधु लिमये :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के पूना केन्द्र से अप्रैल-मई, 1969 में पूना में आयोजित बसन्त व्याख्यानमाला में से कुछ व्याख्यान रेडियो से प्रसारण के लिये चुने थे ; और

(ख) यदि हां, तो चुने गये व्याख्यानों का ब्योरा क्या है और चयन की कसौटी क्या थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) व्याख्यानों की एक सूची सदन की मेज पर रखी गई है जिसमें से उद्धरण प्रसारित किये गये थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1340/69]** चयन की कसौटी यह थी कि वे अध्यक्ष जो साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर थे, प्रसारण के लिये चुने गये । विवादास्पद विषयों पर व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल नहीं किये गये थे ।

दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का कार्यकरण

695. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइकिलों की ट्यूबों तथा टायरों का कोटा पाने वाले दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अनेक उपभोक्ता सहकारी भण्डार समुचित हिसाब-किताब रखे बिना ही ट्यूबों और टायरों को चोरी छिपे बेच देते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सहकारी संस्थाओं के इस प्रकार के अनुचित आचरण से सारे सहकारी आन्दोलन को बदनामी मिल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सहकारी भण्डारों को ठीक ढंग से चलाने तथा उनका दुरुपयोग करने वालों को कठोर दण्ड देने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि साइकिल टायरों तथा ट्यूबों के क्रय-विक्रय का कार्य करने वाले कुछेक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों ने अनाचार बरते हैं ।

(ख) प्रत्येक सहकारी समिति अपने कार्यों के लिये स्वयं उत्तरदायी है ।

(ग) निम्नलिखित प्रतिकारक उपाय किये गये हैं :

(1) दिल्ली प्रशासन द्वारा दोषी पाए गए भंडारों के विरुद्ध दिल्ली साइकिल टायर तथा ट्यूब नियंत्रण आदेश, 1967 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही जा रही है ।

(2) दिल्ली प्रशासन ने लाइसेंसशुदा उपभोक्ता सहकारी भण्डारों द्वारा साइकिल के टायरों तथा ट्यूबों के वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिये अनेक उपाय किए हैं ।

दिल्ली में सुपर बाजार

696. **श्री बलराज मधोक .**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सुपर बाजारों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) शेयर पूंजी तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों के रूप में इन बाजारों पर कुल कितना रुपया लगा है ;

(ग) इन सुपर बाजारों में से प्रत्येक में वहां की बिक्री की तुलना में कार्यकारी खर्च का क्या अनुपात है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ सुपर बजारों में दालों आदि के पैकटों में घोषित भार से कम भार पाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं तथा कर-दाताओं के हितों का ध्यान रखते हुये इन बाजारों को बन्द करने के बारे में विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) चार ; तीन (सुपर बाजार) को कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली और एक (कोआप्स) को दिल्ली होलसेल कंज्यूमर्स स्टोर्स लि०, दिल्ली चलाता है ।

(ख) (1) अंश पूंजी : 34 लाख रुपए

(2) ऋण : 26.25 लाख रुपये (इसमें से 7,78,400 रु० की राशि सुपर बाजार द्वारा अदा कर दी गई है)

(3) अनुदान : 8.085 लाख रुपये ।

(ग) वर्ष 1967-68 में "सुपर बाजार" की तीनों शाखाओं का कार्यकर व्यय उनकी कुल बिक्री का 12.61 प्रतिशत था । कोआप्स के बारे में यह प्रतिशत 12.51 था ।

(घ) थैलों में दालों का कम वजन होने के किन्हीं विशिष्ट दृष्टांतों की सूचना नहीं मिली है । तथापि कुछेक मामलों में उपभोक्ताओं आदि द्वारा थैलों को असावधानी से उठाने तथा रखने के कारण उनमें भरी दालों के गिर जाने से वजन में कमी हो सकती है । सुपर बाजार द्वारा जो वस्तुएं थैलों में भरी जाती हैं, उनके वजन पर वह कड़ी निगरानी रखता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली टेलीफोन जिले में टेलीफोन आपरेटरों की सेवा समाप्ति के नोटिस

697. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **सूचना, प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में 40 टेलीफोन आपरेटरों को, जिन्होंने अक्तूबर, 1967 से 31 जुलाई, 1968 तक की अवधि में 100 से अधिक दिनो का अवकाश लिया था, सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गए थे जो बाद में 7 मामलों को छोड़कर वापस ले लिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो ये नोटिस किन नियमों के अन्तर्गत दिये गये थे और वापस लिए गए थे ;

(ग) क्या डिवीजनल इंजीनियर (फोन) को सेवा समाप्ति के ये नोटिस देने का अधिकार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो डिवीजनल इंजीनियर के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ रिट-याचिकाएं दायर किए जाने के कारण यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों का स्थायीकरण

698. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक टेलीफोन आपरेटरों को, जो 1 जनवरी, 1969 को 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, अभी तक अर्ध स्थायी घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और कितने व्यक्तियों को अर्ध-स्थायी घोषित किया गया है ; और

(ग) पूर्वोक्त व्यक्तियों को अर्ध-स्थायी घोषित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). स्थायीवत घोषित किए गए व्यक्तियों की संख्या 1505

जिन्हें विभिन्न कारणों से अभी तक स्थायीवत घोषित नहीं किया गया 3337

जैसे कि—

(I) असंतोषजनक सेवा रिकार्ड ।

(II) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध चल रही प्रशासनिक कार्रवाई या सतर्कता के मामले ।

(III) अधूरे सेवा रेकार्ड ।

प्रेम नगर में दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो

699. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थ्यागराज नगर (प्रेम नगर) की कल्याण संस्था ने अपने क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो खोलने के लिए अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर अभी तक दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने सेवानगर में दूध के दो डिपो खोले हैं उनमें से एक डिपो थ्यागराज नगर (प्रेम नगर) की आवश्यकताओं को पूरा करता है । इस डिपो से दूध की जो मात्रा बेची जाती है उससे अभी एक अतिरिक्त डिपो खोलने की आवश्यकता मालूम नहीं होती ।

रबी की फसलों का उत्पादन

700. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी की फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1968-69 की रबी की फसलों के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों को अभी तक अन्तिमरूप नहीं दिया गया है ।

गुजरात को माइलो की सप्लाई

702. **श्री द० रा० परमार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के मजदूरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये फरवरी 1969 से पिछले चार मासों में स्वीकृत कोटे से अधिक माइलो की सप्लाई करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र के पास कुल उपलब्धि तथा जरूरतमंद राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को कोटों का आवंटन किया जाता है। जून, 1969 तक गुजरात को कम मात्रा में माइलो आवंटित की गई थी क्योंकि उपलब्धि बहुत सीमित थी। विदेश से और माइलो प्राप्त होने पर गुजरात को जुलाई से अधिक मात्रा में माइलों का आवंटन किया जा रहा है।

पटसन की खेती

703. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि आगामी फसल में कितने एकड़ भूमि में पटसन की खेती की गई है ;

(ख) क्या सरकार समझती है कि इस वर्ष इतनी अच्छी फसल होगी, जो देश की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये पर्याप्त होगी ; और

(ग) अच्छी फसल के लिये प्रोत्साहन देने हेतु अच्छी किस्म के बीजों, उर्वरकों आदि की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). यह अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है कि वर्ष 1969-70 में कितने एकड़ भूमि में पटसन की खेती की जायेगी तथा उत्पादन कितना होगा। फसल के लिये अभी तक मौसम अनुकूल रहा है। यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादन पर्याप्त होगा अथवा नहीं।

(ग) अच्छी किस्म के बीजों और उर्वरकों आदि की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) राष्ट्रीय बीज निगम अथवा राज्य फर्मों द्वारा उत्पादित प्रमाणीकृत बीजों पर 50 प्रतिशत राज सहायता का उपबन्ध।

(2) विशेष पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरिया की लागत तथा विमानों द्वारा कीटनाशक दवाइयों के छिटकने जिसमें विमानों की संचालन लागत, औजारों का भांडागार, लो व्योलूम पावर सप्रेअर की संचालन लागत जिसके लिये पहले टी 50 प्रतिशत राज्य सहायता दी जाती है, भी शामिल है, के लिये 100 प्रतिशत राजसहायता का उपबन्ध।

देश में बिना लाइसेंस से रेडियो सेट

704. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने लाइसेंसों का नवीकरण नहीं कराया गया ; और

(ग) कानून के इस बढ़ते हुए उल्लंघन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश में बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों का कोई सही अनुमान लगा सकना संभव नहीं ।

(ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) लाइसेंस न बनवाने वालों की धर-पकड़ के लिए देश भर में नियमित रूप से समय-समय पर जोरदार अभियान चलाने के लिए समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है ।

प्रचार का माध्यम

705. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के लिये समाचारपत्रों की कितनी प्रतियां, कितने रेडियो सेट तथा चलचित्र सेट उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या यह देश के विस्तृत देहातों की सूचना तथा शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त साधनों में वृद्धि में प्रोत्साहन देने को लिये कोई योजना तैयार की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के 44.8 समाचरपत्रों की प्रतियां तथा 17 रेडियो सेट उपलब्ध हैं । देश भर में 6,733 चलचित्र हैं जो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे .0127 सिनेमाघर होते हैं । सीटों की संख्या अलग-अलग सिनेमाघरों में अलग-अलग है । देश में सिनेमाघरों की सीटों की संख्या सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। सरकार छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों को विभिन्न सुविधायें देकर सदैव समाचारपत्रों के विकास को प्रोत्साहित करती रही है। ऐसा निर्णय किया गया है कि 1973 तक प्रतिवर्ष 70,00,000 रेडियो सेट/ट्रांजिस्टर तैयार किये जाएंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 20 व्यक्तियों के पीछे एक रेडियो सेट तैयार करने का लक्ष्य है। जहां तक सिनेमाघरों का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार का विषय है अतएव, सरकार हमेशा ही राज्य सरकार को अधिक सिनेमाघरों की आवश्यकता पर जोर देती आ रही है।

Popularisation of High Yielding Variety Seeds

706. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the measures being adopted by Government to make farmers interested in high-yielding varieties of seeds ;

(b) whether arrangements have also been made to give loans to the farmers to enable them to procure seeds and fertilisers ;

(c) whether any arrangements have been made at the District level to ensure that high-yielding varieties of seeds are made easily available to the farmers ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) To induce the farmers to take up the High-Yielding Varieties of Seeds, a Multi-Crop Demonstrations Scheme has been taken up. Under this scheme demonstrations on the High-Yielding Varieties of Seeds are organised on the farmers fields and the inputs like improved seeds, fertilisers and pesticides are provided. The intention of organising these demonstrations is to show to the cultivators how yields can be maximised by the combined effect of all inputs. Besides, training of the farmers in the adoption of package of practices recommended for different crops, is also organised at the commencement of each crop season. The farmers participating in the programme are assured of inputs required like seeds fertilisers, pesticides credit etc.

(b) Short term loans are being advanced by the cooperative credit societies to the farmers for the procurement of seeds and fertilizers. Under the crop loan system which has been introduced in almost all the States, the cultivators who are members of cooperative credit societies get loans for the high-yielding varieties of seeds and fertilisers. For cultivators who are not members of cooperative credit societies and who cannot get loans from such societies, State Governments are making arrangements for sanctioning taccavi loans for the purpose. Some commercial banks have also started giving loans to the cultivators for the purchase of seeds and fertilisers.

(c) and (d). The Government of India is only coordinating the arrangements for the supply of high-yielding varieties of seeds. Their distribution within the States is entirely the responsibility of the respective State Governments.

Farmers' Dues Outstanding Against Sugar Mills in U. P.

707. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Sugar Mills in U. P. still owe large amounts to farmers ;

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to ensure payments to farmers ;

(c) the respective amount that each of the said mills owes to the farmers and to the Government now ; and

(d) whether Government propose to take fresh decisions for the recovery of outstanding amount ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Arrears of cane price are recovered by the State Government as arrears of land revenue.

(c) Two statements, one showing arrears of cane price, Cooperativc Societies Commission and interest thereon for the season 1968-69 as on 31st May, 1969, and the second showing arrears of can cess/cane purchase tax as on 31st May, 1969 are attached. **[Placed in Library. See No. LT-1341/69]**

(d) The State Government are making all-out efforts to realise these dues and are also considering more effective steps for realisation thereof.

मजूरी बोर्डों के पंचाटों की क्रियान्विति

708. **श्री स० मो बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्डों के पंचाटों की क्रियान्विति को अनिवार्य बनाने के प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न पंचाटों के क्रियान्विति को किये जाने की समस्या को किस प्रकार हल करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). मजूरी बोर्ड प्रणाली का कुछ समय से पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने से पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का विचार है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

709. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीचन्द गोयल ;

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में अत्यावश्यक खाद्यान्नों के मूल्य मई 1969 में बढ़ गये थे ;

(ख) यदि हां, मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई थी और उसके क्या कारण थे ; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मई, 1969 के दौरान देश के अधिकांश भागों में चावल के खुले बाजार में वृद्धि हुई है। उसी अवधि में उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली में गेहूं के मूल्यों में तथा गुजरात, तमिल नाडू, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में ज्वार के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) चीनी का अखिल भारतीय थोक सूचनांक 3.1 प्रतिशत तक ऊपर पहुंच गया था। जहां तक गेहूं तथा ज्वार का सम्बन्ध है, इनका अखिल भारतीय थोक सूचकांक क्रमशः 2.72 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत तक नीचे आ गया था हालांकि कुछ राज्यों में मूल्यों में वृद्धि हुई थी। कीमतों में उतार-चढ़ाव मुख्यतः मौसमी था।

(ग) सरकार सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई कर रही है।

हड़ताल से प्रभावित कर्मचारी

710. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अनेक स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुनः काम पर लिये जाने के आदेश दिये जाने पर उन्हें पुनः काम पर नहीं लगाया गया है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि हड़ताल में भाग लेने वाले सभी अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

बिहार में सूखा

711. **श्री कार्तिक ओरांव :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर और संथाल परगनों में सूखे की वर्तमान स्थिति के बारे में बिहार राज्य सरकार से कोई संदेश प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या बिहार के इस भाग में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक समिति भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में बार-बार सूखा पड़ने की स्थिति को समाप्त करने के हेतु बिहार के इस भाग के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक विशिष्ट रूप से कोई सहायता नियत की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बिहार सरकार से यह सुनिश्चित किया गया है कि पालामऊ जिले में सूखे जैसी स्थिति चल रही है । फिलहाल, छोटानागपुर का कोई अन्य भाग सूखे से प्रभावित नहीं हुआ है । संथाल परगना में भी कोई सूखे की स्थिति नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सामान्यत: बराबर सूखा पड़ने की स्थिति को समाप्त करने की योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्य योजना का एक भाग होनी चाहिए । चौथी योजना की अवधि के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के नियमों के अनुसार निर्धारित परिव्यय तथा अनुमोदित योजना परिव्यय के अन्तर्गत निष्पादित कार्य को ध्यान में रखते हुए बिना किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्षक के संदर्भ में केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों में दी जानी है । यह निर्धारित परिव्यय अथवा कुल योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्य में कमी पायी जाएगी तब दोनों ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता में अनुपातत: कमी कर दी जाएगी । अत: सामान्यत: इस नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता को निर्धारित करना सम्भव नहीं है तथा कार्यक्रम तैयार करना तथा चिरकाल से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक धन-राशि आवंटित करना राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है । तथापि, चौथी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता को निर्धारित करते समय राज्य के पिछड़ेपन और बंजरपन की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है ।

चण्डीगढ़ में श्रमिक बस्तियां

712. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ के सैक्टर 14, 26 और 30 में श्रमिक बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की बस्तीवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) गलियों में रोशनी, सार्वजनिक शौचालय और स्नानगृह, पेय जल और घरों में बिजली के कनक्शनों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि सैक्टर 26 में श्रमिक बस्ती में आवश्यकता से अधिक भीड़भाड़ है और यदि हां तो क्या सरकार इस बस्ती का विस्तार करने की योजना बना रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त बस्ती में मकानों को आगे किराये पर देने के बारे में कोई जांच की है और यदि हां तो जांच-परिणाम क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 14, 26 और 30 सैक्टरों में श्रमिक बस्तियों की कुल जन-संख्या क्रमशः 4000, 4500 और 7800 है ।

(ख) इन बस्तियों में सड़कों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि ये अस्थायी रूप से बनाई गई हैं । परन्तु वहां 80 शौचालय और 99 नल तथा 125 घरेलू विद्युत कनेक्शन (अस्थायी) हैं ।

(ग) जी हां । भीड़-भाड़ इस कारण है कि श्रमिक बस्तियों में लोग अनधिकृत रूप से बस गये हैं । अनधिकृत व्यक्तियों की बेदखली के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(घ) जी हां । कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर सही किरायेदारों से प्रार्थना-पत्र मांगे गये और उनके नाम पर आवंटन निश्चित कर दिया गया । उन पट्टादारों का पट्टानामा जिन्होंने फ्लैटों को किराये पर किया था, रद्द कर दिया गया ।

गोरक्षा समिति का प्रतिवेदन

713. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री अटल बिहारी बाजपेयी:**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **श्री सूरज भान :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरक्षा समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अब तक गोरक्षा समिति की 12 बैठकें हुई हैं और 123 व्यक्तियों में से, (जिन्हें मौखिक गवाही के लिए बुलाया गया था) 53 गवाहों से भेंट हुई है। 230 व्यक्तियों में से, जिनको कि समिति ने लिखित ज्ञापन भेजने के लिये कहा था, 120 व्यक्तियों के ज्ञापन प्राप्त हुये हैं। इसके अतिरिक्त सब राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को प्रश्नावली भेजी गई थी और समिति को उनके उत्तर प्राप्त हो गये हैं।

सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधियों का विचार-विमर्श से वापिस बुलाये जाने के कारण अगस्त, 1968 से कार्य रुका हुआ है। सरकार ने सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति से प्रार्थना की है कि वह समिति के कार्य में सहयोग दे ताकि विचार-विमर्श शुरू हो सके और समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

(ख) इस समय कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती कि कब तक समिति अपना प्रतिवेदन देगी। सरकार आशा करती है कि सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, भारत सरकार की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये समिति के कार्य में भाग लेंगे और समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी।

गो-रक्षा के लिये संसद् सदस्यों द्वारा धरना

714. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् और दिल्ली निगम के कुछ सदस्यों ने गो-रक्षा आंदोलन के सम्बन्ध में धरना दिया था ;

(ख) यदि हां, तो धरना देने वालों की मांगें क्या थीं ; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। दिल्ली प्रदेश जनसंघ द्वारा दिनांक 21-5-69 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर गोहत्या निषेध के सम्बन्ध में एक धरना आयोजित किया गया था।

(ख) प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि दिल्ली महानगर परिषद ने अपनी 14 नवम्बर, 1967 की बैठक में जो दिल्ली गोरक्षा विधेयक, 1967 पास किया था, उसके अनुसार दिल्ली में गाय तथा गोसन्तति पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाया जाये।

(ग) विधेयक के अनुसार संघ प्रशासित दिल्ली क्षेत्र में गायों, बैलों और किसी भी आयु के बैलों के (उनके दूध देने या प्रजनन या भारवाहक पशु के रूप में काम करने के अयोग्य होने के उपरान्त भी) बध पर प्रतिबन्ध है। इससे अनुचित प्रतिबन्ध लग जाते हैं जो कि संविधान के परन्तुक 19 (1) (जी) के विरुद्ध है। इसलिए सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की।

Refertilisation of Land

715. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any Conference was held in New Delhi in May, 1969 with a view to devising the ways and means to refertilise the land ; and

(b) if so, the main suggestions made therein and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. A Conference of Agricultural Production Commissioners of States was, however, held from 17th to 19th May, 1969 for devising ways and means to increase Agricultural Production. Its proceedings are being finalised.

(b) Does not arise.

मशीनरी भण्डार-व्यवस्था तथा कृषि उत्पादों के लाने ले जाने सम्बन्धी प्रशिक्षण

716. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्रय-विक्रय, भण्डार-व्यवस्था, माल लाने ले जाने तथा कृषि उत्पादन के तैयार करने का प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन संस्थानों को केन्द्र सरकार से अनुदान मिलेगा तथा इस उद्देश्य के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि मिलेगी ; और

(ग) इस योजना का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के विस्तार निदेशालय ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के 100 चुनिन्दा जिलों में कृषकों को प्रशिक्षण देने व शिक्षा प्रदान करने का एक क्रम बद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक विभिन्न राज्यों के लिये 50 कृषक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं और चतुर्थ योजना में अतिरिक्त 50 को भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को अधिक उत्पादनशील किस्मों के उत्पादन की नवीनतम विधियों

और तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषक प्रशिक्षण के अंग के रूप में विपणन भण्डारण, परिवहन और फार्म प्रक्रिया में प्रशिक्षण देने का आयोजन किया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Telephone Services in North Bihar

717. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the working of Telephone System in North Bihar is deplorable ; and

(b) if so, the details of the scheme being drawn up by Government to make improvements therein ?

The Minister of State in Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, this does not arise. However, it may be mentioned that normal maintenance and development activities are carried out. About 1800 exchange lines are being added in 12 existing exchanges and 4 new exchanges are being opened. Trunk services are also being strengthened on five main routes.

Memo. Submitted by District Congress Committee, Bikaner to the Prime Minister during Her Visit in May, 1969

718. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during her visit to Bikaner (Rajasthan), the Prime Minister was presented a Memorandum by the District Congress Committee of Bikaner in regard to some of their demands on the 3rd May, 1969 ; and

(b) if so, the nature of those demands and the steps taken or proposed to be taken on them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Bikaner District Congress Committee had drawn attention mainly to the various measures needed for the permanent solution of the drought problem and the development of the District like the following :

(i) speedy completion of the Rajasthan Canal and Rajasthan Canal Lift Scheme ;

(ii) construction of tubewells ;

(iii) opening of fodder banks, production of fodder and planning for dairy development ;

(iv) encouragement of rural industries ;

(v) construction of roads ;

(vi) treatment of border areas as backward for undertaking their development and provision of communication facilities including postal facilities in such areas;

(vii) conversion of Delhi-Bikaner railway line into Broad Gauge and extension of the Bikaner—Shri Kolayat line, and its link up with, Phalaudi-Pokaran;

(viii) reduction of unemployment by starting large scale and small scale industries, exploitation of the mineral wealth and setting up of a thermal power plant etc.

The suggestions comprise long term development plans for the area and have been brought to the notice of the State Government and the Central Ministries/Departments concerned for suitable necessary action.

Lift Irrigation Schemes in Madhya Pradesh for Inclusion in Fourth Plan

719. **Shri G. C. Dixit :**

Shri Jageshwar Yadav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted proposals regarding lift irrigation for the sanction and assistance by Central Government for inclusion in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the details thereof and the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The Madhya Pradesh Government has not submitted any proposal regarding lift irrigation for sanction and assistance for inclusion in the Fourth Five Year Plan.

Survey of Underground Water in M. P.

720. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have conducted any survey of underground water resources in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) the acreage of land likely to be irrigated by the underground water in Madhya Pradesh ; and

(e) the ratio of underground water available in Madhya Pradesh in comparison to that available in other States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The Exploratory Tubewells Organisation under this Ministry which is engaged in countrywide exploration for delineating groundwater worthy areas carried out exploration in Madhya Pradesh during April, 1955 to

April, 1956 and the 1st phase of operation under the All India Groundwater Exploratory Drilling Programme. The Organisatian again took up exploratory/production tubewells drilling in that State during 1962 to June 1963, besides constructing one production tubewells during 1964-65.

In all, the E. T. O. drilled 56 exploratory bores of which 31 proved successful. Under the production tubewells programme, 22 bores were drilled of which 20 proved successful. The districtwise break up of exploratory/production wells drilled by the E. T. O. is given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT 1342/69]**

(d) The area likely to be irrigated in Madhya Pradesh by groundwater is assessed approximately as 4 million acres.

(e) The underground water resources of the country have not yet been fully assessed on a scientific basis. However, it is roughly estimated that the total groundwater potential of the country as a whole is about 55 million acres of which Madhya Pradesh accounts for about 4 million acres. The ratio works out to approximate 1:14.

Arrears of Employees Provident Fund Due from M/s. Burhanpur Tapti Mills Ltd., (Madhya Pradesh)

721. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount of outstanding dues against M/s. Burhanpur Tapti Mill Limited (Madhya Pradesh) on account of the Employees' Provident Fund, Employees' State Insurance Scheme and other dues of employees ; and

(b) whether any action has been taken or is proposed to be taken to recover the arrears from the said mill ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The Employees' Provident Funds Scheme and the Employees' State Insurance Scheme are administered by Employees' Provident Fund Organisation and the Employees' State Insurance Corporation, respectively. The position as ascertained from them is as under :

Employees' Provident Fund : Till June, 1969, M/s. Burhanpur Tapti Mills Limited had not transferred to their Board of Trustees a sum of about Rs. 3.53 lakhs. The Provident Fund Authorities have moved the Government of Madhya Pradesh for cancellation of the exemption granted to the establishment under section 17 (1) of the Employees' Provident Funds Act, 1952, and for according sanction to prosecute the employer of the Mills under section 14 of the said Act. The Regional Commissioner has also been asked to initiate action against the employer under section 406/409 of the Indian Penal Code.

Employees State Insurance : The amount of outstanding dues against M/s. Burhanpur Tapti Mills Ltd., is about Rs. 1.74 lakhs. Legal action under Section 73-D of the Employees' State Insurance Act for recovery of dues of employer's special contribution as arrears of land revenue has already been taken and such action for realisation of Employees' Contribution in arrears is also being taken. Further, a case for prosecution under section 85 of the said Act has been filed.

2. So far as other dues are concerned, the matter falls within the sphere of action of the State Government. The Central Government has no information in this regard.

आंध्र प्रदेश को उर्वरकों का आवंटन

722. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 तक पिछले तीन वर्षों में विभिन्न स्थानों से आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों को कितनी मात्रा में रसायनिक उर्वरकों का आवंटन किया गया ;

(ख) रेल तथा सड़क मार्गों से लाने ले जाने में इन उर्वरकों को प्रति मील क्या दर अदा की गई तथा आवंटियों अथवा व्यापारियों को सड़क मार्ग से माल लाने ले जाने के लिये कुल कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) इस अवधि में व्यापारियों को माल के रेल मार्ग के स्थान पर सड़क मार्ग से लाने ले जाने के लिये कितनी अतिरिक्त धनराशि दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Public Telephone in Dacoit Infested Areas in Rajasthan

723. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a number of towns and villages in Rajasthan which are backward and situated in dacoit infested areas, Government asks for an advance guarantee of a large amount, although public telephones are necessary there ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government will instal public telephones in those areas as a special case ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) to (d). Telephone facility at any place is provided if the scheme is remunerative. In case of loss, some interested party has to indemnify the loss to the Deptt. But this facility can be provided even on loss basis at certain categories of stations based on their importance from the point of view of administration, population, remoteness, tourism, Pilgrimage, and as agriculture and Irrigation Project sites. There is no specific provision for opening Public Call Offices in back-ward and dacoit infested areas on loss basis. Rent and Guarantee for providing Public Call Offices at two places in Sawai Madhopur district were asked as these placed did not fall under any of the categories mentioned above and the schemes for provision of telephone facility at these places were unremunerative. No case for Installation of Public Call Offices in dacoit infested areas of Rajasthan on loss on special grounds is under contemplation at present, as the current policy does not cater for that.

Handing over of Suratgarh farm to Rajasthan Government

724. **Shri Meetha Lal Meena :**

Shri C. Janardhanan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rajasthan State Government has requested Central Government to hand over the Suratgarh Agricultural Farm to them ;

(b) if so, the reaction of Government thereon ;

(c) whether Government is considering to initiate changes in the management of the farm ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The Central State Farms have been running as departmental organisations so far. This form of administration has not been considered as a satisfactory arrangement for State farms which should run on commercial lines. The Government of India have therefore set up a public sector undertaking, under the Company Law namely, the State Farms Corporation of India, for management of these farms. The Corporation is already functioning and is expected to take over the Administration of the farms from 1. 8. 1969.

हरियाणा में सूखा

725. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री यशपाल सिंह :**

श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सूखे की स्थिति से वहां के कितने क्षेत्र तथा कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई ; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये हरियाणा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). हरियाणा में 7 जिलों में से 5 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं । प्रभावित

गांवों की संख्या और जनसंख्या इस प्रकार है :—

जिला	सूखे से प्रभावित गांव की संख्या		प्रभावित कृषि जनसंख्या (हजार में)
	खरीफ-68	रबी-68	
मोहिन्द्रगढ़	559	517	548
रोहतक	230	181	169
गुड़गांव	1377	1586	537
हिसार	1068	1068	450
अम्बाला	1306	1304	उपलब्ध नहीं

(ग) राज्य सरकार को सूखा सहायता के लिये अब तक कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की गई है ।

चावल मिलों के लिये स्थान

726. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री दिनांक 20 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 24 चावल मिलों की स्थापना करने के लिये स्थानों का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 24 में से 18 चावल मिलों की स्थापना करने के लिये स्थानों का निश्चय कर लिया गया है ।

(ख) अब तक मिलों को स्थापित करने के लिये निश्चय किये गये स्थानों का राज्यवार

ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

तामिलनाडू :	(1) थन्जावर
	(2) मन्नरगुड्डी
	(3) सेम्बानोरकायल
	(4) चिदाम्बरम
	(5) मधुरन्तकम
आन्ध्र प्रदेश :	(1) नैल्लोर
	(2) निजामाबाद
	(3) मरियालागुड्डा
केरल :	(1) ओलावक कोट
पंजाब :	(1) बटाला
हरियाणा :	(1) करनाल
उड़ीसा :	(1) हीराकुड
	(2) डुंगरपल्ली
पश्चिम बंगाल :	(1) सुरी
असम :	(1) होजयी
बिहार :	(1) पूर्निया
	(2) चनपट्टिया
उत्तर प्रदेश :	(1) रुद्रपुर

तार इंजीनियरिंग प्रभागों के स्तर पर दूर-संचार सलाहकार समितियां

727. **श्री उमानाथ :** **श्री भगवान दास :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री दूर-संचार सलाहकार समितियों के बारे में 20 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजनों के स्तर पर दूर-संचार सलाहकार समितियां नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

औद्योगिक कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के बारे में कार्यकारी-दल

728. **श्री ई० के० नायनार ।** **श्री राममूर्ति ।**
श्री अ० कु० गोपालन । **श्री मुहम्मद इस्माईल ।**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री दिनांक 20 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बीच औद्योगिक कर्मचारियों को पेंशन देने के बारे में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार कर चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). ये सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं। इस मामले को स्थायी श्रम समिति के अगले अधिवेशन में रखने का विचार है ।

अस्पतालों/चिकित्सालयों के निर्माण के लिये गुजरात राज्य को ऋण

729. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के अधीन श्रमिकों के लिये अस्पतालों तथा चिकित्सालयों के अपूर्ण निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिये तीन से चार करोड़ रुपये का ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अभी तक गुजरात सरकार से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण डाक व तार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

630. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में डाक व तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों की क्या संख्या है

जिनके विरुद्ध 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी ;

(ख) उनमें ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक काम पर वापस आने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ग) क्या ऐसा विचार किया जा रहा है कि जो लोग काम पर वापस आ गये हैं उनकी सेवा में अवरोध की शर्त को समाप्त कर दिया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 19-9-68 की हड़ताल के सिलसिले में डाक-तार विभाग के 2370 कर्मचारियों के विरुद्ध औपचारिक प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में चलाए गए अभियोगों के कारण 5454 कर्मचारी मुअत्तल किये गये और लगभग 24,500 अस्थायी कर्मचारियों के नाम बरखास्तगी के नोटिस जारी किये गये थे। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 32,324 है।

(ख) 760

(ग) जी नहीं।

(घ) लम्बे अर्से से चले आ रहे और सुविदित नियमों के अन्तर्गत अनधिकारिक रूप से अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप सेवा में व्यवधान आना स्वाभाविक ही है। तो भी रियायत देने के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है, कि सक्षम प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह पांच वर्ष तक कर्मचारी का व्यवहार देख कर सेवा में व्यवधान को माफ कर दे और उसके पेंशन सम्बन्धी तथा अन्य लाभों के लिये पिछली सेवा की गिनती करने की अनुमति दे दे। जो व्यक्ति इस अवधि से पहले सेवा-मुक्त होने वाले हैं, उनके सम्बन्ध में सेवा-मुक्ति के समय इसी प्रकार पुनः विचार किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में ऊन उत्पादन में सुधार

731. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन करने हेतु हिमाचल प्रदेश में अच्छी ऊन का उत्पादन करने के उपाय ढूंढने के लिए ऊन-विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं ;

(क) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में संकर भेड़ों की नस्ल तैयार करने के लिये सरकार का विचार वहां और अधिक केन्द्र खोलने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों के लिये भेड़ प्रजनन नीति के विषय में सुझाव देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने वरिष्ठ पशुपालन अधिकारियों की एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी। इस समिति की दूसरी बैठक शिमला में 6 से 8 मई, 1969 तक हुई थी ताकि हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर के लिये भेड़-पालन नीति के विषय में विचार-विमर्श किया जाये और सुझाव दिया जा सके।

(ख) तदर्थ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिये :

(1) हिमाचल प्रदेश की देशान्तरगामी तथा अर्ध-देशान्तरगामी भेड़ों का रूसी मेरीनो, रेमबाइलेट या पालवर्थ मेढ़ों के साथ 75 प्रतिशत विजातीय खून की सीमा तक वर्ण संकर किया जाना चाहिये और उसके बाद विजातीय खून की सीमा को बनाये रखने के लिये देशी जाति के साथ संकरोत्पत्ति की जानी चाहिए।

(2) फलोद्यान क्षेत्रों में कोरीडेल तथा डोरसैट आदि दुहरे उद्देश्य की भेड़ें पाली जानी चाहिए।

(3) बिलासपुर के निचान वाले क्षेत्रों, पन्टा घाटी, वाल्ह घाटी व कांगड़ा घाटी, में स्थानीय भेड़ का अच्छी ऊन देने वाले मेढ़ों के साथ 50 प्रतिशत विजातीय सीमा तक संकरोत्पत्ति की जाये।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े आकार के संकर प्रजनन कार्यक्रम को चालू करने के लिए अच्छी ऊन वाले भेड़ों का आयात करने का प्रस्ताव रखा है।

जम्मू व काश्मीर को चावल की सप्लाई

732. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के दौरान जम्मू व काश्मीर राज्य को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के चावल की सप्लाई की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि इस राज्य को चावल राज सहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई किया जा रहा है और यदि हां, तो वर्ष 1968 के दौरान यह चावल किस दर पर सप्लाई किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि जम्मू व काश्मीर चावल उत्पन्न करने वाला प्रदेश है और यदि हां, तो वहां वर्ष 1968 के दौरान कितना चावल उत्पन्न हुआ तथा उस राज्य को राज्य सहायता प्राप्त दरों पर चावल सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968 में जम्मू तथा काश्मीर को लगभग 9.8 हजार मीटरी टन चावल सप्लाई

(प्रेषित) किया गया था। राज्य सरकारों से लिये गए चावल के मूल्य के आधार पर चावल का मूल्य मोटेतौर पर लगभग एक करोड़ रुपये बैठता है।

(ख) केन्द्रीय भण्डार से जम्मू तथा काश्मीर को चावल की सप्लाई उसी दर पर होती है जिस पर अन्य राज्यों को की जाती है न कि किसी विशिष्ट राज-सहायता मूल्यों पर।

(ग) हालांकि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चावल पैदा होता है लेकिन उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये वह उत्पादन पर्याप्त नहीं है। 1967-68 के फसल वर्ष में जम्मू तथा काश्मीर में 2.8 लाख मीटरी टन चावल का उत्यादन हुआ था। सरकारी वितरण से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकार को कुछ चावल सप्लाई करना पड़ा था।

असरगंज तथा संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

733. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार में मुंघेर जिले की मुंघेर सदर सब-डिवीजन में असरगंज तथा संग्रामपुर महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र हैं ;

(ख) क्या वहां के निवासियों ने इन केन्द्रों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगाने की मांग की है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(घ) क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि ग्राम्य-क्षेत्रों में डाक-तार तथा टेलीफोन की सुविधाओं में वृद्धि की जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो असरगंज तथा संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलोफोन केन्द्र कब खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, असरगंज और संग्रामपुर, मुंगेर जिले में व्यापार-केन्द्र हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) देहाती क्षेत्रों में सीमित घाटे के आधार पर डाक, तार और टेलीफोन की सुविधा की व्यवस्था करने की विभाग की नीति है।

(ङ) असरगंज और संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। इस काम के लिये सामान प्राप्त करने और इसे शीघ्र पूरा करने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

Storage of Foodgrains in M. P.

734. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the places in Bhind and Datia Districts of Madhya Pradesh where foodgrains procured by the Food Corporation of India are stored and storing capacity of each of these warehouses of foodgrains ; and

(b) the steps being taken to build warehouses at each Tehsil Headquarters ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The F. C. I. are operating foodgrain storage godowns at the following places :

Bhind District	(Capacity in metric tonnes)
Bhind	1,350
Lahar	160
Gohad	3,069
Datia District	
Datia	7,145

(b) It is not feasible to build Government or Corporation food storage godowns at each Tehsil Headquarters. The selection of centres for such godowns is made keeping in view the overall needs for the storage and consumption of the Corporation's food stocks. It may be added that godowns at the Tehsil and village level are generally provided by the cooperative societies, for which the National Cooperative Development Corporation give financial assistance.

मेहतरों की काम की शर्तें

735. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री भगवान दास :**
श्री० पी० राममूर्ति : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक अध्ययन दल ने सरकार से प्रार्थना की है कि मेहतरों की काम की शर्तों के बारे में एक व्यापक विधान लाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित की गई मेहतरों और सफाई कर्मचारियों की कार्यदशाओं का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है । इस समय सरकार इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी । आयोग को आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1969 के अंत तक प्रस्तुत कर देगा ।

Introduction of 3-Tier Panchayati Raj System

736. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of success achieved in each State in introducing three-tier Panchayati Raj system in the country ; and

(b) the steps taken by Government ini ntroducing Panchayati Raj in the Union Territories ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The three-tier Panchayati Raj system has been introduced in all States except Kerala, 14 districts of Bihar, Nagaland, Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir.

(b) The question regarding extension of Panchayati Raj system to Union Territories has been under the consideration of the Administrations for some time and the position obtaining in each Union Territory is given in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-1343/69]**

Election of Labour Unions Through Secret Ballot

737. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of States in which arrangements have been made for electing by secret ballot the representative Unions in industries ; and

(b) the steps taken by Government to make such arrangements throughout the country and in industries run by Government of India ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to information available with Government, in Bihar there is a provision for adopting secret ballot to determine the representative character of unions for grant of recognition. The position in other States is being ascertained and on receipt of complete information from them, a statement will be placed on the Table of the House.

(b) There is no central law governing recognition of unions. However, unions are at present considered for recognition on the basis of their paid membership, as provided for in the Code of Discipline. The question whether secret ballot or other alternative method should replace the existing procedure is under the consideration of the National Commission on Labour which is expected to submit its report soon.

मनीपुर प्रशासन द्वारा विवाद को न्याय निर्णय के लिये सौंपना

738. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 8 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8944 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन ने विवाद को न्याय निर्णय के लिये न्यायाधिकरण को सौंपने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जी नहीं। मनीपुर प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनीपुर के केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों के अभ्यावेदन को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र नहीं माना जा सकता।

मद्रास पत्तन में हड़ताल

739. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन में काम करने वाले लगभग 6000 जहाजी कुलियों तथा तटीय मजदूरों ने 2 जून, 1969 से हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत और सूचीबद्ध श्रमिक 1-6-1969 से हड़ताल पर थे। मुख्य मांगें 1968-69 के बोनस, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पंचाट की क्रियान्विति और सूचीबद्ध श्रमिकों को कार्य तथा महंगाई भत्ते के न्यूनतम गारंटी के सम्बन्ध में थी। चूंकि प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मद्रास द्वारा कई तारीखों को समझौते के बारे में किये गये विचार-विमर्श से कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए केन्द्रीय श्रम मंत्री ने इस विवाद में बीच-बचाव किया और उनके द्वारा नई दिल्ली में सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप यह मामला आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से तय हो गया तथा श्रमिकों ने हड़ताल समाप्त करके 8-6-1969 से पुनः काम शुरू कर दिया।

Savings Banks in Post Offices

740. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of such Post Offices in the country in which savings bank business is undertaken ;

(b) the total number of post offices which had been doing business of savings bank during the financial years 1967-68 and 1968-69 and the total amount deposited in these post offices during these financial years ; and

(c) the number of post offices in which the savings banks are proposed to be started in the financial year 1969-70 and the amount estimated to be deposited during the current financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 80,655 as on 31-3-69.

(b) **Post Offices doing saving bank business**

As on 31-3-67	..	57,488
As on 31-3-68	..	69,477
As on 31-3-69	..	80,655

Total amount deposited including interest

		Gross deposit
1967-68	..	Rs. 4,48,94,59,000
1968-69	..	Rs. 4,51,13,74,440
		Net deposit
1967-68	..	Rs. 57,45,11,000
1968-69	..	Rs. 32,49,34,680

(c) 6,300 post offices ; Rs. 458 crores gross deposits.

Employment of Women

741. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of women candidates registered with the Employment Exchanges in the country at present ;

(b) the total number of women provided with employment during the financial year 1967-68 and the number of women yet to be provided with employment ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to provide them employment ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 3,99,668 as on 30-6-1969.

(b) Number of women placed	..	48,495
Number of women on Live Register on 30-6-1969	..	3,99,668

(c) Various development programmes included in the Fourth Plan are expected to generate increasing number of employment opportunities for the unemployed including women.

Registration of Ex-Servicemen for Employment

742. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of ex-servicemen registered with the employment exchanges in the country for employment ;

(b) the number of commissioned officers among them and the number of the other ex-military personnel ; and

(c) the number of commissioned officers who have been provided with employment during the financial year 1967-68 and the number of ex-servicemen who are proposed to be provided employment by Government during the current year and the steps proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The information is being collected and it will be placed on the Table of the House as soon as available.

Payment of Dearness Allowance to Officers of Employment Exchanges

743. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Gazetted and non-Gazetted officers employed in the Employment Exchanges in the country ; and

(b) the total amount of Dearness Allowance paid to Gazetted and non-Gazetted officers during the financial years 1967-68 and 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The information is being collected from the State Governments/Union Territories and it will be placed on the table of the House as soon as available.

पंजाब में बीज फार्मों का नीलाम

744. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के कृषि विभाग ने दो वर्ष पूर्व बनाये गये 25 एकड़ के सभी 17 फार्मों को नीलाम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की नीति अपनाई जायेगी; और

(ग) बीज फार्मों की नीलामी के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । पंजाब सरकार ने 21 बीज फार्मों को नीलाम करने का निर्णय किया है ।

(ख) अन्य राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) पंजाब सरकार के अनुसार उचित सिंचाई सुविधाओं के अभाव या निम्न स्तर पर स्थित होने के कारण बार-बार बाढ़ आने से ये फार्म महंगे सिद्ध हुये हैं ।

Telephone Facilities in Villages

745. **Shri Deo Rao Patil**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any special scheme to provide telephone facilities in the villages ;

(b) if so, the details of the scheme ; and

(c) when the work of providing telephone facilities in the villages will be started ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) and (b). Telephone facility at any place is normally provided if the scheme is remunerative. In case of loss, some interested party has to indemnify the loss to the Department. But in order to extend Telephone facility to undeveloped areas, a policy has been adopted according to which Public Call Offices can be opened even on loss basis at the following categories of stations subject to over all limit of loss not exceeding Rs. 40 lakhs in the entire country during a period of 5 years beginning from 1st April, 1966.

(i) District and Sub-Divisional Headquarters Towns.

(ii) Tehsil and corresponding Headquarters towns.

(iii) Sub-Tehsils.

(iv) Places with a population of 20,000 or more and at places in urban areas with a population of 10,000 or more.

(v) Remote localities—100 P.C.O.'s to be opened. Such places shall be defined as a place beyond 40 Km. from nearest Telephones Exchange.

(vi) (a) Tourist Centres including Pilgrim Centres ; and
(b) Agriculture and Irrigation Project sites and Townships.

The number of offices under categories vi (a) & (b) is restricted to 100.

(c) The work of providing Telephone facilities in accordance with the above policy is already in progress.

Thefts in P. and T. Offices

746. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the cases of thefts of the property of Posts and Telegraph Departments are on the increase since 1963 ; and

(b) if so, the measures taken to check them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Most of the loss is accounted for by thefts of copper wire from telegraph lines. The following remedial measures have been taken in this regard :

(i) The Chief Ministers of the States have been addressed to direct the Inspector General of Police to take steps to minimise copper wire thefts.

(ii) The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 is being amended to provide more serious punishment for the culprits ;

(iii) The Department is progressively replacing copper wire by copper-steel wire and aluminium wire.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, महाराष्ट्र

747. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित महाराष्ट्र क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों ने अपने वेतन-मानों के निर्धारण के बारे में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अन्य क्षेत्रों में इस संठगन के कर्मचारियों की तुलना में वेतन-निर्धारण के मामले में महाराष्ट्र क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र क्षेत्र में इस भेदभाव को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । भूतपूर्व बम्बई राज्य के बम्बई नगर के वेतन-मानों में, जो कि महाराष्ट्र प्रादेशिक कार्यालय के कर्मचारियों को दिये जा रहे थे, मकान किराया भत्ते तथा स्थानीय क्षतिपूर्ति भत्ते का एक भाग सम्मिलित था । ऐसा अन्य प्रदेशों के वेतन-मानों के संबंध में नहीं किया गया है । इन कर्मचारियों का वेतन, केन्द्रीय सरकार के वेतन-मानों के अनुरूप निश्चित करने में, जो कि 1960 में शुरू किये गये थे, इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल को चावल की आवश्यकता

748. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को 72 लाख टन चावल की आवश्यकता होगी जबकि वर्ष 1969 में वहां चावल का उत्पादन 48 लाख टन होगा;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी चावल की आन्तरिक कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से 24 लाख टन खाद्य सामग्री की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के स्टाक से 31 मई, 1969 तक पश्चिम बंगाल को कुल कितनी मात्रा में (एक) चावल (दो) गेहूं और (तीन) अन्य खाद्य सामग्री सप्लाई की गई; और

(घ) 24 लाख टन सामग्री की पूर्ण कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुमान के अनुसार तथापि, आवश्यकताएं अनाजों के हिसाब से हैं न कि केवल चावल के हिसाब से।

(ख) जी हां।

(ग) चावल.....99 हजार मीटरी टन

गेहूं.....406 हजार मीटरी टन

अन्य अनाज.....कुछ नहीं क्योंकि चावल और गेहूं को छोड़कर अन्य सभी अनाजों का संचलन अबाध रूप से होता है।

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनाज की आवश्यकताओं का अनुमान 16 औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के आधार पर लगाया है। साधारणत: 16 औंस प्रति वयस्क प्रति दिवस की दर से अनुमान लाया जाता है न कि प्रति व्यक्ति। इस आधार पर केवल लगभग 62 लाख मीटरी टन की आवश्यकता होगी। क्योंकि पश्चिमी बंगाल में चावल का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए उपलब्धि निकालने के लिए सकल उत्पादन के 12 प्रतिशत की कटौती करना अधिक है। राज्यों को सप्लाई केन्द्र के पास उपलब्धि मूल्य प्रवृत्ति, अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

चौथी योजना में छोटी सिंचाई योजनाएं

749. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने से प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र को लाभ होगा;

(ग) चौथी योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में आरम्भ की जाने वाली छोटी सिंचाई योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रत्येक राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र लघु सिंचाई साधनों से सींचा जा सकेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में राज्यों के लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 461.36 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है। इस राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :

(रुपए करोड़ों में)

क्र०-सं०	राज्य का नाम	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.00
2.	आसाम	11.00
3.	बिहार	46.00
4.	गुजरात	29.22
5.	हरियाणा	8.50
6.	जम्मू तथा काश्मीर	6.00
7.	केरल	9.50
8.	मध्य प्रदेश	30.00
9.	महाराष्ट्र	65.00
10.	मैसूर	32.00
11.	नागालैंड	0.75
12.	उड़ीसा	10.75
13.	पंजाब	23.20
14.	राजस्थान	8.00
15.	तामिलनाडू	30.70
16.	उत्तर प्रदेश	96.00
17.	पश्चिम बंगाल	26.74
	कुल ...	रु० 461.36

(ख) से (घ). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

डाकघरों तथा उनके कर्मचारियों की संख्या

750. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 और 1968-69 के अंत में भारत में डाकघरों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 और 1968-69 के अंत में डाक-तार कर्मचारियों-अधिकारियों और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी थी;

(ग) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 और 1968-69 के अन्त में कर्मचारियों की संख्या प्रति डाकघर कितनी थी; और

(घ) भारत में डाक-सेवा में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) **वर्ष के अंत तक**	**डाकघरों की कुल संख्या**
1950-51	36094
1955-56	55042
1960-61	76839
1965-66	96936
1968-69	102477

(ख) **वर्ष के अंत तक**	**डाक अधिकारियों की कुल संख्या**
1950-51	273
1955-56	332
1960-61	421
1965-66	559
1968-69	621

डाक कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी की कुल संख्या से संबंधित 1950-51, 1955-56 और 1960-61 वर्षों के आंकड़े अभी इसलिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस अवधि की वार्षिक रिपोर्टों में उनका अलग-अलग प्रकाशन नहीं हो रहा है। 1968-69 वर्ष के आंकड़े का संकलन

अभी तक नहीं किया गया है। 1965-66 के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष के अंत तक	डाक कर्मचारियों की संख्या	
	विभागीय	अतिरिक्त विभागीय
1965-66	164000	174000

(ग) वर्ष के अंत तक

1950-51, 1955-56, 1960-61, 1968-69	प्रति डाकघर कर्मचारियों की संख्या भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।
1965-66	3.49 (औसतन)

(घ) जनता की डाक सेवाओं द्वारा निपटाये गए कुल परियात से संबंधित शिकायतों का प्रतिशत तेजी के साथ कम होता गया है। इस स्थिति को बनाए रखने और डाक-तार सेवाओं की कुशलता की जांच करते रहने और ठीक समय पर सुधार के रास्ते निकालने के लिए कई साधन अपनाए गए हैं। जनता की शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने वाली व्यवस्था का पुनर्गठन सभी स्तरों पर किया गया है और संगठन की छोटी से छोटी कमजोरी को भी दूर करने के लिए शिकायतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है। डाक-तार निदेशालय में कार्यवाहियों पर निगरानी रखने, मानकों के विकास और किन्हीं विशेष समस्याओं के पुनरीक्षण के लिए एक कार्य-अध्ययन यूनिट और एक कुशलता ब्यूरो का गठन कर दिया गया है। क्षेत्रों में स्थान पर जाकर जांच-पड़ताल करने के लिए एक निरीक्षक दल भी है।

मध्यस्था को बढ़ावा देने सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड

751. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री रवि राय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1969 को नई दिल्ली में हुई मध्यस्था को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में विवादों में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही करने का निर्णय किया गया; और

(ख) यदि हां, तो विवादों में मध्यस्थता को बढ़ाने देने के लिए बोर्ड ने क्या कार्यवाही करने के सुझाव दिये हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) इस बोर्ड के अधिक महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :

(i) नियोजकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों को अपने-अपने घटकों में विवादों को स्वैच्छिक पंच फैसले के लिए भेजने के आदर्श

सिद्धांतों तथा राष्ट्रीय पंच फैसला प्रोत्साहन बोर्ड के निष्कर्षों का व्यापक प्रचार करना चाहिये।

(ii) श्रम मंत्रालय को स्वैच्छिक पंच-फैसले के बारे में अंग्रेजी और यदि हो सके तो प्रादेशिक भाषा में भी एक पुस्तिका प्रकाशित करनी चाहिये।

(iii) पंचों की नामिका का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये और उसे अद्यतन बना दिया जाना चाहिये।

(iv) समझौता तंत्र के अधिकारियों की सेवाओं का पंचों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिये, क्योंकि उनके द्वारा किया जाने वाला पंच फैसला बिना किसी खर्च के होगा।

(v) यदि नियोजकों को मान्यता-न-प्राप्त यूनियनों के साथ और यहां तक कि व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाले मामलों में भी पंच फैसले के संबंध में समझौता करने में कोई आपत्ति हो तो वे संबंधित श्रमिकों के साथ करार पर रहते हैं।

नई चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

752. **श्री स० अ० अगडी :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के विचाराधीन सिफारिशों की प्राप्ति के पूर्व चीनी के नये कारखाने आरम्भ करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, सहकारी संस्थावार और गैर-सरकारी क्षेत्रवार अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये और प्रत्येक मामले में गन्ना पिराई क्षमता कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। नयी चीनी मिलों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों द्वारा अभिस्तावित सभी लम्बित आवेदन-पत्रों पर निर्णय लिये जा चुके हैं।

(ख) अब तक 1969 के दौरान विभिन्न राज्यों में 25 नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिये आशय-पत्र जारी किये गये हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार है :

राज्य	कारखानों की संख्या			प्रतिदिन गन्ना पेरने की क्षमता
	सहकारी	ज्वाइंट स्टाक	कुल	
महाराष्ट्र	13	—	13	1250 मीटरी टन प्रत्येक
गुजरात	5	—	5	1250 मीटरी टन प्रत्येक
आन्ध्र प्रदेश	1	2	3	1250 मीटरी टन प्रत्येक
तमिलनाडु	2	—	2	1250 मीटरी टन प्रत्येक
मैसूर	—	2	2	एक 2500 मीटरी टन की तथा दूसरी 1500 मीटरी टन की।
जोड़ ..	21	4	25	

केरल क्षेत्र के डाक तथा तार विभाग में मुअत्तिल और सेवा मुक्त कर्मचारी

753. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण केरल क्षेत्र में 1 जून, 1969 तक कुल कितने कर्मचारी मुअत्तिल थे और कितने कर्मचारियों की नौकरी समाप्त की गई;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक निदेश जारी किये जाने के बावजूद भी सर्किल अधिकारियों ने नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों के किसी मामले का पुनरीक्षण नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 295 ।

(ख) जी नहीं, यह सही नहीं है । ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों के मामलों का, जिनकी सेवाएं हड़ताल के सिलसिले में समाप्त की गई थीं, पुनरीक्षण किया गया है और इस तरह के कुल 288 कर्मचारियों में से 139 पहले ही ड्यूटी पर वापिस लिये जा चुके हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Direct Telephone Line between Sanavad and Khargaon

754. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any scheme is being drawn up by Government to introduce a direct telephone line from Sanavad to Khargaon (via Bedia) ; and

(b) the time by which this line is proposed to be pressed into service ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

खाद्यान्नों पर से राशनिंग हटाना

755. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री से० व० पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों पर से राशनिंग हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . स्थानीय परिस्थितियों और सरकारी स्थिति को ध्यान में रख कर किसी राशन वाले क्षेत्र से खाद्यान्न की राशनिंग व्यवस्था समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करना सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है । फिलहाल राशन व्यवस्था समाप्त करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास किसी भी राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है ।

मछली पकड़ने की बन्दरगाह परियोजना, हल्दिया

756. **श्री भगवान दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने की बन्दरगाह परियोजना हल्दिया को केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान संस्था, पूना की स्वीकृति प्राप्ति हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन को केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान संस्था, पूना को जांच के लिये कब भेजी गई थी ; और

(ग) संस्था ने कलकत्ता पत्तन न्यास को प्रतिवेदन कब वापस किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) . कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने फरवरी, 1965 में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान केन्द्र पूना से अनुरोध किया कि बन्दरगाह के ले-आउट के एक पक्ष अर्थात हल्दिया की मछली गोदी के प्रवेश मार्ग के रेखांकन और स्थापना के लिये माडल परीक्षण करें । इस कार्य के लिये आवश्यक अतिरिक्त आधार सामग्री कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा नवम्बर, 1965 में प्रस्तुत कर दी गई थी, इसके उपरान्त कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के परामर्श से आवश्यक समझे गये परिवर्तनों के अनुसार माडल परीक्षण किये गये और नवम्बर, 1966 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के कुछ सुझावों को सम्मिलित करने के लिये अतिरिक्त परीक्षण किये गये और प्रवेश मार्ग के रेखांकन और स्थापना के विषय में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र द्वारा मार्च, 1967 में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

चैनल की परिस्थिति में परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रारम्भ में निर्वाचित स्थल अत्यधिक गादयुक्त हो गया है और कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों की तलाश के लिये अध्ययन किये हैं।

कृषि विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

757. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये विश्व बैंक ने 130 लाख डालर का ऋण देने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का प्रयोग किस विशेष परियोजना के लिये किया जायेगा और इस ऋण के प्रयोग के लिये किस विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . जी हां। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों के उत्पादन की, परियोजना के लिये 130 लाख डालर का ऋण देने की स्वीकृति दी है। इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 32,000 एकड़ भूमि के क्षेत्र का विकास करना है और दोहरी फसलों से परियोजना की समाप्ति पर प्रतिवर्ष 40,000 एकड़ भूमि में बीज तैयार किये जायेंगे।

छुट्टियों के बारे में समान राष्ट्रीय नीति

758. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री भोला नाथ मास्टर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नियोजक परिषद् ने मंत्रालय से आग्रह किया है कि देश की आवश्यकता और औद्योगिक सम्बन्धों में तनाव को दूर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये छुट्टियों को घोषित करने के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिये ;

(ख) क्या इस आशय के कोई निदेश जारी किये गये हैं कि सब औद्योगिक उपक्रमों और वाणिज्यिक संस्थाओं के सब कर्मचारियों को 3, 4 और 5 मई—तीनों दिनों की वेतन सहित छट्टी दी जाये ;

(ग) क्या यह सच है कि नियोजक परिषद् का यह दृष्टिकोण है कि यदि कर्मचारियों को अन्यथा काम पर नहीं लगाया जाता है तो फिर उन्हें वेतन सहित छुट्टी क्यों दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा परक्रामय लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत सारे भारत में 3 और 5 मई, 1969 के दिन सरकारी छुट्टियां घोषित किये गये । 3, 4 और 5 मई के दिन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनमें नियमित निर्माण-प्रभारित और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मासिक वेतन पाने वाले औद्योगिक कर्मचारी तथा महीने भर के लिये दैनिक मजूरी पर लगाये गये श्रमिक भी शामिल हैं सवेतन छुट्टी वाले दिन घोषित किये गये ।

(ग) जी हां ।

(घ) परक्रामय लिखित अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अवसरों पर घोषित छुट्टी के दिन अपने आप सभी वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये सवेतन छुट्टी नहीं बन जाती । ऐसे मामलों में नियोजक अन्य बातों के साथ अवसर के महत्व को दृष्टि में रख कर इस प्रश्न के बारे में अपने विवेकानुसार निर्णय कर सकते हैं ।

श्री अत्रे की स्मृति में डाक टिकट

759. **श्री तुलसीदास दासप्पा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध मराठी लेखक स्वर्गीय श्री अत्रे की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) . जी, नहीं ।

इस संबंध में विचार करने के लिये अब तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी यह सुझाव डाक-टिकट सलाहकार समिति के सामने विचारार्थ रखा जा रहा है ।

Opening of an office of Superintendent of Post Offices at Saharsa

760. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for which the office of the Superintendent of Post Offices has not been opened in Distt. Saharsa so far, when all the conditions therefor are fulfilled by this District ;

(b) whether it is also a fact that some Post Offices in this District have deliberately been included in three or four other postal Districts so that District Saharsa may not be formed ; and

(c) if so, whether Government propose to open the office of Postal Superintendent in Saharsa after holding an immediate inquiry into it ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) A separate Postal division has not been created for Saharsa district as departmental standards for the same are not satisfied.

(b) T his is not correct as since long some Post Offices of Saharsa district are under the administrative c ontrol of neighbouring Postal Divisions and question of their transfer to Purnea Postal Division (under which most of the P.Os. of Saharsa district fall) is under considerarion.

(c) No, (Not at present.)

बिहार में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को कोसी क्षेत्र भत्ता

761. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार में वीरपुर बाघनाहा भीमनगर में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को राष्ट्रपति के आदेशों के बावजूद भी पिछले दो वर्षों से कोसी क्षेत्र भत्ता नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उन गरीब कर्मचारियों को उक्त भत्ता कब दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) . वीरपुर, बाघनाहा और भीमनगर उप डाकघरों के डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने की मंजूरी जारी की जा चुकी है।

Loan by Cooperatives

762. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount of loan given by the Cooperatives in the country and the amount of its annual recovery ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : A statement showing the amount of short, medium and long-term agricultural credit given by the Cooperatives and the amount of its annual recovery during the last three years for which statistics have been compiled, is laid on the Table of the Lok Sabha.

Statement

Loan by Cooperatives
(All-India)

Item	1965-66	1966-67	1967-68 (Provisional)
A. **Short and Medium-term** Agril. credit (by primary agril. credit societies)			(Rs. crores)
1. Loans advanced	341.75	366.47	404.58
2. Loans recovered	283.54	278.34	362.17
B. **Long-term agril. credit to individuals (Land Development Banks)**			
1. Loans advanced	57.96	57.55	83.35
2. Loans recovered	13.27	14.90	22.67

Soyabean Cultivation

763. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of Soyabeans purchased by Government of India from U.S.A. for increasing the acreage of Sayabean cultivation for the next crop ;

(b) the target fixed (in terms of acreage of land) for Sayabean cultivation during the Kharif crop this year ; and

(c) the proposed contribution of each State in achieving the said target ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 42 tonnes of Soyabean seeds were imported by National Seeds Corporation Ltd., and Uttar Pradesh Agricultural University, Pantnagar from U.S.A. during 1968.

(b) and (c). The target fixed is about 16,000 acres. No Statewise targets have been fixed. The production programme has been taken up in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Gujarat and Mysore State mainly.

Sale of Tractors through State Governments

764. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that from current year Central Government have made arrangements to sell tractors to farmers through State Governments ;

(b) the make and number of tractors being supplied to each State ; and

(c) the extent to which the number of tractors being supplied to States is less than the demand of the public there and the steps being taken by Government to meet this shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde : (a) The Government of India has decided to import and distribute tractors to farmers through Agro-Industries Corporations in the various States and through State Governments, wherever such a Corporation has not been set up.

(b) A statement showing the make and number of tractors allotted to each State is appended. **[Placed in Library. See No. LT-1344/69].**

(c) The total requirement of tractors for 1968-69, as assessed by the Government, was of the order of 60,000 numbers. Against this, 15,466 tractors were manufactured indigenously for sale to farmers. Imports of 15,000 tractors of various make and sizes had been arranged. Owing to constraint of foreign exchange it had not been possible to arrange for import of more tractors in that year. However taking into consideration the back-log of demand, a proposal to import a substantially larger number of tractors during 1969-70 is under consideration of Government.

कृषि का विकास करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से ऋण

765. **श्री म० सुदर्शनम :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के उत्पादन का विकास करने के लिये सामान्य रूप से तथा अनाज की अधिक उपज वाली किस्मों का विकास करने के लिये विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से अब तक कुल कितनी राशि के ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से 980.09 लाख डालर का ऋण तथा 650.54 लाख डालर का अनुदान मिला है अथवा, इसकी प्राप्ति का वचन मिला है ।

980.09 लाख डालर के कुल ऋण में से 130 लाख डालर का ऋण अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का विकास करने के लिये प्राप्त होने के बारे में हाल में समझौता हुआ है ।

अमरीका द्वारा यूरोपीय देशों को कम मूल्य पर गेहूं का विक्रय

766. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका यूरोपीय देशों को कम मूल्य पर गेहूं का विक्रय कर रहा है ।

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के पी० एल० 480 के अन्तर्गत ऊंचे मूल्य पर गेहूं खरीदने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अमरीका का गेहूं जिस मूल्य पर यूरोपीय देशों को बेचा जा रहा है तथा जो मूल्य भारत दे रहा है उसका एक तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा के लिये गेहूं का कोटा

767. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने फरवरी, मार्च, अप्रैल तथा मई 1969 का गेहूं का अपना कोटा नहीं लिया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त महीनों के लिये उड़ीसा को कितना गेहूं आवंटित किया गया था; और

(घ) राज्य के उपभोक्ताओं को अब गेहूं किस फुट कर भाव पर बेचा जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा सरकार ने फरवरी, 1969 के अपने गेहूं के कोटे में से फरवरी में 7,778 मीटरी टन और मार्च, 1969 में 1,000 मीटरी टन गेहूं लिया था। उक्त सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई, 1969 के कोटे की कोई भी मात्रा नहीं ली थी।

(ख) फसल-स्थिति संतोषजनक होने और चावल की उपलब्धि के कारण गेहूं की निकासी कम हो गई थी। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त स्टाक भी पहले से ही था। उन्हें केन्द्र से और गेहूं की आवश्यकता न थी।

(ग) फरवरी से मई, 1969 तक के महीनों के लिए उड़ीसा (मिलों सहित) को आवंटित गेहूं के कोटे इस प्रकार थे :

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	आवंटन
फरवरी, 1969	15.0
मार्च, 1969	5.0
अप्रैल, 1969	8.3
मई, 1969	5.0

(घ) उड़ीसा में गेहूं का खुदरा मूल्य 89 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इसमें बिक्री-कर शामिल है परन्तु अन्य स्थानीय करों को इसमें नहीं लिया गया है।

दण्डकारण्य में उद्योग स्थापित करना

768. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विशेषज्ञों के प्रस्तावित उच्च शक्ति प्राप्त दल ने अब तक दण्डकारण्य का दौरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिये क्या सिफारिशें की हैं अथवा सुझाव दिये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पुनर्वास बोर्ड द्वारा औद्योगिक सलाहकारों के एक समूह को दण्डकारण्य परियोजना के कुछ क्षेत्रों में, विकसित किये जाने वाले उद्योगों और उनके लिये उचित स्थानों के चुनने के लिये, जाने की प्रार्थना की गई थी। यह सलाहकार समूह अभी तक वहां नहीं गया है।

बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय

769. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है जो बर्मा से वापिस आये हैं और जिन्हें अब तक उड़ीसा में बसा दिया गया है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को अब तक कितनी राशि दी गई है; और

(ग) इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में प्रसारण

770. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में आकाशवाणी से विशेष प्रसारण होता है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी द्वारा इस असाधारण पद्धति को अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पद्धति को देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी अपनाने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) श्रोताओं की बड़ी संख्या की अच्छी सेवा करने के लिए जिनके ये घोषणाएं अत्याधिक रुचि की थीं ।

(ग) जी हां । जहां भी इसकी मांग है और ऐसा करना सुविधाजनक समझा जाता है ।

(घ) ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

अनाज की वसूली

771. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज वसूली प्रणाली कब समाप्त हो जायेगी ; और

(ख) यदि निकट भविष्य में वह समाप्त नहीं होगी तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). निकट भविष्य में सरकार द्वारा खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का कार्य छोड़े जाने की कोई भी सम्भावना नहीं है। समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए सरकारी वितरण प्रणाली बनाये रखने और खाद्यान्नों के मंडी में चल रहे भावों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए भी सरकार को खाद्यान्न के भंडार की आवश्यकता है। उत्पादन में वृद्धि होने से उत्पादक को साहाय्य मूल्य प्रदान करने के लिए भी सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य करना आवश्यक होगा।

संसद् सदस्यों के टेलीफोनों पर लम्बी डोरियां

772. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोगों के टेलीफोनों पर लम्बी डोरियां हैं, उन्हें नियमों के अनुसार उन डोरियों के लिए भुगतान करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो कितने संसद् सदस्य लम्बी डोरियों के लिए भुगतान कर रहे हैं ;

(ग) ऐसे कितने संसद् सदस्यों के टेलीफोनों पर लम्बी डोरियां हैं जो उनके लिए भुगतान नहीं करते हैं ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 107।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के अधिकारियों का घेराव

773. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्नपुर में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अनेक

कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 9 मई, 1969 को कम्पनी के अधिकारियों का घेराव किया था ;

यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उनके बारे में प्रबन्धकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

राज्यों के सहकार मन्त्रियों का सम्मेलन

774. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री भोला नाथ मास्टर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में बंगलौर में राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार किया गया था ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें सम्मेलन द्वारा विचार-विमर्श किए गए विषय तथा की गई सिफारिशें संक्षेप में दी गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1345/69]

राजस्थान के किसानों को तकावी ऋण

775. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाने के परिणामस्वरूप किसानों को बीज, बैल, खाद तथा ऊंट आदि के लिये तकावी ऋण देने हेतु 5 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार के लिये 341.23 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है ।

शरणार्थी संघर्ष समिति की मांगें

776. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरणार्थी संघर्ष समिति ने कुछ मांगें प्रस्तुत की हैं और यह निर्णय किया है कि अगर उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो वे सितम्बर, 1969 में आन्दोलन आरम्भ कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार ऐसी किसी भी मांग से अनभिज्ञ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Per Capita Consumption of Milk in India and U.S.A.

777. **Shri Achal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the Statewise details of the concrete steps taken during the last three Five-Year Plans to resolve the problems of milk and butter in India which are becoming more complicated day by day;

(b) whether he is aware that the average per-capita consumption of milk in India is hardly two ounces whereas it is two pounds in America and other countries ;

(c) the measures being adopted to make up the shortage of milk ;

(d) whether he is aware that the good breed cows and buffalows of Punjab and Haryana are taken to Calcutta where they are slaughtered after they become dry ; and

(e) if so, the steps being taken to check this activity ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information is being collected from States and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

(b) The average per-capita consumption of milk per day is 110 and 675 grams in India and U.S.A. respectively.

(c) Several cattle development schemes are being implemented by Central and State Governments which have a direcrt bearing on increasing the milk production. These Schemes **inter alia,** include :

(1) All India Key-Village Scheme.

(2) Intensive Cattle Development Scheme.

(3) Cross Breeding Scheme.

(4) Feeds and Fodder Development Scheme.

(5) Goshala Development Scheme.

(6) Calf Rearing Scheme.

(7) Strengthening and expansion of Livestock Farms.

(8) Establishment of six new Central Cattle Buffalo Breeding Farms.

(9) Cattle Shows and Milk Yield Competitions.

(10) Will and Stray Cattle Catching Scheme.

(11) Disease Control Programme.

All the above Schemes aim at improving the productivity (quality) of the cattle/buffalo through scientific breeding, improved feeding, effective disease control and marketing etc.

(d) Milch cows and buffaloes of good breeds from Punjab and Haryana are brought to Calcutta for production of milk.

On the reference made to the Government of West Bengal, the State Government replied in March, 1969 that they had no information that all these cows and buffaloes were butchered.

(e) Under the West Bengal Animal Slaughter Control Act 1950, only an animal which is over 14 years of age and unfit for work or breeding or an animal which has become permanently incapacitated for work or breeding due to age, injury, deformity or any incurabe diseases can be slaughtered in the State. Government of West Bengal have taken steps for strict enforcement of the Act.

मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों में गन्ने का मूल्य

778. **श्री वी० शंकरानन्द :**
श्री स० अ० अगडी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर तथा महाराष्ट्र राज्यों के सहकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों ने 1968-69 के मौसम में गन्ने की क्या कीमत दी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बेल्लारी जिले में होजपेट स्थित इंडिया शूगर्स एण्ड रिफायनरीज लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 1969 से पिराई मौसम के अन्त तक मिले गन्ने के स्वीकृत मूल्य देने से इन्कार कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मिल ने 1968-69 के पिराई मौसम के आरम्भ से लेकर अन्त तक गन्ने का क्या मूल्य दिया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के सीजन के लिये मैसूर तथा महाराष्ट्र में स्थित चीनी कारखानों द्वारा

देय गन्ने के मूल्य इस प्रकार हैं :—

राज्य	सहकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र
	(दर प्रति क्विंटल रुपयों में)	
1. मैसूर	10.00 से 12.50	10.00 से 11.46
2. महाराष्ट्र	6.50 से 12.50†	8.00 से 12.50††

(ख) और (ग). दी इंडिया शुगर एवं रिफाइनरीज लिमिटेड, हासपैठ ने सीजन के शुरू में यह सूचित किया था कि वे 10.60 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का मूल्य देंगे और वे 31 मई, 1969 तक के मूल्य देते रहे थे। उन्होंने पहली जून, 1969 से पंजीकृत गन्ने के लिये मूल्य कम कर 9.334 रुपये प्रति क्विंटल तथा गैर-पंजीकृत गन्ने के 8.070 रुपये प्रति क्विंटल कर दिये थे। सीजन के दौरान कारखाने द्वारा गन्ने का दिया गया औसत मूल्य 10.45 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है।

गांवों में डाकघरों के कार्यभारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती

779. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में डाकघरों के कार्यभारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती के क्या कारण हैं ;

(ख) इन कटौतियों से कितनी बचत होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या खर्च में इस कटौती से सरकार अस्थायी तथा प्रायोगिक डाकघरों को स्थायी बना सकेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार जनता को किस प्रकार लाभ पहुंचाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ग्राम डाकघरों के अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टर और अन्य श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय इंचार्ज एजेंटों के समकित भत्ते काम के भार पर आधारित निर्धारित फार्मूले के अनुसार निश्चित किये जाते हैं। आमतौर पर समेकित भत्ते को तब तक नहीं घटाया जाता, जब तक कि काम का भार कम न हो जाय।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

---

† महाराष्ट्र में स्थित सहकारी चीनी मिलों ने सामान्यतः केवल अग्रिम रूप में ही मूल्य दिये हैं और सीजन के अन्त में ही अन्तिम मूल्य निर्धारित किये जाने हैं।

†† जब तक अन्तिम मूल्य निर्धारित नहीं हो जाते हैं, तब तक गैर-सरकारी क्षेत्र के चीनी के कारखानों ने महाराष्ट्र राज्य खेती निगम को अस्थायी रूप में गन्ने के मूल्य दिये थे।

चीनी के दामों में समानता

780. **श्री शिव चन्द्र झा :**

श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खुले बाजार में चीनी के दाम गिर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और उसके विशेष कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार खुले बाजार तथा नियंत्रित बाजार में चीनी के दामों को बराबर करने के बारे में योजना बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य खपत केन्द्रों में 138.00 रुपये और 165.00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच तक मूल्यों में कमी हुई है । सप्लाई स्थिति में सुधार होने के कारण मूल्यों में कमी हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) लेवी चीनी के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । बाजार में खुली चीनी के मूल्य बाजार में दोनों लेवी तथा खुली चीनी की कुल उपलब्धि पर निर्भर करेंगें ।

नलकूप लगाना

781. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है कि गांधी शताब्दी दिवस तक देश में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन शर्तों पर, विशेषकर बिहार में, जिलावार ; और

(ग) इन नलकूपों को लगाने के लिये सरकारी अथवा गैर-सरकारी किस तन्त्र को काम में लाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने देश

में गांधी शताब्दी दिवस तक किसी विशिष्ट संख्या में नलकूप खुदवाने की कोई योजना तैयार नहीं की है। परन्तु राज्यों का दौरा करते समय केन्द्रीय दलों को यह पता चला था कि 1969-70 के दौरान लगभग 1000 राज्यकीय नलकूप खोदने का उनका एक कार्यक्रम है। इनके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1,40,000 गैर-सरकारी नलकूपों के निर्माण की भी आशा है।

टेलीविजन सेट के चलने से चूहों का मरना

782. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन सेट के चलने से घर के चूहे मर जाते हैं (जैसा पश्चिम जर्मनी के टेलीविजन विशेषज्ञों ने खोज की है) ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) इस बारे में एक समाचार छपा है। परन्तु इस विषय पर किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Wheat Production in Madhya Pradesh

783. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat Produced in Madhya Pradesh this year;

(b) the extent to which the production is less or more as compared to the last year; and

(c) the prices of wheat prevalent in the markets of Madhya Pradesh at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The All India Final Estimate of wheat, 1968-69 giving statewise estimates of production has not so far been finalised.

(c) The latest available information on wholesale prices of wheat at important reporting

centres of Madhya Pradesh is given below :

(Rs. per quintal)

Wholesale Prices of Wheat

Centre	Variety	As on 19th July, 1969
Bhopal	Pissi (white)	90.00
Sagar	do	86.00*
Rewa	do	95.00
Indore	do	91.00
Jabalpur	Red	75.00

दरभंगा (बिहार) में आकाशवाणी का नया केन्द्र

784. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा में आकाशवाणी का एक नया केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर, जो सरकार के विचाराधीन था, इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कौन-सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दरभंगा में एक रेडियो केन्द्र स्थापित किया जाएगा ।

(ख) प्रायोजना के ब्योरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । स्थान के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) लगभग 40 लाख रुपये ।

मैसूर में टेलीफोनों सम्बन्धी मांग

785. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में नये टेलीफोनों के लिये बड़ी मांग है;

(ख) यदि हां, तो जून के महीने तक टेलीफोनों के सम्बन्ध में कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ग) टेलीफोन देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में शीघ्रता करने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

*Relates to 1-7-69

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 14,655 ।

(ग) एक्सचेंज की क्षमताएं बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं । चौथी योजना की अवधि के दौरान मैसूर राज्य के टेलीफोन एक्सचेंजों में लगभग 20 से 25 हजार लाइनों की वृद्धि किये जाने की संभावना है ।

खाद्य पदार्थों का विपणन

786. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य पदार्थों के विपणन के लिए एक योजना चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन राज्यों में यह योजना आरम्भ की गई है ; और

(ग) क्या इसका अन्य सभी राज्यों में भी विस्तार किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, भारतीय खाद्य निगम गेहूं और मक्का के पदार्थों का चयनात्मक खुदरा विपणन करने की एक योजना चला रहा है ।

(ख) केरल, मैसूर, मद्रास और दिल्ली ।

(ग) योजना के विस्तार करने का प्रश्न निगम के विचाराधीन है ।

जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा गेहूं का अनुदान

787. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने अभी हाल में भारत सरकार को 90,000 टन गेहूं अथवा गेहूं की बनी चीजें अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव की भारतीय रुपये में अनुमानित लागत क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). 4-7-1969 को जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के साथ

एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रबन्ध, 1967 की खाद्य सहायता कन्वेन्शन के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य के 1968-69 के योगदान के भाग के रूप में जहाज तक निष्प्रभार 64,000 मीटरी टन गेहूं अनुदान के आधार पर देना मान लिया है।

जर्मन संघीय गणराज्य ने अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रबन्ध, 1967 की खाद्य सहायता कन्वेन्शन के अन्तर्गत बहुदेशीय यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी की ओर से भारत को अनुदान के लिये अन्य 26,000 मीटरी टन गेहूं का योगदान दिया है जिसके लिये 27-6-1969 को यूरोपियन इकनामिक कम्यूनिटी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ग) खाद्य सहायता की कुल लागत अनुमानतः 4 करोड़ रुपए हैं।

पूर्वी जर्मनी के व्यापार प्रतिनिधि से समाचारपत्रों को सहायता

788. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत स्थित पूर्वी जर्मनी के व्यापार प्रतिनिधि से (1) दि टाइम्स आफ इण्डिया ; (2) दि हिन्दू, मद्रास ; (3) दि स्टेट्समैन ; (4) दि हिन्दुस्तान टाइम्स ; (5) दि इण्डियन एक्सप्रेस ; (6) दि नेशनल हेराल्ड ; (7) दि पैट्रीयाट ; (8) लिंक वीकली, नई दिल्ली ; (9) मेनस्ट्रीम वीकली, दिल्ली ; (10) करन्ट वीकली तथा (11) न्यू एज वीकली, नई दिल्ली को अनेक विज्ञापनों के लिये कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है, क्योंकि भारतीय समाचारपत्रों को विदेशी दूतावासों से विज्ञापन प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है और ना ही ऐसा करते समय उन्हें सरकार को सूचित करने की कोई आवश्यकता होती है।

संसद् सदस्यों के लिये टेलीविजन सेट

789. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् सदस्यों को भुगतान करने पर यथासम्भव शीघ्र टेलीविजन सेट सप्लाई करने का आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें 30 जून, 1969 तक ये सेट दिए जा चुके हैं ; और

(ग) क्या यह सप्लाई क्रमवार की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। सेंट्रल एलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी द्वारा निर्मित टेलीविजन सेटों की सीमित संख्या, अग्रता आधार पर संसद् सदस्यों द्वारा खरीदे जाने के लिये उपलब्ध हैं।

(ख) 30 जून, 1969 तक 29 संसद् सदस्यों को टेलीविजन सेट अलाट किए गए हैं। केवल 11 ने टेलीविजन सेट खरीदे हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री तीरथ राम अमला, संसद् सदस्य
(2) श्री एस० आर० दामानी, संसद् सदस्य
(3) श्री आर० के० अमीन, संसद् सदस्य
(4) डा० बी० एन० अंटानी, संसद् सदस्य
(5) श्री एम० पी० भार्गव, संसद् सदस्य
(6) श्री ए० जी० कुलकर्णी, संसद् सदस्य
(7) श्री राम किशन गुप्त, संसद् सदस्य
(8) श्री हरदयाल देवगुण, संसद् सदस्य
(9) श्री पी० के० देव, संसद् सदस्य
(10) श्री एस० के० सम्बन्धन, संसद् सदस्य
(11) श्री नरेन्द्र सिंह बसर, संसद् सदस्य

(ग) जी, हां।

अनाज का समाहार

790. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूल में 15 जून, 1969 तक अनाज का कुल कितनी मात्रा में समाहार किया गया था ; और

(ख) उसमें राज्यों द्वारा राज्यवार कितना-कितना अनाज दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). वर्ष 1969 में 15 जून तक केन्द्रीय भण्डार के लिये लगभग 23.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति देश में ही की गई थी। इस मात्रा का राज्य-वार ब्योरा इस प्रकार है :—

राज्य	मात्रा हजार मिटरी टन में
आन्ध्र प्रदेश	46
बिहार	2
हरियाणा	210
मध्य प्रदेश	230
उड़ीसा	156
पंजाब	1453
राजस्थान	4
तमिलनाडु	1
उत्त र प्रदेश	247
संघीय क्षेत्र	4
योग ..	2353

चावल, चीनी तथा वनस्पति तेल की मिलों की स्थापना

791. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68, 1968-69, 1969-70 में अब तक चीनी, चावल तथा वनस्पति तेल की कितनी-कितनी मिलें स्थापित की जा चुकी हैं अथवा की जा रही हैं ;

(ख) प्रत्येक मिल की क्षमता कितनी है ; और

(ग) 30 जून, 1969 को प्रत्येक वस्तु का बाजार भाव क्या था ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना उद्योगवार नीचे दी जाती है :—

उद्योग	स्थापित की गई/स्थापित की जा रही मिलों की संख्या		
	1967-68	1968-69	1969-70
चीनी मिलें	3	4	5 (प्रत्याशित)
चावल मिलें	सूचना एकत्रित की जा रही है ।		
वनस्पति तेल की मिलें	वनस्पति तेल (तेल मिलिंग) उद्योग प्रतिबंधित सूची पर है । तथापि, बिनौले के तेल की मिलों के बारे में सूचना इस प्रकार है :		
	3	4	1

(ख) चीनी तथा बिनौले की मिलों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1346/69] चावल मिलों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) 30 जून, 1969 को नियंत्रित वितरण के लिये तथा खुले बाजार में चीनी के प्रति क्विंटल थोक मूल्य इस प्रकार थे :—

	दिल्ली	कानपुर	कलकत्ता	बम्बई	मद्रास
नियंत्रित वितरण	181.0	163.8	170.0	148.0	187.0
खुली बिक्री	245.0	230.0	238.0	228.0	222.0

अन्य वस्तुओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्रम उत्पादिता की समस्या

792. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम उत्पादिता की समस्या पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). कीमतों को बढ़ने से रोकने और वास्तविक मजूरी में वृद्धि के लिये सरकार ने उत्पादिता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है । यह वैयक्तिक उपक्रमों का कर्तव्य है कि वे श्रमिक संगठनों के परामर्श से ऐसे उपाय करें जिनसे उनकी उत्पादिता बढ़ जाए ।

भारत में धान कूटने की सुविधायें

793. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान के विशेषज्ञ दल ने भारत में धान कूटने की सुविधाओं के बारे में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :—

(1) धान से अधिक चावल निकालने की गुंजाइश का पता लगाने के लिये तीन आधुनिक चावल मिलें आयात की जानी चाहिये और तंजौर, रायपुर और पश्चिमी गोदावरी जिलों में स्थापित की जानी चाहिये ।

(2) विदेशी निर्माताओं के सहयोग से देश में आधुनिक चावल मिलिंग उपकरणों का विकास करना ।

(3) मिलिंग तथा संचयन के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास करना ।

(ग) सरकार ने जापान और जर्मनी से आयात की गयी सात आधुनिक चावल मिलें विभिन्न राज्यों में पहले ही स्थापित कर दी हैं । इनमें दल द्वारा अभिस्थापित तीन जिले भी शामिल हैं । भारतीय खाद्य निगम जापान से आयात कर 24 आधुनिक चावल मिलें स्थापित

करेगा । तीन पार्टियों को विदेशी निर्माताओं के सहयोग से आधुनिक मिलिंग उपकरणों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं । भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में चावल मिल इंजीनियरों के लिये चावल औद्योगिकी में एक अल्प-कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है । खड़गपुर में चावल अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आसाम में बसे शरणार्थियों के लिये भूमि का अर्जन

794. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के तत्वावधान में 1950 से लेकर अब तक आसाम के जिलों में गैर-सरकारी व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण करके स्थापित की गई शरणार्थी बस्तियों की जिलावार संख्या कितनी है तथा उन बस्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उपर्युक्त बस्तियों के लिये, विशेषकर नवगांव जिले की बस्तियों के लिए, जिला अधिकारियों को अर्जन लागत के रूप में बस्तीवार कितना धन दिया गया ;

(ग) उन बस्तियों की भूमि को किस-किस तारीख को अधिग्रहण और अर्जन किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि बन्दोबस्त अधिकारी के आदेशानुसार नवगांव जिले की बस्तियों में बसे शरणार्थियों से "तौजी किराया" लिया जाता है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि नवगांव बन्दोबस्त अधिकारी ने उन बस्तियों की भूमि को सरकारी "खास भूमि" घोषित कर दिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार के पास सरलतया प्राप्त नहीं है । उन्होंने सूचित किया है कि इस जानकारी को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह संभावी प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(घ) नवगांव बस्ती को मिलाकर सभी बस्तियों में सरकारी भूमि पर काबिज पुराने विस्थापित व्यक्तियों से "तौजी वहिर" किराया वसूल किया जा रहा है । इस प्रकार का किराया भूमि पर बसाये गये नये प्रवासियों से अभी तक वसूल नहीं किया जा रहा है ।

(ङ) सरिशावरी तथा सालवरी बस्तियों की भूमियों को छोड़कर किसी भी पुनर्वास बस्ती को "खास भूमि" घोषित नहीं किया गया है ।

हरिजनों के लिये आवास भूमि

795. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शताब्दी वर्ष में सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हरिजनों, अन्य भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों के नाम आवास भूमि का पंजीयन करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

Central Grant to Haryana for Milk Plants

797. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Haryana have requested the Central Government for a grant of about two crores of rupees for installing five new milk plants at Jhajjar, Rewari, Jagadhari and Mahendragarh ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the quantity by which the existing supply of milk from that State to Delhi would be reduced after the installation of the said plants and the manner in which this shortage would be met ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) The Milk Plant for Jhajjar, Rewari, Jagadhari and Mahendragarh find a place in the Fourth Five Year Plan of the State.

(c) The Delhi Milk Scheme is not at present collecting any milk from Jhajjar, Jagadhari and Mahendragarh except a small quantity of about 40 to 100 quintals per day from the rural areas of Rewari. The question of the existing supplies being affected would not arise as each plant to be installed will have its own area of procurement, demarcated by the State Government.

मत्स्यपालन परियोजनाओं के लिए नार्वे द्वारा ऋण

798. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री कृ० गु० देशमुख : **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री भोलानाथ मास्टर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे द्वारा भारत में मत्स्यपालन परियोजनाओं के विकास

के लिये दी गई 1.7 करोड़ रुपये की सहायता की राशि का प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नार्वे ने यह धमकी दी है कि यदि भारत उस सहायता का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करता है तो वे उसे अन्य देशों को दे देंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारत में मत्स्यपालन विकास के लिये नार्वे सरकार के साथ तय हुये करार के अन्तर्गत नार्वे द्वारा 400 लाख क्रोनों (लगभग 42 लाख रुपये) के अंशदान की व्यवस्था थी। करार की अवधि अप्रैल 67 से मार्च, 72 तक है। नाव का अंशदान (1) कार्मिकों, (2) मत्स्य उपकरण, यन्त्र और भारत में उपलब्ध न होने वाली दूसरी मदों और (3) मत्स्यपालन विकास के लिये अपेक्षित सामग्री की प्राप्ति के लिये ऋणों के रूप में उपलब्ध है। प्रथम दो मदों के लिये निश्चित सहायता पूर्णतः उपयोग में लायी जा रही है, सितम्बर 1968 में किये गये प्रासंगिक ऋण करार के अन्तर्गत मद संख्या (3) के लिये ऋण की राशि 150 लाख क्रोन (लगभग 1.6 करोड़ रुपये) निश्चित की गई थी। प्रारम्भ में नार्वे से प्राप्त ऋण के लिये आयात के लिये कोई भी आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। ऋण के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1968 में राज्य सरकारों और सामुद्रिक उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् को विस्तृत जानकारी भेज दी गई थी। नार्वे से प्राप्त ऋण की सहायता से जहाजों और उपकरणों के आयात के लिये अब कुछ आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका का सावधिक प्रकाशन

799. **श्री अदिचन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये पिछली टेलीफोन निर्देशिका मार्च, 1968 में जारी की गई थी तथा तब से लेकर अब तक टेलीफोन नम्बरों में अत्यधिक परिवर्तन हो गये हैं जिसके फलस्वरूप एक अनुपूरक निर्देशिका 1968 में ही जारी करना आवश्यक हो गया था ;

(ख) क्या इससे टेलीफोन का उपयोग करने वालों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ग) क्या टेलीफोन निर्देशिका को हर छमाही में जारी करने की प्रथा रही है ; और

(घ) नई संशोधित निर्देशिका अब तक जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) टेलीफोन नम्बर बदलने से प्रयोक्ताओं को असुविधा अवश्य होती है । यह कठिनाई कब से कम हो, इस उद्देश्य से एक अनुपूरक निर्देशिका जारी की गई थी ।

(ग) मौजूदा हिदायतें हर छमाही निर्देशिका जारी करने की है ।

(घ) प्रकाशन में देरी विज्ञापन एजेंट के साथ कुछ कठिनाई पेश आने के कारण हुई है । फर्म के एक साझीदार का, जिसे एकमात्र विज्ञापन एजेंट नियुक्त किया गया था, देहान्त हो गया था और यह फर्म कुछ धन सम्बन्धी कठिनाइयों में पड़ गई थी । उसके परिणामस्वरूप यह यथासमय विभाग का हिसाब साफ नहीं कर सकी । इस स्थिति से कुछ कानूनी कठिनाइयां पैदा हो गईं, जिन्हें छपाई की कार्रवाई आरंभ करने से पहिले निपटाना आवश्यक था । अब यह निपटारा कर दिया गया है, और शीघ्र ही निर्देशिका जारी करने के लिये कदम उठाये गये हैं ।

Aerial Spray of Insecticides by Private Companies

800. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Private Companies which are entrusted with the work of aerial spray of insecticides on the crops ;

(b) whether Government have ever inspected the work done by the Companies which are entrusted with the contract for spraying insecticides ;

(c) the basis and the criteria of such inspection ;

(d) the number of complaints, alongwith details, received by Government from farmers against the Companies doing the job of spraying insecticides and the action taken by Government thereon ; and

(e) the view of Government in regard to the taking over of the entire work of aerial spray of insecticides on crops in their own hands ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) At present there are ten recognised Private Companies which can be entrusted with the work of aerial spray of insecticides on the crop.

(b) Yes, Sir.

(c) The main basis of inspection is to ensure that the purpose for which aerial operations are undertaken is achieved.

(d) Complaints received against aerial operators are only in respect of shortfalls in task execution, which are generally caused by aircraft unserviceability, accidents and non-availability of aircraft replacements. Such complaints, when investigated and established against the operator, result in the imposition of penalties.

(e) There is no such proposal at present.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने का कथित निर्णय

श्री रा० वें० नायक (रायचूर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान को टैंक और दूसरे शस्त्रास्त्र देने का अमरीका का कथित निर्णय तथा इसकी वजह से हमारी सीमाओं की सुरक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव ।"

विवरण

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : कल अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के उत्तर में इस बारे में सदन को सूचना दी जा चुकी है ।

भारत सरकार को बताया गया है कि अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान को हथियार देने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है । अमरीका के विदेश मंत्री ने हमें सूचित किया है कि टर्की के जरिये पाकिस्तान को 100 टैंक सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को हथियारों की सहायता देने से भारत की सुरक्षा के लिये ख़तरा बढ़ जायेगा, भारतीय प्रदेश पर अपने दावों और महत्वाकांक्षाओं में पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी । यह सप्लाई एशिया में आर्थिक सहयोग के विचार के भी प्रतिकूल होगी और इससे संसार के इस हिस्से में तनाव और बढ़ेगा ।

श्री रा० वें० नायक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान, चीन, रूस तथा अमरीका से हथियार प्राप्त कर रहा है और इसको भी दृष्टि में रखते हुए कि इन हथियारों का प्रयोग केवल भारत के खिलाफ ही किया जा सकता है, क्या सरकार अमरीका जैसे मित्र राष्ट्र से राजनयिक रूप से अथवा अन्यथा आग्रह करेगी कि वह पाकिस्तान को इन हथियारों की सप्लाई न करे और यदि नहीं, तो पाकिस्तान में ऐसी सप्लाई के फलस्वरूप हथियारों का जो जमाव हो रहा है उसको निष्प्रभावी करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इसकी केवल दृढ़ता के साथ पुष्टि कर सकता हूं कि हम इस बात को अमरीकी सरकार के ध्यान में लाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हथियार देना अवांछनीय है ।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : सरकार बार-बार यह आश्वासन देती है कि वह ऐसा न होने देने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रही है लेकिन फिर भी ऐसा होता है । हमारी विदेश

नीति का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा बनाये रखना होना चाहिए। हमें चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों से खतरा है, रूस भी अपने को हमारा मित्रराष्ट्र कहता है लेकिन काम अमैत्रीपूर्ण ढंग से करता है। ऐसी स्थिति में केवल अमरीका से ही एक आशा थी लेकिन अब उसने भी पाकिस्तान को हथियार देने शुरू कर दिये हैं। क्या सरकार जापान तथा आस्ट्रेलिया जैसे हमारे पड़ौसी देशों के साथ कोई करार करने की दिशा में कार्यवाही करेगी ताकि पाकिस्तान अथवा चीन के साथ युद्ध होने की स्थिति में कम से कम वे लोग हमारी मदद के लिये आयेंगे ? दूसरी बात गुट निर्पेक्ष नीति की चिन्ता न करते हुए, यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिये कि चीन अथवा पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की स्थिति रूस तथा अमरीका का स्पष्ट तथा सुनिश्चित रवैया क्या होगा ?

श्री दिनेश सिंह : प्रश्न का सम्बन्ध अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से है और न कि रूस द्वारा, यहां हमारा सम्बन्ध अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सम्भव सप्लाई से है। मुझे बहुत खुशी होगी यदि माननीय सदस्य अपने प्रभाव का प्रयोग करके अमरीका को इस बात के लिये राजी कर दें कि वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई न करे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका में जनमत पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने के पक्ष में है। जिसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध मुख्यत: काश्मीर समस्या को लेकर जोरदार तथा सफल प्रचार किया है और जिसमें उसने भारत को वहां जनमत संग्रह न करने का दोषी ठहराया है और लोगों के दिमाग में यह बात बिठाई है कि भारत समूचे पाकिस्तान को हड़पना चाहता है। क्या सरकार यह समझती है कि इस जनमत को जो हमारे विरुद्ध है, बदलना जरूरी है ताकि अमरीका को पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने से रोका जा सके और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वहां रहने वाले भारतीय लोगों से एक शिकायत यह भी मिली है कि वहां राजनयिक रूप से पाकिस्तान के मुकाबले हमारा प्रचार कमजोर है। क्या सरकार ने वहां स्थित हमारे राजदूत के कार्य का हाल में कोई अनुमान लगाया है और क्या मंत्री महोदय हाल की अपनी अमरीकी यात्रा के दौरान इस बात से सन्तुष्ट थे कि भारतीय राजदूत भारतीय हितों की रक्षा करने के लिये पाकिस्तान की कूटनीति को नजर में रखते हुए अपना कार्य सन्तोषजनक रूप से निभा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में वास्तव में हमारे लिये किसी भी देश के जनमत को ध्यान में रखना जरूरी है और जनता के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का प्रयत्न करना हमारे लिये आवश्यक है और अमरीका में भी हमारा यही प्रयास रहा है। इसके अलावा हमने अपने प्रकाशनों के माध्यम से भी ऐसा करने का प्रयत्न किया है और हमारे दूतावास द्वारा किये जा

रहे सामान्य जानकारी सम्बन्धी कार्य में भी यही चेष्टा की जाती रही है। अपनी यात्रा के दौरान मैंने भी अमरीका के विभिन्न भागों में लोगों के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखा है।

जहां तक वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत के कार्य का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने इस बारे में जो कुछ कहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राजदूत समूचे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यदि उनके विरुद्ध माननीय सदस्य को कोई शिकायत है, तो उन्हें चाहिए था वह उनकी ओर मेरा अथवा प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाते लेकिन सभा में इस तरह आरोप लगाना कि फलां राजदूत अपना काम उचित रूप से नहीं कर रहा है, बहुत अनुचित है जिससे उस राजदूत की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं इस आरोप का दृढ़ता से खण्डन करता हूं और इसे बिलकुल नहीं मानता कि हमारा राजदूत वहां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi-Sadar): I want to know whether any possible and effective efforts are contemplated by the Government to prevent the USA from giving arms aid to Pakistan. Today Pakistan is receiving military aids from USSR, USA and China and these countries are supplying arms to Pakistan in their own interests.

I want to know the names of the countries from where Pakistan have received arms aid directly or indirectly since 1965. What is the present arms strength of Pakistan as compared to that in 1965; and whether India has approached the U.S. for arms or has expressed any such desire and whether Government have made adequate preparations to meet the threat from Pakistan or China or both?

I would further like to know whether the Hon. Minister during his visit to U.S.A, had taken up this matter with the U.S. Secretary of State, Mr. Rogers or President Nixon and if so, what was their reaction thereto.

Shri Dinesh Singh : We have made it clear to the USA that arms assistance to Pakistan will increase the threat to the security of India and will add tension in this part of the world.

As regards the request for supply of arms to India, we have not approached the U.S. for arms nor have expressed any such desire.

As regards the present arms strength of Pakistan, according to the information Pakistan has acquired, between 1965 and now, arms worth about $700 million. However, India has made adequate preparations to meet the threat.

Shri Meetha Lal Meena : (Sawai Madhopur) Pakistan has three divisions of tanks and she has deployed one division army on the Rajasthan border. It is a very serious matter. Secondly Pakistan is at present getting arms from China, USSR and USA. Is it not the result of failure of our foreign policy? Finally, I want to know whether Government will take up this matter with the U.S. President, Mr. Nixon, who is shortly to visit this country.

Shri Dinesh Singh : We shall certainly talk with the U.S. President about this. As regards other points raised by the Hon. Member, I have nothing to add more than what I have already explained in this regard.

श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद तथा श्री अ० कु० गोपालन के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. THE REPORTED STATEMENT OF SHRI E. M. S. NAMBOODIRIPAD AND SHRI A. K. GOPALAN

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 7 जुलाई, 1969 को त्रिवेन्द्रम में भी ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद तथा श्री अ० कु० गोपालन द्वारा जारी किये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट को सरकार ने देखा है। सरकार ने बाद में उस वक्तव्य को भी देखा है जो इस सभा के सदस्य, श्री अ० कु० गोपालन ने 23 जुलाई, 1969 को सभा-पटल पर रखा था, इन दोनों के पाठ में कुछ फर्क था तथापि जहां तक श्री नम्बूदिरीपाद तथा श्री गोपालन के वक्तव्य में "बूर्जुआ राज्य को तहस-नहस करने के अपरिहार्य कार्य" को पूरा करने के लिये संसदीय संस्थाओं का उपयोग करने के मूल विषयवस्तु का सम्बन्ध है, इन दोनों वक्तव्यों के वास्तविक महत्व में कोई अन्तर नहीं है।

जैसा कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस वक्तव्य से गम्भीर विवाद उठे हैं, गृह-कार्य मंत्री ने श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद से दिल्ली आने का अनुरोध किया है ताकि इस विषय पर उनके साथ विचार-विमर्श किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री नम्बूदिरीपाद और श्री गोपालन का वक्तव्य भारतीय संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध है और एक ऐसा सिद्धान्त पेश करता है जो संसदीय प्रजातन्त्रवाद के खिलाफ है।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद तथा श्री अ० कु० गोपालन हमारे प्रजातन्त्र में बहुत जिम्मेदार स्थानों पर हैं। उन्हें लोगों की भलाई के लिये अथवा अपने दल के सिद्धान्त के अनुसार इस सभा में कोई भी संशोधन पेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। चूंकि समाचार-पत्रों में जो कुछ तथा जिस तरह भी वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, उसका उन्होंने खण्डन नहीं किया है और आज भी वे यही कहते हैं कि "हम संविधान को तोड़ेंगे, समाप्त करेंगे और उसमें परिवर्तन करेंगे।" यह संविधान के प्रति घोर और खुलेआम अनादर है।

वर्ष 1962 से लेकर आज तक लूट, आगजनी, जान और माल की हानि की बहुत घटनाएं हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के दल पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है? सरकार कई बातों के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करती रहती है। मैं पूंछता हूं कि वह उन लोगों को दण्ड देने के लिये जिनकी संविधान में वास्तव में कोई आस्था ही नहीं है, अध्यादेश क्यों जारी नहीं करती है?

दूसरी बात यह कि क्या सरकार श्री नम्बूदिरीपाद को इतना समय बीत चुकने के बाद इस मामले पर विचार-विमर्श के लिये बुला भी सकती है? (**अन्तर्बाधाएं**)

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री नम्बूदिरीपाद का सम्बन्ध है, वह एक राज्य के मुख्य

मंत्री हैं । यह गृह-कार्य मंत्री का काम है, वह जिस तरह चाहें मामले से निपटें । उन्होंने सभा को केवल सूचना दी है कि गृह-कार्य मंत्री इस मामले पर केरल के मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श करना चाहेंगे ।

श्री एन० शिवप्पा : यदि केरल के मुख्य मंत्री गृह-कार्य मंत्री के आमंत्रण पर दिल्ली आने के इच्छुक न हों, तो गृह-कार्य मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : विरोधी राजनैतिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की हमारी नीति नहीं है और ऐसा करने का हमारा विचार भी नहीं है । ऐसे मामलों से निपटने के लिये भारत सरकार के पास अन्य कानूनी तथा संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं ।

जहां तक श्री नम्बूदिरीपाद के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं पहले बता चुका हूं कि गृह-कार्य मंत्री ने उनके साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से एक पत्र भेज कर उनसे दिल्ली आने का अनुरोध किया है और श्री नम्बूदिरीपाद ने अभी तक हमें यह नहीं बताया है कि वह इस मामले पर हमारे साथ विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : जो राजनैतिक दल अराजकता तथा हिंसा की शिक्षा दे रहे हैं, क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने का नहीं है ?

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : The Hon. Member, Shri Gopalan has stated in his statement that they have adopted the democratic and parliamentary system simply to destroy it from with in. I want to know whether such a man can remain the member of this House ? The Hon. Minister has himself accepted in his statement that there is not much difference in the two statements of Shri Gopalan. I also want to know the action being taken against such persons who have no faith in our constitution ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyacharan Shukla) : It is a serious matter and we have to consider it seriously. We will take up this matter with the Chief Minister of Kerala and afterwards we will take a decision in this matter.

So far as the question of Shri Gopalan's seating in this House is considered it comes under the rules of procedure and Representative of Peoples Act. We cannot do anything in this matter.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं माननीय सदस्य श्री गोपालन तथा नम्बूदिरीपाद का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह बताया कि उनका विश्वास किस प्रकार की विचारधारा में है । ऐसा करके उन्होंने इस सभा तथा देश की बहुत सेवा की है । मुझे आशा है कि इस देश के लोगों तथा सभा के राष्ट्रवादी तथा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सदस्यों को पता लग गया होगा कि साम्यवादियों का वास्तविक रंग क्या है । मैं माननीय मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि श्री गोपालन के समाचार-पत्रों में छपे वक्तव्य तथा सभा में दिये गये वक्तव्य में अधिक अन्तर नहीं है । केवल कुछ शब्दों का इधर-उधर हेरफेर ही है, कोई भी समाचार-पत्र ग्यारह पृष्ठों के उनके पूरे वक्तव्य को प्रकाशित नहीं कर सकता था । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे

समाचार-पत्रों ने जिम्मेदारी से काम लिया है और उनका ठीक वक्तव्य ही प्रकाशित किया था। अत: यहां पर कल जो शोर किया गया था कि प्रेस में ठीक वक्तव्य नहीं छपा है गलत था।

यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह संविधान को समाप्त करना चाहता है तो इसका अर्थ है कि वह संविधान से मिलने वाले अधिकारों को भी समाप्त करना चाहता है। क्या किसी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। कोई भी देश इस बात की अनुमति नहीं दे सकता। अत: मैं माननीय मंत्री से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत किसी दल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जो लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते वे लोग संविधान से मिलने वाले अधिकार पाने के भी हकदार नहीं हैं। क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों तथा दलों को जिनका संविधान में विश्वास नहीं है गैर-कानूनी घोषित करने पर विचार करेगी। यदि वर्तमान किसी कानून के अन्तर्गत सरकार के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है तो वह नया कानून पास कर सकती अथवा अध्यादेश जारी कर सकती है। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि किसी को भी संविधान को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

क्या सरकार लोगों को साम्यवादियों की विचारधारा के बारे में अवगत करायेगी। वे स्वयं को मजदूरों का दल कहते हैं। वे लोगों को दास बनाना चाहते हैं.....

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। वह इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते।

श्री बलराज मधोक : भारत का साम्यवादी दल अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का एक अंग हैं अत: भारत के साथ उनकी वफादारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आप लोग बैठ नहीं जाते तब तक कोई भी चीज रिकार्ड नहीं की जायेगी।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : **

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं कि किसी पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये कि वे अमरीका अथवा किसी देश का एजेंट है। सभा में बैठने वाला प्रत्येक सदस्य भारतीय है चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो।

श्री बलराज मधोक : मैंने संसद् के किसी सदस्य का उल्लेख नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : कि इस प्रकार किसी दल पर भी आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। हमें सभा में इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए।

श्री पी० राममूर्ति : आप उनसे शब्द वापस लेने के लिये कहें।

श्री बलराज मधोक : साम्यवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है और विश्व के सभी साम्यवादी दल इस आन्दोलन में विश्वास रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य को विरोधी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिये कि वह भारतीय नहीं है। इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री बलराज मधोक : मैंने तथ्यों सम्बन्धी वक्तव्य दिया है। स्वयं उन्होंने लेनिनवाद का उल्लेख किया है। ये लोग अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखते हैं। इसमें कुछ भी अलोकतंत्रात्मक नहीं है। मैं श्री गोपालन द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में ही बोल रहा हूं। उसमें रूस तथा लेनिनवाद का उल्लेख किया गया है। क्या इन लोगों को सभा में भी इस प्रकार गड़बड़ करने की अनुमति दी जा सकती है। क्या सभा तथा सत्तारूढ़ इस बात को सहन करेगा।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : आप अपना विनिर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभा में किसी प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिये। यदि माननीय सदस्य ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे तो मैं इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। यहां पर किसी दल की निष्ठा को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी पर यह आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उनकी वफादारी किसी अन्य देश के साथ है।

श्री बलराज मधोक : मैं आपके निर्णय का आदर करता हूं। उनकी विचारधारा के अनुसार यह संसद् पूंजीपतियों की संस्था है और कि यहां पर लोगों का लोकतंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और इस संसद् को खत्म किया जाना चाहिये अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस विचारधारा के प्रति लोगों को शिक्षित कराने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ताकि लोग गुमराह न हों और हमने जो लोकतंत्र अपनाया है उसकी रक्षा हो सके। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि श्री नम्बूदिरीपाद एक राज्य के मुख्य मंत्री हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब एक बज चुका है। वह अपना प्रश्न मध्याह्न भोजन के पश्चात कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसको समाप्त करना है।

श्री बलराज मधोक : श्री नम्बूदिरीपाद को बातचीत के लिए यहां पर बुलाया गया था परन्तु उन्होंने यहां पर आने से इन्कार कर दिया है। राज्य सरकार ने नक्सलवादियों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों को वापस ले लिया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या संविधान की सुरक्षा के लिये केरल सरकार को समाप्त किया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे राजनैतिक मामलों का सामना राजनैतिक क्षेत्र में तथा लोगों को इस बारे में शिक्षित करके ही किया जा सकता है। किसी दल पर रोक लगाने से नहीं। अतः दल पर रोक लगाने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता।

जहां तक लोगों को शिक्षित करने का प्रश्न है जब ऐसे मामलों को सभा में उठाया जाता है तो इस बात का लोगों को पता चलता है कि क्या ठीक है अथवा क्या गलत है। अतः सरकार के लिए यह काम ठीक नहीं है कि वह लोगों को किसी दल विशेष की विचारधारा के बारे में अवगत करायें।

हमें आशा है कि श्री नम्बूदिरीपाद अपनी सुविधा के अनुसार शीघ्र ही इस मामले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आयेंगे। उनकी ओर से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): It has become very clear from the statement of Shri Gopalan and Namboodripad that they have no faith in the constitution. They want to create dissatisfaction among the people. I want to know whether the Government will take any action against these persons and whether the Government of Kerala will be dismissed as they are not loyal to our Constitution?

Shri Vidya Charan Shukla: We have to see whether they implement what they say or not. We are holding discussions with them. After the talks we will decide about the nature of the action to be taken against them.

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : हमारी सरकार लोकतंत्र तथा संविधान के प्रति बढ़ते हुए साम्यवाद के खतरे का ठीक ढंग से सामना नहीं कर रही है। यह बड़े शर्म की बात है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ प्रमुख सदस्य साम्यवादियों का साथ दे रहे हैं। माननीय मंत्री ने इस मामले को टालने का प्रयत्न किया है। क्या यह सच नहीं है कि चुनाव लड़ने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रति शपथ लेनी पड़ती है, क्या यह भी सच नहीं है कि चुनाव में विजय प्राप्त करने के पश्चात उसको पुनः शपथ लेनी पड़ती है। क्या मंत्री बनने के बाद उनको एक बार फिर शपथ नहीं लेनी पड़ती तो इस प्रकार तीन बार शपथ लेनी पड़ती है। माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्री नम्बूदिरीपाद और श्री गोपालन का वक्तव्य भारत के संविधान के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सर्वश्री गोपालन तथा नम्बूदिरीपाद द्वारा ली गई शपथों का उनके वक्तव्य से उल्लंघन नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो यह सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारत के संविधान में इस बारे में प्रक्रिया दी गई है। यदि उनके द्वारा ली गई शपथ का उनके वक्तव्य से उल्लंघन होता है तो देश का कोई भी नागरिक इस मामले को न्यायालय में उठा सकता है। जब आवश्यक समझा जायेगा सरकार इस मामले में कार्यवाही करेगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि के बारे में अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(एक) औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1283

(अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1285 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1284 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1286 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1316/69]

(2) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र (अंग्रेजी संस्करण) में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1675 और दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र (हिन्दी संस्करण) में एस० ओ० 1892 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1317/69]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम के बारे में प्रामाणित लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के प्रामाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1318/69]

आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1275 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 30 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा 10 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 914 में संशोधन किया गया ।

(दो) कोल्ड स्टोरेज (दूसरा संशोधन) आदेश, 1969 जो दिनांक 5 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2184 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1319/69]**

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 12 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1123 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1124 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1320/69]

(3) बनस्पति घी के लिए रंग ढूंढने के लिए अनुसन्धान में तेजी लाने के लिए समन्वय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1321/69]

(4) घी में मिलावट के लिए बनस्पति के प्रयोग को रोकने के लिए उसको रंग देने के बारे में दिनांक 12 मई, 1969 के सरकारी संकल्प संख्या 1—67/65 शूगर (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये। संख्या एल० टी०** 1322/69]

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): I on behalf of Prof. Sher Singh lay on the Table a copy of each of the following Notifications under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act 1885 :

(1) The Indian Telegraph (Seventh Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1149 (English version) and G.S.R. 1150 (Hindi version) in Gazette of India dated the 17th May, 1969.

(2) The Indian Telegraph (Eighth Amendment) Rules, 1969 (Hindi version), published in Notification No. G.S.R. 1416 in Gazette of India dated the 21st June, 1969.

(3) The Indian Telegraph (Eleventh Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1417 (English version) and G.S.R. 1418 (Hindi version) in Gazette of India dated the 21st June, 1969.

(4) The Indian Telegraph (Twelfth Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1295 (English version) and G.S.R. 1296 (Hindi version) in Gazette of India dated the 30th May, 1969. **[Placed in the Library. Please see. No. LT. 1323/69]**

शिक्षुता (पहला संशोधन) नियमों के बारे में अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं

शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षुता (पहला संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1144 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1324/69]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि लोक सभा द्वारा 16 मई, 1969 को पास किये गये पश्चिमी बंगाल विधान परिषद (ज्ञापन) विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 22 जुलाई, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

82वां प्रतिवेदन

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय मीन क्षेत्र शिक्षा संस्था, बम्बई—के बारे में प्राक्कलन समिति के 39वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 82वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes past fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर चौदह मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fourteen minutes past fourteen of the Clock.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए]
[Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक—जारी
CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL—Contd.

सभापति महोदय : अब दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक पर चर्चा आरम्भ की जायेगी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I request you to convey the Hon. Minister to give a statement regarding the person who went to his residence for staging a dharna.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में 15 अक्तूबर, 1969 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाय ।"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा निवेदन है कि मुझे इस विधेयक पर विस्तार से बोलने की अनुमति दी जाये। यहां पर अनेक विधेयक पास किये जाते हैं परन्तु यदि उन पर तथा उनके उपबन्धों पर ठीक तरह से विचार नहीं किया जाता तो न्यायालयों पर अधिक बोझ पड़ेगा तथा लोगों को भी अनेक ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनको पहले ही समाप्त किया जा सकता है।

यह बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य साम्प्रदायिक तथा प्रादेशिक तनाव को दूर करना है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कानून ऐसे तनाव को दूर कर सकता है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि विद्यमान कानून ही पर्याप्त हैं परन्तु उनको हाल तक लागू नहीं किया गया था। जब तक किसी कानून पर अमल न किया जाये उसको पास करने का कोई लाभ नहीं है।

विधेयक में तीन प्रकार के कानूनों में संशोधन करने की व्यवस्था है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क में संशोधन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत धार्मिक स्थान में किये जाने वाले अपराधों के लिए दिये जाने वाले दण्ड में वृद्धि करना है। अत: मेरे विचार में यह एक मामूली संशोधन है। परन्तु इससे नया तनाव उत्पन्न होने का खतरा है क्योंकि लोग यह महसूस करेंगे कि आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि धर्म को दण्डित कर रहे हैं।

जहां तक दूसरे परिवर्तन का प्रश्न है इसकी विद्यमान सामान्य उपबन्धों में ही व्यवस्था की जा सकती थी।

विभिन्न समुदायों तथा वर्गों के बीच मतभेद पैदा करना धारा 505 के अन्तर्गत अपराध है और मैं इस बात का कोई कारण नहीं समझता कि धारा 153 के अन्तर्गत आधारों में भी इसे क्यों न शामिल किया जाये। जब कि सरकार की अपनी कार्यवाहियों से वर्ग युद्ध शुरू हो रहा है तो क्या वर्ग को तनाव पैदा करने के आधार में शामिल नहीं किया जायेगा। साम्यवादियों ने संविधान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। उनके कथन के अनुसार संविधान भूमिदारी का पक्ष लेता है।

इस धारा में जो तीसरी वृद्धि की गई है, वह बहुत साधारण है। सरकार ने "शत्रुता तथा घृणा" शब्दों के साथ "असामंजस्य तथा द्वैष" शब्द जोड़ दिये हैं। मेरे विचार में इनमें मामूली अन्तर है और मैं नहीं समझता कि इस धारा में कोई अधिक संशोधन किया गया है।

सरकार की नीति यह है कि जैसे ही किसी मामले में राजनीति घुसती है और कोई दल हस्तक्षेप करता है, इस देश में कोई अपराध नहीं रहता है। आज ही गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को यह कहते सुना गया है कि हमें राजनैतिक हल निकालना चाहिये। जब समूचे देश को वर्ग युद्ध का खतरा है और समूचे संविधान को खतरा है, तो मंत्री कहते हैं कि यह कोई अपराध नहीं है और हमें राजनैतिक हल निकालना चाहिये। आपराधिक मामले

का कोई राजनैतिक हल नहीं निकला करता। उसका तो दांडिक उपाय ही निकालना होगा।

धर्म तनाव का आधार तब बना जब अंग्रेजों ने इसमें राजनीति को घुसेड़ दिया और इसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का आधार बनाया। हमें धर्म में राजनीति को शामिल नहीं करना चाहिये। किसी विशेष क्षेत्र में जनम अथवा निवास के कारण तनाव भी सरकार द्वारा राजनैतिक हल ढूंढे जाने के कारण ही हुआ है। सरकार ने भाषाई राज्यों में परिवर्तन करके ऐसा किया है। सरकार को बेलगाम तथा तेलंगाना के प्रश्न पुनः नहीं खोलने चाहिए।

भाषाओं के कारण तनाव के लिये भी सरकार जिम्मेवार है। सरकार एक न एक तरीके से दबाव डाल कर हिन्दी को आगे लाना चाहती है। भाषाई समस्या का कारण यही है।

तनाव का अगला आधार जाति तथा समुदाय है। सरकार ने श्री नाथ पाई के विधेयक का समर्थन करके उसे विभिन्न वर्गों के बीच विवाद का विषय बना दिया है।

अगला प्रस्तावित संशोधन धारा 505 के बारे में है। सरकार को चाहिये था कि इस धारा के अन्तर्गत समाचारपत्रों में अनुचित समाचार प्रकाशित करना भी शामिल किया जाता। दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित परिवर्तन सराहनीय है। दण्डाधिकारी के स्वविवेक में राजनीतिज्ञों तथा सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेपीय तथा अहस्तक्षेपीय अपराधों के बारे में संशोधन बहुत अच्छा है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सम्बन्ध में किया जाने वाला परिवर्तन बहुत अच्छा है। लोग चुनाव के समय तनाव पैदा करते हैं, यदि उन्हें मालूम हो जाये कि यह अनर्हता है तो वे तनाव से बेचेंगे।

मुद्रण तथा प्रकाशन के बारे में खण्ड 6 पर यह आपत्ति उठाई गई है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार के साथ समवर्ती अधिकार नहीं होने चाहिये। मैं इन आपत्तियों का यह उत्तर देना चाहता हूं कि राज्यों का आंदोलनों में कुछ हाथ हो सकता है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार का स्वतन्त्र अधिकार देना आवश्यक है।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार विधि तथा व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेवारी के बारे में जागरूक हो गई है। परन्तु यह जागरूकता केवल इस विधेयक तक ही सीमित होकर नहीं रह जानी चाहिये। सरकार को देखना चाहिये कि उसके अधिकारी कानून को लागू करें। मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The incentive for this amending Bill came from the National Integration Conference. The biggest stress should have been laid on suppression of communal powers but it is lacking in that respect and we are therefore not in a position to support it. The communal powers are again raising their heads and they are posing a threat

to the integrity and security of the Nation and the poor and exploited people. A very objectionable poster was distributed in Allahabad during communal disturbances in which Hindus were asked to commit violence against Muslims and kill them. The poison of communalism was injected in Hindu workers of Indore to such an extent that they refused to work alongwith Muslim workers. Similar provocations were also given in Janpad Mau village in Azamgarh in Uttar Pradesh. I, therefore, with that these powers which are responsible for spreading poison, should be severely dealt with under this amending Bill.

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : I congratulate the Minister for Home Affairs for bringing forward this Bill. We have been feeling since a long time that certain powers are working to wreck our national values ever since the attainment of independence. We have been trying to see that such powers do not raise their heads but unfortunately, in spite of all our good wishes and efforts these people are there in our country. They preach hatred in the name of caste and religion.

The number of Communal disturbances on a large scale in our country during last year are enough to compel us to reconsider this question seriously. These happenings 15 or 16 years after the attainment of independence caused a great anxiety to the then Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru. This matter was considered at great length by all the parties and 1960 National Integration Council was constituted with Shri Jawaharlal Nehru as President. After the Chinese invasion India stood united to defend the country irrespective of differences of language, caste and religion. This led us to believe that now we have achieved national integration and, therefore, we became passive in this regard. Those forces again began to raise their head. These communal forces are present in the form of political parties which base their political ideology on communalism.

It has been provided in this Bill that those who are found guilty of causing communal hatred, will not be able to participate in any election. The Bill has been brought with a view to fight communal elements and suppress them.

A large section of Government employees encourages communal feelings. They are not covered by this Bill. However, the Government have sent a circular that the District Magistrate in whose territory communal disturbances take place will be primarily held responsible for the same. I feel, if those Government employees are found guilty of encouraging such forces, first of all action should be taken against them.

The places of worship like Temples, Mosques, Gurdwaras and Churches are being used to arouse communal feelings and the common man is being misled in the name of religion and caste. These people are guilty of a big crime.

Radical changes should be brought in the system of education. The children should be imparted education in national values, democracy, secularism, national solidarity and our economic policies. Other social, political and educational steps should also be taken.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The Minister has not given the reasons which led him to introduce this Bill. More severe penality is proposed to be imposed under Sections 153A and 505 and those are being made cognizable offences. I would like to know whether the existing provisions in law are not sufficient to deal with communal violences and the newspapers publishing inciting news. If the Government had been serious in this connection, they would have done something since the Report of Select Committee was submitted about a year ago.

We believe that every one has a soul like our's. So our religion is against doing any harm to others, as compared to the religious beliefs of others.

Our constitution provides for free expression of views. The proposed legislation is a violation of the constitution as it imposes a restraint on the fair comments.

I have not seen a single person, who takes sword in his hands after reading a newspaper. Your present proposal is a serious blow to the free press. I am aware of the policy of Ministry of Home Affairs towards the newspapers when they do not like. They are deprived of advertisements and face discrimination on the allocation of newsprint. In the court cases instituted by the Government the High Court and the Supreme Court gave verdict in favour of the newspapers.

The proposal to close down the printing press from where a newspaper alleged to be culprit is published, is dangerous, as many other small newspapers are published from that press.

The proposed law provides that a panel will be drawn in consultation with the Press consultative body and from that panel the nominations will be made by the Ministry of Home Affairs. Does the Government intend to keep it as a nominated body. In this matter the Government should rely on the representatives and editors of the newspapers. These steps are hinderances in the way of democracy.

श्री मोहसिन (धारवाड़-दक्षिण) : इस विधेयक का उद्देश्य साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीयता के प्रचार को रोकना है। यह राष्ट्रीय एकता समिति में पिछले वर्ष श्रीनगर में लिए गए निर्णयों के अनुरूप है। श्रीनगर में हुये इस सम्मेलन में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के अतिरिक्त जनसंघ के नेता भी सम्मिलित थे। इस उद्देश्य में साम्प्रदायिक भेदभाव फैलाने वालों को दण्डित करने की व्यवस्था की गई थी। जनसंघ जैसे राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक विद्वेष को फैलने से रोकना है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : उन्होंने जनसंघ का सीधा उल्लेख किया है, जो कि तथ्य नहीं।

सभापति महोदय : कृपया किसी राजनीतिक दल पर आरोप न लगाइए। उनका दावा है कि वे ऐसा नहीं करते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कांग्रेस दल पर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। यदि किसी विरोधी दल की विचारधारा की निन्दा की जाती है तो सभापति को आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : वे उन्हें ऐसी बातें पुनः कहने को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

सभापति महोदय : जनसंघ के सदस्य स्वीकार नहीं करते कि वे ऐसा प्रचार करते रहे हैं और इसपर मेरे सभापतित्व में कांग्रेस दल ने कभी आपत्ति नहीं की।

श्री उमानाथ : वे हमारे दल पर आरोप लगाते हैं। तब उन पर आरोप लगाने पर आपत्ति क्यों ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उन्होंने ही मालापुरम जिले का निर्माण किया है।

श्री मोहसिन : आग्रेनाइजर बिक्रम तथा मदर इण्डिया पत्रों में सर्वत्र साम्प्रदायिक विष ही पाया जाता है। तब भी उन्हें स्वतन्त्र प्रेस नियमों के अन्तर्गत संरक्षण मिलता है। ऐसे साम्प्रदायिक प्रचार को रोकना ही इस विधेयक का उद्देश्य है।

मैं मानता हूं बहुसंख्या सहनशील है। परन्तु कुछ तत्व इस खराबी को पैदा करते हैं, इसमें बहुसंख्या अथवा अल्पसंख्या का कोई प्रश्न नहीं।

मेरा सम्बन्ध अल्प संख्यक समुदाय से है जो मेरे क्षेत्र में 8% है परन्तु मैं पिछले दो आम चुनावों में 65000 और 75000 मतों से विजयी रहा। इसलिए माना जा सकता है देश में सामान्यतः साम्प्रदायिक एकता विद्यमान है।

जिस किसी ने भी मन्दिर गुरुद्वारों को पूर्वकाल में हानि पहुंचाई हो अथवा अब जो मस्जिदों को हानि पहुंचाई जा रही है, वे सब निन्दनीय हैं।

मुझे भय है कि विधेयक के पारित होने के पश्चात भी उसे ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : इस विधेयक का उद्देश्य विघटनकारी तत्वों पर काबू पाना है। परन्तु यह विधेयक एक तो विलम्ब से लाया गया है और दूसरे इससे अभीष्ट सिद्धि में संशय है, क्योंकि इसके सही उपयोग की सम्भावना कम है। उदाहरणार्थ हमारे देश में छुआछूत पर रोक है। परन्तु दलित वर्ग आज भी दलित बने हुये हैं। विधि के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बन्दी नहीं बनाया गया। निर्वाचन में शासक दल ने सदा ही साम्प्रदायों के आधार पर उम्मीदवार मनोनीत किये। ऐसे दल द्वारा साम्प्रदायिकता की समाप्ति की घोषणा पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? मुझे भय है कि विधेयक का दुरुपयोग ही किया जायेगा। न्यायालयों में एवं प्रशासन द्वारा दबे हुए वर्ग को ही अधिक दबाया जाता है।

आज भी रांची में अल्प संख्यकों को दबाया जाता है और आन्ध्र में उनके विरुद्ध प्रचार को प्रोत्साहन मिलता है। बातें तो क्षेत्रीय भावना के उन्मूलन की की जाती हैं, परन्तु शिव सेना इत्यादि संगठनों की गतिविधियों को कांग्रेस सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया की जाता है। ऐसी दशा में कैसे माना जा सकता है कि आप क्षेत्रीयता का विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना के लोगों के विरुद्ध आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते? विघटनकारी तत्व भेदभाव की नीतियों का निर्माण, भाषा, क्षेत्रवाद एवं साम्प्रदायिकता को आधार बना कर हो रहा है।

हमारा दल इन बातों के विरुद्ध है, परन्तु हम समझते हैं कि प्रस्तावित कानूनों से इनकी रोकथाम नहीं हो सकती। सरकार तथा सभी धर्मनिर्पेक्ष दलों के दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा ही विघटनकारी तत्वों का मुकाबला किया जा सकता है। शिव सेना के उपद्रवों का सामना करने के लिये ऐसे संयुक्त प्रयत्नों का सुझाव मैंने प्रधान मंत्री के सन्मुख रखा था परन्तु मेरा सुझाव कांग्रेस दल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। पूरे मामले पर विचार के पश्चात हम इस निर्णय

पर पहुंचे हैं कि सरकार को अथवा भावी सरकार को ऐसी शक्तियां देना घातक सिद्ध होगा। जातिवाद, छुआछूत आदि समस्यायों से जूझने के लिये हमें लोगों में धर्मनिर्पेक्षता तथा सामाजिकता का प्रचार करना चाहिए। हमें अपनी राजनीति में भी मूलभूत परिवर्तन लाना चाहिये।

मैं इस विधेयक का विरोधे करता हूं।

Shri Shashi Bhushan (Khargaon): Imperialism and capitalism were the policies followed in the era of exploitation. In the fight against imperialism the communal forces came forward to safeguard it.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tewari in the Chair]

These communal forces did not participate in the struggle for freedom. When the freedom fighters were in the Jails, the communal leaders were leading the Indian soldiers to fight for the imperialists.

After freedom these people even opposed the transfer of power. They also opposed steps towards progress sometimes in the name of cattle and sometimes in the name of language.

Incentive should be given to those who make sacrifices while fighting communalism. The communal propaganda has its roots in this country since 1920, when it was encouraged by the British Rulers. We should have checked it after independence. The proposed legislation is a vital step in that direction.

The religious organisations of Punjab mobilised their forces in their Gurudwaras and Temples and the result was the further division of Punjab. Communal people will necessarily give support to capitalism.

Bank nationalisation was opposed by them. The national and progressive forces should, therefore, unite to win over the communal forces.

I would support and welcome this Bill if it is capable to bring an end of such communal Organisations; and religious newspapers and press.

श्री समर गुह (कन्टाई): हमारे देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों और साम्प्रदायिक तत्वों की जड़ को समाप्त करने के लिये जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह केवल छल मात्र प्रतीत होता है। स्वयं को प्रगतिवादी बताने वाले कम्युनिस्ट इस कांग्रेस पार्टी में मिल गये और देश को टुकड़ों में विभक्त कर दिया। हजारों लोगों की जाने चली गईं और इस उप महाद्वीप में साम्प्रदायिकता, धार्मिक घृणा और असहिष्णुता का वातावरण फैल गया। साम्प्रदायिकता की बुनियादी समस्या को निपटाने के लिये इस प्रकार के बहाने बनाने से सरकार कामयाब सिद्ध नहीं होगी। जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में मित्रता, शान्ति एवं परस्पर पहुंच के समझौते पर नहीं आते तब तक इन दोनों देशों में जन जीवन सामान्य नहीं हो सकता।

पूर्वी बंगाल अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रीयता की एक नई धारणा फैल रही है जहां

बंगाली मुस्लिम नवयुवकों की एक नई पीढ़ी केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सारे भारत में एक नया प्रकाश फैंक रही है ।

देश में भाषा सम्बन्धी साम्प्रदायिकता, जाति-पांति एवं प्रान्तीयता की बुराइयों एवं व्याधियों के लिये कुछ व्यक्ति अथवा समाचार पत्र ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि राजनीतिक व्यक्ति भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि साम्प्रदायिकता एवं जातीयता के आधार पर ही चुनावों में इनको सफलता मिलती है । अत: भारत की राष्ट्रीयता को विच्छिन्न कर रही इन बुनियादी व्याधियों को समाप्त करने का प्रयत्न न करने के बजाय कुछ लक्षणों को दूर करने का यह केवल प्रयास मात्र है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद में अनेक मामलों पर चर्चा हुई परन्तु भारतीय राष्ट्रीयता की बुनियादी संकल्पना को सुचारू रूप से नहीं समझा गया । और यही कारण है कि आज की नई पीढ़ी को जिनसे हमारे देश के भविष्य का निर्माण होना है, राष्ट्रीयता का सही अर्थ नहीं बताया गया है । हमारे इतिहास के छात्रों को अभी भी यही बताया जाता है मानो भारतीय राष्ट्रीयता को जो आज इस देश में व्याप्त है, परभक्षी अंग्रेजी साम्राज्यवादी शक्तियां यहां लाई हैं । परन्तु यह अभिधारणा गलत है । परन्तु अभी भी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के माध्यम से इस राष्ट्रीयता को पढ़ाया जाता है ।

यह भी धारणा है कि भारत बहुराष्ट्रों का समुदाय है, यह बात श्री जवाहर लाल नेहरू ने कही थी । खेद की बात है कि वह भारत की आत्मा को पहचानने में असमर्थ रहे । इसके अतिरिक्त एक और विचारधारा है जो यह अनुभव करती है कि भारत अनेक अर्ध-राष्ट्रीय लोगों का संघ है । परन्तु ये सब विचारधाराएं मूल रूप से ही गलत हैं । विश्व भर में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, जहां राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रीयता की विचारधारा राजाओं, विजेताओं आदि की देन न होकर महान भक्तों, दार्शनिकों एवं निर्माताओं की देन है । हजारों वर्ष पूर्व कहा गया है कि "जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी: ।"

श्री शंकराचार्य ने भारतवर्ष के चारों ओर चार मठों की स्थापना की । पौराणिक विचार धाराओं से देश में धार्मिक जागृति हुई जिससे देश में एकता हुई और यह एकता आध्यात्मिकता में परिवर्तित हो गई । देश भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से एक हो गया । राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए स्कूलों एवं कालिजों में राष्ट्रीयता को नया रूप देना होगा । इतिहास का पुन: निर्माण करना होगा जिससे देश में राष्ट्रीयता की एकता को एक नई दिशा मिले ।

भारतीय राष्ट्रीयता मूल रूप में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक है, राजनीतिक तत्व तो इसमें पिछली दो शताब्दियों से आए हैं । यदि इस तथ्य पर जोर दिया जाए कि भारतीय एकता मूल रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है तो एक साधारण व्यक्ति चाहे वह देश के किसी भी भाग से आए तो भी वह अपने आपको भारतीय ही कहेगा उसके मन में भारतीय राष्ट्रीयता की अधिकतर अनुभूति और मनोभाव जागृत होंगे ।

यदि सरकार इस देश की राजनीति से साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषाविवाद जैसी बुराइयों को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहती है तो उन राजनीतिक दलों पर रोक लगानी पड़ेगी जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। भविष्य में भी हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि किसी साम्प्रदायिक अथवा राजनीतिक दल को जो धर्म के आधार पर देश में चलती हो, समाप्त कर दिया जाए।

साम्प्रदायिक, जातिवादी और विघटनवादी तत्वों को समाप्त कर देना चाहिए। विश्व विद्यालयों के नाम हिन्दू और मुस्लिम नाम पर जो पड़े हुए हैं, उन्हें बदल देना चाहिए। सरकार ऐसा करने में असमर्थ प्रतीत होती है। शिवसेना ने प्रान्तीयता का नारा लगा रखा है और वे स्वयं को देश का सेनानी मानते हैं। क्या हम इस देश के सेनानी नहीं हैं। क्या हम इस देश की मिट्टी में नहीं पले हैं। सरकार को प्रान्तीयता की भावना को दूर करने के लिए गम्भीर कार्य-वाही करनी चाहिए।

आगे प्रश्न अधिवास प्रमाण पत्र का है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्य में जाकर बसना चाहता है तो उसे अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा अन्यथा वह वहां पर कोई मकान नहीं खरीद सकता। परन्तु इस अधिवास प्रमाण को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि सरकार ने इस पर कठिन प्रतिबन्ध लगा रखे हैं।

मन्दिरों और मस्जिदों के झगड़े हैं। जहां हिन्दुओं की संख्या अधिक होती है वहां वे मस्जिद को मन्दिर बना लेते हैं और जहां मुसलमान संख्या में अधिक हैं वहां वे मन्दिर को मस्जिद बना लेते हैं और इस प्रक्रिया से दोनों सम्प्रदायों में उत्तेजना और तनाव बढ़ जाता है। इस प्रकार के तनाव एवं उत्तेजक तत्वों को दूर करना देश की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत आवश्यक है।

राष्ट्रीय एकता परिषद में जिन मामलों पर चर्चा हुई थी यदि सरकार उनको गम्भीरता से क्रियान्वित करना चाहती है तो एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं ऐतिहासिक आदि तथ्यों के सम्बन्ध में मूल समस्याओं पर विचार करे और भारतीय राष्ट्रीयता की आंगकिक विचारधारा का विकास करे।

इस विधेयक में सुझाए गए दाण्डिक उपायों के सम्बन्ध में मुझे डर है कि पुलिस तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जायेगा। इन दाण्डिक उपायों को समाचार पत्रों पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कुछ शर्तों की भाषा बहुत ही अस्पष्ट है जिससे कई भ्रान्तियां पैदा हो जाती हैं और जो भयानक स्थिति पैदा कर सकती हैं और पुलिस अधि-कारी इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इस विधेयक के विधान के रूप में परिगत करने से पूर्व, विशेषतया चुनाव के मामलों से सम्बन्धित दाण्डिक उपायों की भाषा को अतिसावधान, परिशुद्ध, स्पष्ट तथा विवेकपूर्ण होनी चाहिए।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यदि आध्यात्मिक और नैतिक विचार धाराओं के मत पर विचार किया जाए तो देश की एकता और धर्मनिर्पेक्षता के स्थान पर छोटे-छोटे टुकड़े होकर यह विभक्त हो जायेगा। मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं। एक यह कि क्या सरकार को इस प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता का अनुभव होता है ? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे ऐसे उपायों की आवश्यकता पड़ी है क्या विधान बनाने से इन स्थितियों का निवारण किया जा सकता है, केवल कानून के द्वारा ही ऐसी स्थितियों को समाप्त नहीं कर सकते जो साम्प्रदायिकता, जात-पांत, प्रान्तीयता एवं धार्मिक वैमनस्य की भावना को पैदा करती है। विधान के साथ-साथ सारे राजनीतिक दल और उनके नेताओं के द्वारा प्रचार और शिक्षा के माध्यम से भी इस बुराई को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि विधान में कुछ खामियां विद्यमान हैं, हम उन खामियों को इससे पूरा करना चाहते हैं, अतः इसकी आवश्यकता समझी गई जिसे राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, श्रीनगर में अनुभव किया गया। इस मामले पर विचार संयुक्त समिति में भी किया गया, जहां विविध दलों के सदस्य भी थे और उन्होंने किसी न किसी रूप में इसका विरोध किया। परन्तु इस स्थिति में इसका विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा।

इस विधेयक का विरोध करते हुए यह भी कहा गया है कि इसके प्रावधान समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के हितों के विरुद्ध है। इस विधेयक में केवल 8 खण्ड हैं।

खण्ड 2 में साम्प्रदायिक शक्तियों के सम्बन्ध में कहा गया है। इस खण्ड से भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 153-ए का संशोधन होता है। खण्ड 3 के प्रावधान से उस वक्तव्य के लिए दण्ड की व्यवस्था है जिससे मनुष्यों में वैमनस्य तथा बैर भाव बढ़े। इसी प्रकार ये 8 खण्ड हैं। इनको देखते हुए मैं समझता हूं कि अब भी किसी प्रकार के विरोध की गुंजाइश नहीं रह गई है।

मैं नहीं समझता कि जब इस विधेयक का समर्थन संयुक्त समिति में हो गया है तो अब यहां पर इसका इतना विकट विरोध क्यों किया जा रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के उपायों को जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत आवश्यक हो गए हैं, तथा जिसे राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, क्या विरोध न किया जाय। मैं इन उपायों का समर्थन करता हूं।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : All the Political leaders and politicians are of the opinion that communalism and racialism should be removed from the country. But the measures that have been taken by the Government are not proper but they are lame one. So far as the question of communal forces is concerned, Government has not found out its root cause. Old conventions are the root cause of communalism. This evil can be removed with scientific thinking. For instance an engineer's son can not born as an engineer. He will have to undergo training of Engineering Technology before he becomes an engineer. But in the case of our conventional social set up this fact has become hereditary. An innocent child is called as a Hindu or a Muslim. If these feelings of communalism and religion are let lose the country will go to ruins.

Even in this scientific age the age long evils of communalism, racialism and religious thinkings are not being allowed to be eradicated from the social life of the people. If Government are really serious to eradicate communalism, then they should start proper course of religious thinking. Each boy should undergo a course and he should not be called assigned to a particular religion until he declares that he has adopted a particular religion after passing that course of religious study. And that also after he becomes adult. In case he does not declare his religion he should be treated as belongs to no religion. So long as this way of life is not adopted, people will go on quarreling themselves in so far as their religious, racial, and communal feelings and sentiments are concerned.

It is pleaded by one and all that casteism is the worst evil and it should be eradicated. But caste feelings are being exploited for political purpose. Honestly speaking in the present age of science casteism has no existence. It has been proved by scientific analysis that Hindus, Brahmins, Muslims and Harijans have similar blood. So there is no such thing as the existence of castes etc. in the present age as that used to be in the past. But still the evil effect or the ghost of casteism is very much present in our country. The question is as to how this ghost of casteism can be driven away. This can not be driven away by speeches alone. I think that the most effective step in this direction would be to make the minds of Central and State Government employees free from casteism or caste feeling. If the judge as well as the police officer believe in caste system, how this problem can be solved. So a rule should be made that employment will be given to those who marry in the castes other than their own castes. A new class should be created by breaking the barriers of province, caste and language. If that is done, then this problem will be solved.

It was thought education will be a death knell for casteism. But it has not been so. I have seen the bar election in my district and I saw that Brahmin and Banya lawyers were divided in two groups and there was an open propaganda in the name of caste. Casteism is openly being exploited in educational institutions and today educated man has become more dangerous, caste minded and communal than an uneducated person. So my suggestion is that a step should be taken to remove casteism from Government servants. If that is done after 50 years or so there will be a class in our country which will be above from casteism, provincialism and communalism. Though twenty-one years have elapsed, since we achieved independence yet nothing has been done in this direction.

As there is no existence of ghost and spirits, yet people throughout the country believe in their existence. The same is the case with communalism and casteism. So our purpose is to drive away the ghost of casteism from the minds of the people and this can not be done merely by passing a legislation in this regard. So it requires some positive steps should be taken to solve this problem and I request the Government that instead of passing this half-hearted legislation, some positive steps should be taken.

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : जहां तक इस विधेयक के सीमित उद्देश्य का सम्बन्ध है, यह सच है कि इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिये था तथा उन शक्तियों को जिन्हें विघटनकारी शक्तियां कहा जाता है, नियंत्रित किया जाना चाहिये था । जहां तक इस विधेयक के सकारात्मक पहलू का सम्बन्ध है, यह सच है कि हम किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी बातें कहने अथवा ऐसी कार्यवाही करने पर रोक लगा सकते हैं जिनसे साम्प्रदायिक तनाव के भड़कने का डर हो । कई माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि साम्प्रदायिक प्रचार केवल सभाओं तथा मुख से

कही गई बातों तक ही सीमित नहीं है, अपितु समूची सामाजिक व्यवस्था की प्रत्येक कार्यवाही का इस पर प्रभाव पड़ता है। अतः हमें साम्प्रदायिक तनाव को रोकने के लिये सर्व प्रथम प्रशासनिक एवं शैक्षिक उपाय करने चाहिये। यह एक अच्छी बात है कि हम विघटनकारी शक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कल एक अन्य विधेयक पर चर्चा करते समय भी विघटनकारी कहे जाने वाली शक्तियों पर विचार-विमर्श किया गया था। यह सच है कि देश में ये शक्तियां रहेंगी, परन्तु हमें इन्हें इतनी शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिये जिससे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाये। इसलिये जहां तक प्रकाशनों का सम्बन्ध है, इस बात का उल्लेख किया गया है कि बहुत-सी ऐसी बातें प्रकाशित की गई हैं जो संविधान की भावना तथा साम्प्रदायिक एकता और कई अन्य सामाजिक पहलुओं के विरुद्ध हैं। इस संबंध में कई समाचार पत्रों के नाम भी लिये गये हैं। हमें इन सब चीजों को समाप्त करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि समिति इस सम्बन्ध में उचित और प्रभावी कार्यवाही करेगी।

इस विधेयक पर मेरी केवल एक आपत्ति है। इसमें भाषावादी अथवा क्षेत्रवादी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यहां शक्तियों का दुरुपयोग किये जाने की कुछ गुंजाइश है। हमने बार-बार इस बात का उल्लेख किया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें क्षेत्र असमानता विद्यमान है तथा हो सकता है अधिकार प्राप्त व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं पर समान रूप से ध्यान न दें तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्यायें पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं का किसी समुदाय के आधार पर समाधान करना गलत होगा। अतः मेरी मति में प्रशासनिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, परन्तु इसमें कुछ खामियां भी हैं जिनसे हमें चौकन्ना रहना चाहिये। शक्तियों के दुरुपयोग के खतरे की खामी को छोड़कर यह एक अच्छा विधेयक है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : इस विधेयक को लाने का सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना तथा उन सब हिंसात्मक शक्तियों का दमन करना है जो देश की एकता पर कुप्रभाव डालती हैं तथा उपद्रव फैलाती हैं। परन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उन शक्तियों का दमन करने के लिये पहले पर्याप्त शक्तियां नहीं थीं, जो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी। सरकार के पास वर्तमान विधियों के अन्तर्गत ही ऐसी शक्तियों से निपटने की शक्तियां मौजूद हैं तथा वर्तमान विधेयक में जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, वे उनसे अधिक भिन्न नहीं हैं। अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाने की कोई खास जरूरत नहीं थी।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि वर्तमान विधि को जब कभी लागू किया गया है, उसे अल्प संख्यक समुदाय के विरुद्ध लागू किया गया है। 20 समाचार-पत्रों पर मुकदमें चलाये गये हैं। इनमें से 15 समाचार-पत्र अल्प संख्यक समुदाय के हैं और अधिकांश समाचार-पत्र उर्दू भाषा में

प्रकाशित होने वाले हैं। इसके क्या कारण हैं ? सरकारी अधिकार जो सरकार को कार्यवाही करने की सलाह देते हैं, भेद-भाव पूर्ण तरीके से अल्प-संख्यक समुदायों के विरुद्ध कार्यवाही करने की ही सलाह क्यों देते हैं। वास्तव में अल्प-संख्यक समुदाय ही कठिनाई में हैं और फिर कार्यवाही भी उनके ही विरुद्ध की जाती है।

इस विधेयक पर चर्चा करते समय कई बातों का उल्लेख किया है। यद्यपि कुछ बातें असंगत प्रतीत होती हैं, परन्तु वास्तव में वे असंगत नहीं हैं। मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमेशा ही सामान्य रूप से बहु-संख्यक समुदाय साम्प्रदायिकता अथवा दंगे नहीं फैलाता है। हिन्दुओं तथा मुसलमानों की उदाहरण लीजिये तथा इस बात को भी ध्यान में रखिये कि देश में लगभग 6,00,000 गांव, कस्बे तथा नगर हैं। मैं नहीं समझता कि देश में एक भी ऐसा गांव है जिसमें एक भी मुसलमान न रहता हो। देश के हर गांव में मुसलमान रहते हैं, चाहे उनकी संख्या 1, 10 अथवा 1000 हो। अतः यह बात नहीं है कि हर गांव में, जहां हिन्दू और मुसलमान रहते हैं, हमेशा इनमें झगड़ा होता रहता है और एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहते हैं।

फिर यह झगड़ा-फिसाद क्यों होता रहता है, जिसे हम गत 20 अथवा 21 वर्षों में देखते रहे हैं। इस झगड़े तथा फिसाद का कारण यह है कि अपने स्वार्थ के लिये कुछ मुट्ठी भर लोग जनता को भड़काते रहते हैं तथा उनकी भावनाओं को जगाते रहते हैं। वे व्यक्ति जो लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, लोगों से कहते हैं कि मुसलमानों ने भूतकाल में हमला किया था। वे कहते हैं कि मुसलमान हमलावर हैं। उन्हें या तो इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी नहीं है, या वे जानबूझ कर उनका उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। वे इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि जब बाबर ने भारत के एक भाग पर हमला किया था तो हिन्दू राजाओं के साथ हजारों की संख्या में मेवों ने भी अपने प्राण न्योछावर किये थे।

केरल में मुसलमान बहुत पहले से रहते हैं। वहां के राजा बहुत अच्छे थे तथा वे मुसलमानों को वहां रहने के लिये बुलाते थे। जब पुर्तगालियों ने आक्रमण किया तो वहां की नौसेना का अध्यक्ष एक मुसलमान ही था। लड़ाई का सारा भार उस मुसलमान नौसेना अध्यक्ष को ही सौंपा गया था। हिन्दू सैनिक थे और मुसलमान सेना अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त और भी हजारों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने देश के लिये खून बहाया था।

इसके अतिरिक्त दक्षिण में पंदयान राज्य का एक और उदाहरण है। जिसमें हजारों की संख्या में मुसलमान अपने हिन्दू राजा के लिये दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की फौजों से लड़े थे। जब अलाउद्दीन की फौज के सेनापति ने उनसे कहा कि वे मुसलमान हैं तो उन्होंने जवाब दिया था कि वे अपने देश तथा राजा के लिये लड़ रहे हैं।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि साम्यवादियों ने मुसलिम लीग के साथ सांठ-गांठ

कर रखी है। परन्तु यह सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि वर्ष 1952 में कांग्रेस ने मुसलिम-लीग के साथ समझौता किया था और चुनाव लड़ा था। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कामराज से इस बात की गवाही ले सकते हैं। फिर इसके बाद वर्ष 1960 में पंडित नेहरू के अधीन मुसलिम लीग, पी० एस० पी० तथा कांग्रेस ने मिलकर केरल में साम्यवादियों का मुकाबला किया था।

कुछ लोग धर्म अथवा धार्मिक संगठनों को बदनाम करते हैं तथा उनका कहना है कि सारे संकट का कारण धर्म है। इसलिये धर्म को समाप्त किया जाना चाहिये। परन्तु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सब धार्मिक बातों के समाप्त किये जाने के बाद भी जब तक विचार स्वातन्त्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य रहेगा। तब तक विभिन्न विचार धारायें रहेंगी। अतः अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक व्यक्ति रहेंगे। यह किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग द्वारा दबाये जाने का मामला नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को साथ-साथ रहना है। संसार में इस समय तथा पहले भी ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक न हों अथवा न रहे हों। अतः हमें इधर-उधर की बातें न करके वह व्यवस्था करनी है जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक साथ-साथ रह सकें।

हिंसा, रक्तपात तथा लूटमार की अनेक घटनायें हुई हैं। सरकार भी थी और कानून भी था, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब इस कानून को और कड़ा बनाया जा रहा है। अतः जब पहले कानून के होते हुए कई-कई दिनों अथवा सप्ताहों तक कार्यवाही न की गई, तो अब क्या गारंटी है कि इस कानून के बाद तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे शरारती लोगों के हाथ और भी मजबूत हो जायेंगे। उदाहरण के तौर भी इस विधेयक में एक ही अपराध के लिये दण्ड की व्यवस्था में भेदभाव किया गया है और कहा गया है कि यदि यह अपराध किसी साधारण स्थान पर किया जाता है तो दण्ड की अवधि तीन वर्ष होगी और यदि इसे किसी पूजा के स्थान पर किया जाता है तो दण्ड की अवधि पांच वर्ष होगी। यह भेदभाव सही नहीं है।

जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि ईसाइयों में भी प्रार्थना के अन्त में एक भाषण अथवा कुतबा दिया जाता है और यह धर्मोपदेश प्रार्थना का अनिवार्य अंग होता है। ये कुतबे गत 15000 वर्षों मे दिये जा रहे हैं। हमने इन कुतबो अथवा धर्मोपदेशों के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया था, परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

मेरे माननीय मित्र श्री गोयल ने प्रकाशन सम्बन्धी उपबन्ध का उल्लेख किया था। मैंने संयुक्त समिति में इस सम्बन्ध में उनका समर्थन किया था। चूंकि एक पत्र एक मुद्रणालय में प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिये उन सब पत्रों को कठिनाई होगी, जो उस मुद्रणालय में प्रकाशित किये जा रहे हैं। अतः इस उपबन्ध का कुप्रभाव पड़ेगा, विशेषतया उन छोटे-छोटे पत्रों पर जिनके अपने मुद्रणालय नहीं हैं।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Sir, the new words "disharmony" and "ill will" are being added in Section 153A of the Indian Penal Code in addition to the present words "feeling of enmity and hatred" and a provision in being made against creating feelings of enmity in various groups in Section 505 by this Criminal and Election Laws Amendment Bill. Thus the District Magistrate have been authorised to take action. I welcome this provision.

I am of the opinion that the evil of casteism can not be eradicated from our country so far as economic imbalance exists between the people of various communities. It has been seen that in case so called backward and poor people come up to the standards of the people of other communities, their difficulties are automatically removed. But they are subject to same atrocities so long as they are poor and backward. It is a wellknown fact that the so-called Harijans of U.P., M.P., Maharashtra and Andhra Pradesh had been subjected to untold miseries because they continued to be poor and backward and economic imbalance existed there as before.

It has been rightly observed by one of my Hon. friends that the people in general do not indulge in communalism or violence against the people of other groups, but there is a small section of people who for their own leadership though their intention is not to spread violence in the name of religion, allow such incidents to happen which ultimately lead to communal harmony. The main aim of such people is to maintain their leadership and that is why they do not want to supress any such activities which may endanger their leadership irrespective of the fact it is known to them that these acts will lead to communal tension.

So far as religions books are concerned, I have seen the religious book of many religions and it is no where written in any religious book that atrocities should be committed on the people belonging to other religions. On the other hand all religious books teach love and friendship. In Bible it is written, "Love is God, the Kingdom of God". The Hindu religious Book teach that the entire world is a family and all the people of the world are your family members. But still there are certain people who are spreading communal hatred in the name of religion. Take for instance the paper names "Organiser". It always indulges in spreading hatred against Muslims. The very headings of this paper are always read, "Muslim Goondas or Foreign Missionaries", This is not good. It disturbs the harmonious relations of our society. We have to find out various ways to maintain communal harmony in our society. So I support the insertion of the word "communal" in this Bill. But at the same time I would like to request those who are indulging in spreading communal hatred that they should not do so. The fact is that Hindus and Muslims have to live together. They are bound to co-exist. So this communal propaganda should be stopped. I would request the Government also that there should be no mention of caste or community in services. In order to preserve communal harmony we have to bring out many changes in our society. Now the times have very much changed and tremendous advancement has been made in scientific field and today man is going to moon. So we have to change the old and time worn customs which lead to communal hatred.

Lastly I want to point out that this measure will serve no useful purpose, unless it is properly implemented. So I request the Government that this should be properly implemented.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Chairman, Sir I support this bill. But at the same time I charge the Government that they are responsible for the murders of thousands of people which had been committed during the last 22 years. The Government was there and the police was there then why these riots were allowed to spread. It is no use blaming

Jan Sangh for these riots. They have no representation in 12 States. They have no representation in Maharashtra, then why there were riots in Maharashtra. They have no representation in Andhra Pradesh. But there had been riots in Andhra Pradesh.

The Muslims would not have required any special protection, but for the two nation theory propagated by Mr. Jinnah and accepted by Shri Nehru and Shri Patel. But this two nation theory has divided Hindus and Muslims and we no longer have enough strength to protect ourselves.

Secondly I charge the Government for adopting communal attitude towards Muslims. During the last twenty two years the Muslims have not been given any representation in Armed forces. In other services too their representation is very negligible. Though their population is 13% but their representation is less than 1%. Who is responsible for this state of affairs? Is this the responsibility of Jan Sangh or any other party? It is the Government which had been following communal policy.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

So I ask the party in power i. e. Congress that in case they are honest in their thinking., they should follow the path shown by Ghandhiji. It is no use abusing this party or that party.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa): This Bill has been introduced in accordance with the conclusions arrived at the Srinagar conference of National Integration Council. Politics and religion are being intermingled. In such circumstances, it has become necessary to curb the exploitation of the poor in the name of religion. That is why the Government has sought to stop the use of religious feelings in the elections.

A lot has been said in opposition to the Bill which proves the depth of communalism in our country. Many political parties want to thrive on communalism. The poison of communalism is spread mostly by newspapers in our country. Those papers should be banned and confiscated. The Government will have to be firm in this connection. I urge all the sections of the House to support this Bill.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur); The Government have not so far defined communalism and nationalism. The Congress accepted the partition of the country in order to gain power and caused the creation of a Muslim country called Pakistan. If we call this country a Hindu country, they term us as communalists. Hindus are the only nationals of this country. If Muslims want to live in this country, they must live as second grade citizens.

Shri Shashi Bhushan: He should withdraw those words.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह शब्द वापिस लेने चाहिये ।

Shri Mahant Digvijai Nath: I withdraw those remarks.

The Britishers caused a division of the country by creating a rift between Hindus and Muslims. Now our Government is bent upon dividing the country by causing rift between Hindus. This Government also strengthened casteism by giving ticket in the election to candidates belonging to the community which had a majority in a particular constituency.

श्री विद्याचरण शुक्ल : देश में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ने देने से रोकने की समस्या पर सरकार देश की स्वतंत्रता के समय से ही ध्यान देती रही है। स्वतंत्रता से पूर्व दो राष्ट्र के सिद्धान्त को कांग्रेस तथा इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया। एक आवश्यक बुराई के तौर पर देश के विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। अतः यह तर्क देना बिल्कुल गलत है कि चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, अतः इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनना चाहिये।

हमारे देश में दिन प्रतिदिन शान्ति बढ़ रही है परन्तु कुछ लोग व्यक्तिगत, राजनैतिक तथा बदले की भावना से कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो साम्प्रदायिक घटनाओं का रूप ले लेती हैं।

यह बहुत गम्भीर बात है कि साधारण सी उत्तेजना से ही इतनी बड़ी दुर्घटनायें होने लगती हैं। हमने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इसका विशलेषण करने का प्रयत्न किया है और पता लगाया है कि इसका कारण यह है कि कुछ व्यक्ति तथा कुछ छोटे तथा मध्यम समाचारपत्र लगातार धीरे-धीरे तथा चोरी छिपे देश में साम्प्रदायिक भावनायें उभारते हैं और ऐसा साम्प्रदायिक वातावरण पैदा कर देते हैं जिसका समाज के गन्दे तत्व अनुचित लाभ उठाते हैं।

श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस बात पर मतैक्य था कि सरकार को साम्प्रदायिक विष फैलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के बारे में अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये। सभा को मालूम हो कि इस विधेयक के अधिनियम बनने पर इसके अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारें करेंगी न कि केन्द्रीय सरकार।

यह कहना ठीक नहीं है कि पारित की गई विधियों का उचित उपयोग नहीं किया जाता। कुछ त्रुटियां तो हो सकती हैं परन्तु ऐसे मामले बहुत कम हैं। ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिये विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारियों ने उन शक्तियों का प्रभावी रूप में प्रयोग किया है। साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कुछ त्रुटियां अनुभव हुईं। अतः हमारे लिये इस संसद् से यह अधिकार मांगना आवश्यक हो गया है। अधिकार न होने के कारण ऐसे समाचारपत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के खण्ड 2 के उप-खण्ड (1) में उल्लिखित अपराधों के लिए दण्ड अधिक होने के उपबन्ध की आलोचना की है। इस उप-खण्ड में पूजा के किसी स्थान में उचित धार्मिक कार्य करने पर कोई रुकावट नहीं लगाई गई है। परन्तु यदि किसी पूजा के स्थान में आपत्तिजनक कार्यों को अधिक गम्भीर अपराध समझा जायेगा।

यह सन्देह निराधार है कि साम्प्रदायिक विष फैलाने वाले समाचारपत्रों पर इस विधेयक

में लगाये गये प्रतिबन्धों का समाचारपत्रों की स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में सावधानी रखने के लिए हमने एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भी व्यवस्था की है जो ऐसे मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सरकार को परामर्श देगी ।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का उद्देश्य केवल यही है कि साम्प्रदायिक और प्रादेशिक प्रवृत्तियों को इस प्रकार रोका जाये कि देश में इन प्रवृत्तियों का विकास रोका जा सके, यह कर्त्तव्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को जिन शक्तियों की आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था करना इस विधेयक का उद्देश्य है ।

हमने यह भी व्यवस्था की है कि इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन दंडित कोई भी व्यक्ति देश में कोई निर्वासित पद प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा । राजनैतिक प्रयोजनों के लिए इन बातों का दुरुपयोग रोकने के लिये ही विधेयक में यह उपबन्ध रखा गया है। मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इन उपबन्धों को स्वीकार करें ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले और कतिपय आपत्तिजनक विषयों के मुद्रण और प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा शुरू करेंगे ।

खण्ड 2

श्री अब्दुल गनी दार : मैं संशोधन संख्या 3 तथा 31 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं संशोधन संख्या 12 तथा 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 25, 27, और 28 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री महाराज सिंह भारती : मैं संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : यद्यपि मेरा आत्म निर्णय के सिद्धान्त में विश्वास था जिसके अनुसार श्री मुहम्मद अली जिन्ना का भारत के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए पृथक देश

की मांग करना उचित था तथापि मैंने विभाजन का विरोध किया क्योंकि मैं समझता था कि संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टि से कोई सिद्धान्त कितना भी ठीक क्यों न हो, उसे लागू करने पर सीमा की दोनों ओर करोड़ों व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए और विनाश को देखते हुए उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिये।

देश के विभाजन के समय लाखों की संख्या में मुस्लिम, हिन्दू और सिख मारे गये थे। उस कठिनाई के समय पर कांग्रेस पार्टी ने देश में तनाव को समाप्त किया और शान्ति स्थापित की। आज श्री शुक्ल इस विधेयक के इन्चार्ज हैं। यदि उनके वरिष्ठ सहयोगी होते तो मेरी प्रतिक्रिया और ही होती। गत चार वर्षों में देश में सैंकड़ों की संख्या में दंगे हुए हैं। यह वास्तव में पुलिस की ढील और मिलीभगत से हुए हैं। देश में अल्प-संख्यक मुसलमानों पर अत्याचार हुए हैं।

मुसलमानों के समाचारपत्रों के विरुद्ध हाल ही में अनेक मुकदमें चलाये गये थे। परन्तु पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने उन मुकदमों को वापस ले लिया है। इसी प्रकार केरल की साम्यवादी सरकार ने भी किया है। मैं साम्यवादी विचारधारा का समर्थक नहीं हूं। परन्तु वे निर्धन लोगों की आशाओं को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। वैसे कांग्रेस और अन्य दलों में भी अच्छे व्यक्ति हैं जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का कल्याण चाहते हैं। आज मुसलमान एक बड़ी कठिन स्थिति में हैं। इस बड़े देश में उनके लिये कोई सुविधाएं नहीं हैं।

कानून द्वारा साम्प्रदायिकता का दमन नहीं किया जा सकता। जब तक मुसलमानों को सेवाओं अथवा पुलिस आदि में पर्याप्त स्थान नहीं मिलता, तब तक वे सुरक्षित नहीं हैं। आज देश की सेवाओं में उनकी संख्या बहुत कम है।

राष्ट्रीय एकता परिषद का सम्मेलन इसका समाधान नहीं है। हम सेना आदि में प्रतिनिधित्व नहीं चाहते। लोकतन्त्र में बहुसंख्यकों का प्रमुख स्थान होना आवश्यक है। परन्तु हम चाहते हैं कि सरकार श्री शुक्ल जैसे व्यक्तियों की हो। ऐसे लोग देश की जनता का हित सोचते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का शासन लम्बे समय तक चले। इसमें अच्छे-अच्छे लोग आयें और देश का शासन सुचारु रूप से चलायें। उन्हें देश की आकांक्षाओं की जानकारी हो।

हम चाहते हैं कि हमारे देश में सभी समुदाय प्रेमपूर्वक रहें और देश की प्रगति के लिये मिलकर कार्य करें। देश में सौहार्द की भावना पनपे।

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर): देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता बुनियादी बातें हैं। इन पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अतः हमें ध्यान से बात करनी

चाहिये। राष्ट्रीयता के बारे में हमें पश्चिमी विचारों के अनुसार नहीं सोचना चाहिये। पश्चिम वालों की राष्ट्रीयता जाति पर आधारित है। भारत में ऐसी बात नहीं है।

हमने साम्प्रदायिकता के बारे में सुना है। किसी ने इसकी परिभाषा नहीं बतायी। सभी का अपना अपना धर्म है, परन्तु यदि एक व्यक्ति के कार्य से दूसरे को हानि हो और फिर स्थिति बिगड़े और देश को भी हानि हो तो उसे कोई पसन्द नहीं करेगा। साम्प्रदायिकता पर वे लोग अमल करते हैं जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। कुछ निहित स्वार्थ सामाजिक कुरीतियों में परिवर्तन नहीं चाहते। वे ऐसे परिवर्तन पर धर्म का नारा खड़ा कर देते हैं।

इस बारे में कुछ समाचार-पत्रों ने अच्छा कार्य किया है और कुछ खराब कार्य किया है। कुछ समाचार-पत्र देश के विभिन्न समुदायों में वैमनस्य उत्पन्न कर रहे हैं। और उनमें खाई खोद रहे हैं। कुछ समाचार-पत्र तो देश के इतिहास के खराब प्रकरणों को प्रकाशित करके देश में फूट के बीज बो रहे हैं। यह अनुचित है। हमें भारत के इतिहास को पुनः लिखना चाहिये।

समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में कोई मतभेद नहीं है। साथ-साथ उनकी जिम्मेदारी भी है। सरकार को अपने हाथ में अधिक अधिकार लेकर अर्थात् कानून बनाकर देश के हितों के विरुद्ध जाने वाले समाचार-पत्रों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये

हमारे देश में अभी भी साम्प्रदायिकता का बहुत प्रभाव है। चुनाव के दिनों में हम देखते हैं कि विभिन्न समुदायों के धार्मिक नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार कराया जाता है। कुछ लोग साम्प्रदायिकता के विरुद्ध बहुत बातें करते हैं परन्तु वास्तव में वे स्वयं इसका शिकार होते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): The main cause of communalism is that political parties are propagating it in different ways. If all people live here with a feeling of nationalism, this problem would be solved automatically. The elections are fought in the name of religion in our country. It is due to this that no Government is there in the true sense of the term. We should first of all cure the disease. People should have a sense of belonging with the country. I doubt if the malady will be cured by the course they are now adopting.

The religious places should not be allowed to be used for political purposes. It is a pity that Government is not taking action against the parties which are there on the basis of religion. Different religious preach different things. I want to know whether this law will be applicable to preaching in religions places also? I want to know whether it will apply to the improper use of religious places for election purposes? This should be made clear. The places of worship should not be used for election purposes. Then by providing that "or any other ground whatsoever" Government is giving vast power to police. This provision is an ambiguous provision. Thus there are many lacunae in this Bill. It should be rectified.

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मेरे संशोधन का उद्देश्य दंगों के दौरान अपराध के लिये दण्ड को और अधिक कड़ा बनाना है। ऐसे अपराधों के लिये अधिक कड़ा दण्ड निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है। दंगा करने वाले लोग समझते हैं कि उन्हें दण्ड नहीं मिलेगा। जैसा कि श्री बदुरुद्दुजा ने कहा है कि गत दो अथवा तीन वर्षों में सैकड़ों दंगे हुए हैं। यह ठीक है कि ऐसे दंगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं जानना चाहता हूं कि अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

उदाहरण के लिये मैं जानना चाहता हूं कि रांची के दंगों, जहां सैकड़ों व्यक्ति मरे थे, के लिये कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये थे। इन्दौर में अल्पसंख्यक समुदाय का सामाजिक बाइकाट किया गया है।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन दंगों के बाद कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। हमें ऐसा कानून बनाकर उसे कारगर ढंग से लागू करना चाहिये। लोगों में अपराध करने का साहस ही न हो, ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिये। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है। मेरे संशोधन के द्वारा दंगा करने वालों के लिये कड़े दण्ड की व्यवस्था हो जायेगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं केवल दो संशोधनों पर बल देना चाहता हूं। वे संशोधन संख्या 27 और 28 हैं। इस विधेयक का उद्देश्य साम्प्रदायिक दंगा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े दण्ड की व्यवस्था करना है। उपखण्ड (ख) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। मेरे संशोधन के अनुसार ही महान्यायवादी ने अपनी राय व्यक्त की थी। वह संयुक्त समिति के समक्ष अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। अतः मेरा संशोधन स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि दो वर्गों में फूट आदि डालने के कार्य करने वालों के विरुद्ध भी दण्ड की व्यवस्था की जाये। मुझे आशा है कि इन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Government wants that religious places should not be misused for political purposes. I want that in addition to religious places the places for social functions also should not be misused as such. Communal hatred is spread from these places. I appreciate the idea behind this bill.

I want to say that the practice of spreading communal hatred in social circles should also be banned. There is only one state where there is complete national integration. That State is Kashmir. I hope Hon. Minister will accept my amendments.

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उनमें से अधिकांश पहले ही वर्तमान अधिनियम स्वीकृत हैं अथवा इन प्रावधानों में आ जाते हैं। श्री त्यागी ने कहा कि धर्म प्रचार से अन्य धर्म वालों को ठेस पहुंचेगी और झगड़ा होने की आशंका हो सकती है।

परन्तु यदि एक धर्म की अच्छी बातों का प्रचार किया जायेगा तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । धर्मों का प्रचार ऐसे होना चाहिये कि अन्य धर्म वालों को उससे क्रोध नहीं आये ।

श्री दार चाहते हैं कि धार्मिक स्थानों के साथ स्कूल आदि को भी जोड़ दिया जाये । यह करना ठीक नहीं होगा । और यह व्यवहारिक भी नहीं होगा । इस विषय पर संयुक्त समिति में भी विचार किया गया था । और इरादे को यहां शामिल न करने का निर्णय किया गया था । इस विधेयक के प्रावधानों का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । मैं इस आशय का आश्वासन देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सैंतीसवां प्रतिवेदन

संसद् कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 जुलाई, 1969/3 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 25, 1969/Sravana 3, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 24-10-69—600.